

23/02/12

भारत के  
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

संख्या 1

राज्य के वित्त

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार



# विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix
<b>अध्याय - 1</b>		
<b>राज्य सरकार के वित्त</b>		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	3
राजस्व प्राप्तियां	1.3	6
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.4	10
व्यय की गुणवत्ता	1.5	16
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.6	20
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.7	26
ऋण पोषण	1.8	28
राजकोषीय असंतुलन	1.9	30
निष्कर्ष	1.10	34
अनुशंसाएं	1.11	35
<b>अध्याय - 2</b>		
<b>वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण</b>		
प्रस्तावना	2.1	37
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	38
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	38

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
आकस्मिक निधियों से अग्रिम	2.4	46
बजटीय प्रक्रिया में त्रुटियां	2.5	46
बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम	2.6	47
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.7	52
निष्कर्ष	2.8	55
अनुशंसाएं	2.9	56
<b>अध्याय – 3</b>		
<b>वित्तीय प्रतिवेदन करना</b>		
उपयोग प्रमाण-पत्र प्रेषित करने में विलम्ब	3.1	57
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	58
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	59
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	59
दुर्विनियोजन, हानियां, गबन, इत्यादि	3.5	60
बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन	3.6	61
व्यक्तिगत जमा खाता को निधियों का हस्तांतरण	3.7	62
सरकारी खाते में कर-भिन्न राजस्व का जमा न करना	3.8	62
निष्कर्ष	3.9	62
अनुशंसाएं	3.10	63

## परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1, 1.3, 1.3.1, 1.4.1 एवं 1.4.2	65
1.2	भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं प्रारूप भाग ख: वित्त लेखाओं का प्रदर्शन	1.1	66
		1.1	67
1.3	भाग क: वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति भाग ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	1.1	69
		1.1	70
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े	1.3 एवं 1.7.2	76
1.5	भाग क: वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्तियों एवं सवितरणों का सार भाग ख: 31 मार्च 2011 को हरियाणा सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1 एवं	79
		1.7.1	81
1.6	वर्ष 2010-11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 एवं 1.7.2	82
1.7	मुख्य घटकों के सम्बन्ध में कर तथा कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा	1.3.1	83
1.8	अंततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे साविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2011 को)	1.6.3	84
1.9	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.6.4	85
1.10	सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना के अन्तर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण	1.7.4	86
1.11	कार्यान्वयन के अन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना के विवरण	1.7.4	87
1.12	राज्य सरकार के विचाराधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के विवरण	1.7.4	88
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की विवरणी	2.3.1	90
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी	2.3.2	91

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.3	बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण दर्शाने वाले विवरण	2.3.4	92
2.4	प्रकरणों के विवरण जहां पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.7	93
2.5	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की तालिका जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.7	94
2.6	अधिक/अनावश्यक/ अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन का विवरण	2.3.8	95
2.7	वास्तविक बचतों ( ₹ 50 लाख अथवा अधिक) के आधिक्य में अभ्यर्पित निधियों को दर्शाने वाले विवरण	2.3.9	109
2.8	अनभ्यर्पित ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचतों का विवरण	2.3.10	110
2.9	30 एवं 31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों के अभ्यर्पण का विवरण	2.3.10	111
2.10	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाला विवरण	2.3.11	112
2.11	पूर्वानुमानित व्यय को वहन करने के लिए आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिमों को दर्शाने वाले मामलों के विवरण	2.4	113
2.12	दोषपूर्ण बजटिंग दर्शाने वाले मामलों का विवरण	2.5	114
2.13	2010-11 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय तथा उनके विरुद्ध वास्तविक आंकड़े दर्शाने वाले विवरण	2.6.1	115
2.14	उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए व्यय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित किए गए थे किन्तु मार्च 2011 तक कोई बजट प्रदान नहीं किया गया था	2.6.3 (i)	116
2.15	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.), जिनके लिए कोई बजट प्रदान नहीं किये गये थे, के विवरण	2.6.3 (i)	119
2.16	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किन्तु छोड़ी गई स्कीमों/परियोजनाओं के विवरण	2.6.3 (ii)	120
2.17	अनुमोदित योजना 2010-11 में शामिल स्कीमों के विवरण किन्तु संशोधित अनुमानों के दौरान वापस ले लिए गए और कोई व्यय नहीं किया गया था	2.6.3 (iii)	121
2.18	उन स्कीमों के विवरण जहां संशोधित अनुमानों में किये गये प्रावधानों को घटाया गया था किन्तु कोई व्यय नहीं किया गया था	2.6.3 (iv)	125
2.19	उन स्कीमों के विवरण जहां बजट अनुमान बढ़ाये गये थे किन्तु कोई व्यय नहीं किया गया था	2.6.3 (v)	126


परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.20	उन स्कीमों के विवरण, जहां बजट अनुमान बढ़ाये गये थे किंतु व्यय मूल प्रावधानों से कम था	2.6.3 (vi)	127
2.21	संशोधित अनुमानों में सम्मिलित स्कीमों का विवरण	2.6.3 (vii)	129
2.22	उन स्कीमों के विवरण, जहां बजट अनुमानों में प्रावधानों के बिना व्यय किया गया था	2.6.3 (viii)	130
2.23	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा 2010-11 के दौरान योजनेतर से योजनागत शीर्षों में परिवर्तित उप-स्कीमों की सूची	2.6.3 (ix)	131
2.24	अनुदान संख्या 8 के अधीन बजट प्रावधानों, बचतों इत्यादि के ब्यौरे	2.7.1	134
2.25	उन स्कीमों के विवरण, जहां कोई व्यय नहीं किया गया था	2.7.1 (v)	135
2.26	उप-शीर्षों, जहां व्यय वर्ष 2010-11 हेतु प्रावधान से अधिक (₹ 10 लाख से अधिक) था, को दर्शाने वाली विवरणी	2.7.1 (vi)	139
2.27	वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय वाली स्कीमों का विवरण (अनुदान संख्या 8)	2.7.1 (vii)	141
2.28	उन स्कीमों का विवरण, जहां स्कीमों के अकार्यान्वयन/नीति के अनन्तिमकरण/प्रस्ताव के कारण कोई व्यय नहीं किया गया था	2.7.2 (iii)	142
2.29	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग वाली स्कीमों के विवरण (अनुदान संख्या-9)	2.7.2 (v)	143
2.30	वर्ष 2010-11 हेतु वित्त विभाग को बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्बों को दर्शाने वाले विवरण	2.7.3	146
3.1	31 मार्च 2011 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों के विवरण	3.1	147
3.2	निकाय एवं प्राधिकरण, जिनके लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, के नाम दर्शाने वाली विवरणी	3.2	149
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा सी.ए.जी. को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3	160
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.4	162
3.5	दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्यवाही 30 जून 2011 को लम्बित थी, के प्रकरणों का विभाग-वार/अवधि-वार विश्लेषण	3.5	163
3.6	चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हानियों के प्रकरणों के संबंध में विभाग/श्रेणीवार विवरण	3.5	164
<b>संकेताक्षरों की शब्दावली</b>		165-167	






## प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं के परीक्षण से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रतिवेदन के क्रमशः अध्याय I एवं II में अंतर्विष्ट हैं।
3. “वित्तीय प्रतिवेदन करने” पर अध्याय III 2010-11 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति दर्शाता है।



**कार्यकारी सार**



# कार्यकारी सार

## पृष्ठभूमि

जुलाई 2005 में, हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम अधिनियमित किया। इसने अपनी अर्थनीति में स्थिरता के साथ वृद्धि प्राप्त करने के दीर्घावधि उद्देश्य से मध्यावधि में राजकोषीय सुधार मार्ग के माध्यम से एक सुधार कार्यसूची निर्धारित की। सरकार की इन सुधारों को बढ़ावा देने की वचनबद्धता बाद के बजटों में उद्घोषित नीति उपक्रमणों से झलकती है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की विधि के लाभ कुछ सीमा तक राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके तथा देयताओं को न्यूनतम करके प्राप्त किए गए हैं। तथापि, संस्थागत एवं क्षेत्रीय सुधारकों द्वारा लोक-व्यय की गुणवत्ता सुधारने और राजकोषीय स्थिरता बढ़ाने हेतु अत्यंत आवश्यक 'राजकोषीय स्थान' तैयार करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता और उत्तरदायिता के लिए सही संस्थागत यंत्रावली बनाई है।

## प्रतिवेदन

हरियाणा सरकार के मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा करता है। इस प्रतिवेदन के तीन अध्याय हैं।

**अध्याय 1** वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और राज्य सरकार की 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्रतिबद्ध व्यय और उधार लेने की पद्धतियों की प्रवृत्तियों पर पूर्ण जानकारी के अतिरिक्त राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को बजट रूट से अलग माध्यम से सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों का सक्षिप्त लेखा भी प्रदान करता है।

**अध्याय 2** विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह अनुदानवार विनियोजन और पद्धति, जिससे आर्बिट्रिट संसाधनों का प्रबन्ध सेवा वित्तक विभागों द्वारा किया गया था, का विवरण देता है।

**अध्याय 3** हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न प्रतिवेदक अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से सम्बन्धित सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से प्राप्त आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

## लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

### अध्याय 1

**वित्तीय सुधार:** राजकोषीय स्थिति, जो राजकोषीय मानकों अर्थात् राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/आधिक्य के संबंध में देखी जाती है, जिसने 2008-09 से बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित की, ने 2010-11 के दौरान कुछ सुधार दर्शाए। तथापि, ये अभी तक घाटे में थी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राजस्व

घाटा 2011-12 तक शून्य तक लाया जाना है। राज्य अभी भी एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है यदि बेहतर कर अनुपालन, कर एकत्रीकरण की लागत में कमी, राजस्व बकाया को वापस प्राप्त करने पर संकेन्द्रण के माध्यम से और अनुत्पादक खर्च को कम करके सामूहिक प्रयास किए जाएं।

**ब्याज भुगतान:** ब्याज भुगतान (₹ 3,319 करोड़), जो 2009-10 पर वर्ष के दौरान 21 प्रतिशत तक बढ़ गये, राजकोषीय सुधार पथ (₹ 3,509 करोड़) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 3,573 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (₹ 3,474 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों के भीतर थे।

**योजनेत्तर व्यय:** राजस्व व्यय (₹ 28,310 करोड़) कुल व्यय (₹ 33,063 करोड़) का 86 प्रतिशत था जिसमें 67 प्रतिशत योजनेत्तर घटक (₹ 22,059 करोड़) था। योजनेत्तर राजस्व व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण (₹ 15,790 करोड़) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 21,698 करोड़) से उच्चतर था किन्तु राजकोषीय सुधार पथ में किये गये प्रक्षेपण (₹ 22,944 करोड़) के भीतर था।

**अपूर्ण परियोजनाएं:** अप्रैल 2008 और फरवरी 2011 के बीच पूर्ण होने वाली इक्कीस (भवन एवं सड़क) परियोजनाएं अब तक अपूर्ण थीं। इन अपूर्ण परियोजनाओं का समय एवं लागत व्यय कम किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों के लिए धन का मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

**सरकारी निवेशों की समीक्षा:** सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त पिछले पांच सालों में 0.04 से 0.18 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इस पर औसत निर्गमन की रेंज 7.43 से 9.29 प्रतिशत थी। यह एक असह्य आनुपातिकता है। इसलिए राज्य सरकार को, बेहतर मूल्य प्राप्ति निवेशों की ओर जाना चाहिए अन्यथा परियोजनाओं के लिए उच्च मूल्य के ऋणों की निधियां कम आर्थिक लाभों से अर्थव्यवस्था पर भार डालना जारी रखेंगी। वे परियोजनाएं जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक-आर्थिक प्राप्तियों के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों हेतु पूर्ण औचित्य के साथ प्राथमिकता दी जाए। समय आ गया है कि राज्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनमें बड़े नुकसान हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा की जाए और एक पुनर्जीवन योजना परिकल्पित की जाए उनके लिए जो अनुकूल प्रकृति की हैं और पुनर्जीवित की जा सकती हैं या अपनी साम्या का अपनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।

**कर्ज निर्वहन योग्यता:** एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 22.4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2010-11 के दौरान गारंटियों तथा सांत्वना-पत्र सहित राज्य की कुल देयताएं ₹ 55,786 करोड़ थी जो जी.एस.डी.पी. का 21.64 प्रतिशत थी जो एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 की सीमाओं में थी। राजस्व घाटा सूचित करता है कि उच्च दर ऋणों का कुछ भाग सरकार द्वारा अपने वर्तमान खर्च पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऋणित निधियां यथासंभव केवल पूंजीगत व्यय के निधिकरण हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए जबकि राजस्व खर्च पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिए। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलना: जी.ओ.आई. ने वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 1,308.84 करोड़ प्रत्यक्षतः हस्तांतरित किए जोकि पिछले वर्ष पर ₹ 203.64 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि थी। चूंकि निधियां सरकारी खातों के माध्यम से नहीं दी गई थी, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को जी.ओ.आई. से निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग तथा लेखाओं के अनुरक्षण की चूक के जोखिम को बढ़ाता है। इन अभिकरणों द्वारा अनुसरित एकसमान लेखांकन प्रचलनों के अभाव में समुचित प्रलेखन मौजूद नहीं था तथा इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समयबद्ध रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।

## अध्याय 2


### वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण:

₹ 222.47 करोड़ के बजट आबंटनों पर आधिक्य के प्रति संतुलन के बावजूद भी राज्य में विभिन्न सामाजिक एवं विकासशील कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति से ₹ 9,759.56 करोड़ की समग्र बचत रही। अतिरिक्त व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक अथवा ज्यादा पुनर्विनियोजन के उदाहरण भी थे। राज्य में अवलोकित वर्ष के अन्त में अधिक खर्च भी अन्य चिरकालिक लक्षण था। बहुत से केसों में, पूर्वज्ञात बचतें या तो समर्पित नहीं की गई या वर्ष के आखिरी दो दिनों में की गई जिससे इन निधियों को अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जाने की गुंजाइश नहीं थी। बजट नियंत्रण का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि बजट प्रबंधन में ऐसी कमियां न रहें। अन्तिम समय निधि का निर्गम और पुनर्विनियोजन/समर्पण आदेश जारी करने से बचना चाहिए।

## अध्याय 3

### वित्तीय प्रतिवेदन करना:

सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की विभिन्न विभागों में अनुपालना नहीं की जा रही थी जैसा कि विभिन्न ग्रांटी संस्थाओं से ऋणों एवं अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण - पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब से स्पष्ट था। स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक अंडरटेकिंग्स द्वारा भी वार्षिक लेखे प्रस्तुतिकरण में देरी अवलोकित की गई। हानियों और दुरुपयोगों के उदाहरण थे जिसके लिए विभागीय कार्यवाही लम्बे समय से लम्बित थी। ऐसे मामलों में चूककर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगने हेतु विभागीय जांच - पड़ताल शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए। भविष्य में ऐसे केसों से बचने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रण को सशक्त किया जाना चाहिए। 2010-11 के दौरान प्राप्तियों तथा व्यय की महत्वपूर्ण राशियां बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 - अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी, वित्तीय रिपोर्टिंग में उच्चतर पारदर्शिता के लिए इससे बचा जाना चाहिए।






अध्याय - 1  
राज्य सरकार के वित्त

# हरियाणा

उत्तर



### हरियाणा का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। **परिशिष्ट 1.1** में इंगित किए गए अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम गरीबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 573 व्यक्ति) अखिल भारतीय घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति) से उच्चतर था। राज्य ने पिछले दशक में महत्त्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि दर्ज की तथा 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि हेतु इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की कम्पाउंड वृद्धि दर 16.42 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 2011 में 2.54 करोड़ तक 19.90 प्रतिशत तक बढ़ गई।

इसकी उच्चतर जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर तथा कम जनसंख्या के कारण चालू दशक में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से बेहतर रही।

#### 1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय 2010-11 के दौरान हरियाणा राज्य सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित बदलावों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का ले-आऊट **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिये अपनाई गई पद्धति तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानक/सीलिंग्स **परिशिष्ट 1.3 भाग क** तथा **ख** में दिए गए हैं।

#### 1.1.1 चालू वर्ष के वित्तीय सम्पादनों का सार

गत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय सम्पादनों का सार **तालिका 1.1** में प्रस्तुत किया गया है। **परिशिष्ट 1.5 भाग क** तथा **ख** 2010-11 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के अतिरिक्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है। वर्ष 2010-11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.), राजकोषीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (एम. टी. एफ. पी.एस.) के निर्धारण/प्रक्षेपणों के विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

2009-10	प्राप्तियां	2010-11	2009-10	संवितरण	2010-11		
					योजनेतर	योजनागत	कुल
<b>भाग - क : राजस्व</b>							
20,992.66	राजस्व प्राप्तियां	25,563.67	25,257.39	राजस्व व्यय	22,058.68	6,251.51	28,310.19
13,219.50	कर राजस्व	16,790.37	7,755.35	सामान्य सेवायें	9,262.30	65.84	9,328.14
2,741.40	कर-भिन्न राजस्व	3,420.93	9,902.22	सामाजिक सेवाएं	6,574.39	4,329.69	10,904.08
1,774.47	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	2,301.75	7,529.91	आर्थिक सेवाएं	6,140.75	1,855.98	7,996.73
3,257.29	भारत सरकार से अनुदान	3,050.62	69.91	सहायतानुदान एवं अंशदान	81.24	-	81.24
<b>भाग - ख : पूंजी</b>							
9.39	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.00	5,218.48	पूंजीगत परिव्यय	186.09	3,845.01	4,031.10
212.84	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	233.05	829.69	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	183.37	538.50	721.87
8,455.37	लोक ऋण प्राप्तियां*	9,842.73	2,745.97	लोक ऋण का पुनर्भुगतान **	-	-	3,971.08
-	आकस्मिक निधि	192.83	-	आकस्मिक निधि	-	-	192.83
15,789.41	लोक लेखा प्राप्तियां	16,594.62	14,319.66	लोक लेखा संवितरण	-	-	15,324.41
3,404.94	आरम्भिक नकद शेष	493.42	493.42	अंतिम नगद शेष	-	-	376.84
48,864.61	कुल	53,928.32	48,864.61	कुल			53,928.32

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

\* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा तथा अभ्यर्पण।

\*\* अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर।

गत वर्ष से 2010 - 11 के दौरान वित्तीय सम्पादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,570 करोड़ (27 प्रतिशत) तक तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 680 करोड़ (25 प्रतिशत) तक की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,571 करोड़ (22 प्रतिशत) तक बढ़ गई। भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा ₹ 527 करोड़ (30 प्रतिशत) तक बढ़ गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 206 करोड़ (छ: प्रतिशत) तक कम हो गए। राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ 16,790 करोड़), ते.वि.आ. (₹ 17,614 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य के पांच प्रतिशत तक तथा एफ.सी.पी. (₹ 18,744 करोड़) के 10 प्रतिशत तक घट गया किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 16,469 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से दो प्रतिशत तक उच्चतर हो गया। राज्य का स्वयं का कर-भिन्न राजस्व (₹ 3,421 करोड़), टी.एफ.सी. (₹ 11,990 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्यों से 71 प्रतिशत तक, एफ.सी.पी. (₹ 3,972 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से 14 प्रतिशत तक तथा वर्ष 2010 - 11 हेतु एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 3,549 करोड़) में नियत किए गए लक्ष्यों से चार प्रतिशत तक निम्नतर था (परिशिष्ट 1.6)।
- सामाजिक सेवाओं (₹ 1,002 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 467 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (₹ 1,573 करोड़) पर मुख्यतः व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 3,053 करोड़ (12 प्रतिशत) तक बढ़ गया। योजनेतर राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) (₹ 22,059 करोड़), एफ.सी.पी. (₹ 22,944 करोड़) में सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 885 करोड़ (चार प्रतिशत) तक कम

था किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 21,698 करोड़) तथा ते.वि.आ. में मानकीय आंकलन (₹ 15,790 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से क्रमशः ₹ 361 करोड़ (दो प्रतिशत) तथा ₹ 6,269 करोड़ (40 प्रतिशत) तक उच्चतर था (परिशिष्ट 1.6)।


- आर्थिक सेवाओं पर मुख्यतः 'कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों' (₹ 834 करोड़) तथा 'परिवहन' (₹ 275 करोड़) पर विशेषतः पूंजीगत व्यय में ₹ 1,187 करोड़ (23 प्रतिशत) की कमी हुई।
- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 2010 - 11 में ₹ 20 करोड़ (नौ प्रतिशत) तक बढ़ गई।
- लोक ऋण प्राप्तियां मुख्यतः आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 1,214 करोड़ की वृद्धि के कारण ₹ 1,387 करोड़ (16 प्रतिशत) तक बढ़ गई। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में भी ₹ 1,225 करोड़ (45 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। इस प्रकार, लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 162 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियां 2009 - 10 में ₹ 15,789 करोड़ से 2010 - 11 में ₹ 16,595 करोड़ तक बढ़ गई तथा इसके सवितरण भी 2009 - 10 में ₹ 14,320 करोड़ से 2010 - 11 में ₹ 15,324 करोड़ तक बढ़ गए।
- 2010 - 11 की समाप्ति पर सरकार का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में ₹ 117 करोड़ तक कम हो गया।

## 1.2 राज्य के संसाधन


### 1.2.1 2010 - 11 के वित्तीय लेखाओं के अनुसार राज्य के संसाधन

प्राप्तियों की राजस्व<sup>1</sup> एवं पूंजीगत<sup>2</sup> दो ही स्ट्रीम हैं, जो कि सरकार के संसाधनों का निर्माण करती हैं। तालिका 1.1, 2010 - 11 के दौरान सरकार की प्राप्तियों और वितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा 2010 - 11 के वित्त लेखाओं में दर्ज है जबकि चार्ट 1.1, 2006 - 11 के दौरान सरकार की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। चार्ट 1.2, 2010 - 11 के दौरान सरकार के संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।

- 1 राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा जी.ओ.आई. से सहायतानुदान सम्मिलित हैं।
- 2 पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा जी.ओ.आई. से ऋणों एवं अग्रिमों के अतिरिक्त लोक लेखा से संभूतियां शामिल हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार की कुल प्राप्तियां 2006 - 07 में ₹ 28,897 करोड़ से ₹ 23,539 करोड़ (81 प्रतिशत) तक बढ़कर 2010 - 11 में ₹ 52,436 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियां ₹ 7,612 करोड़ (42 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 5,871 करोड़ (139 प्रतिशत) बढ़ गई तथा लोक लेखा प्राप्तियां उसी अवधि के दौरान ₹ 9,863 करोड़ (146 प्रतिशत) तक बढ़ गई। राज्य सरकार ने 2010 - 11 में आकस्मिक निधि के संग्रह को ₹ 10 करोड़ से ₹ 200 करोड़ तक बढ़ाने के लिए ₹ 190 करोड़ विनियुक्त किए। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2006 - 07 में 62 प्रतिशत से थोड़ा सा घटकर 2010 - 11 में 49 प्रतिशत हो गया। कुल प्राप्तियों में लोक लेखा का हिस्सा 2006 - 07 के 23 प्रतिशत से 2010 - 11 में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 15 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया।

**1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर हस्तांतरित निधियां**

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य की कार्यान्वयन अभिकरणों<sup>3</sup> को जी.ओ.आई. सीधे ही बड़ी मात्रा में निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। चूकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य ट्रेजरी तंत्र से नहीं दी जातीं, वार्षिक लेखाओं में इन निधियों का प्रवाह शामिल नहीं हो पाता तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय साथ ही साथ उनसे लिये गये अन्य वित्तीय परिवर्ती/पैरामीटर कम अनुमानित ही रह जाते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को 2009 - 10 और 2010 - 11 में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई निधियों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

**तालिका 1.2: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित निधियां**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण	केन्द्र का हिस्सा	
			2009 -10	2010 -11
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)	9.39	23.09
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	डी.आर.डी.ए.	117.89	141.12
3.	इंदिरा आवास योजना	डी.आर.डी.ए.	52.26	59.75
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	डी.आर.डी.ए.	24.71	28.04
5.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	27.22	22.51
6.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	3.84	3.06
7.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)	डी.आर.डी.ए.	11.45	18.31
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	डी.आर.डी.ए.	30.23	26.75
9.	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा सदन सोसाइटी	273.07	419.52
10.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	शिक्षा सदन सोसाइटी	2.45	1.72
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	के.जी.बी.वी.	0.47	0.85
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	174.45	250.91
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	लागू नहीं	56.00	51.50
14.	लघु सिंचाई स्कीम	लागू नहीं	2.12	0
15.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	लागू नहीं	283.72	157.75
16.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	लागू नहीं	28.65	0
17.	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को केन्द्रीय हिस्सा समर्थन स्कीम	लागू नहीं	7.38	0
18.	मिड डे मील		0	103.96
<b>कुल</b>			<b>1,105.30</b>	<b>1,308.84</b>

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा आपूरित सूचना)

तालिका 1.2 दर्शाती है कि राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (केन्द्रीय अंश) को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियों में 2010 - 11 के दौरान 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान: ₹ 146.45 करोड़ (54 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: ₹ 76.46 करोड़ (44 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी


3 राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर - सरकारी संगठन सहित ऐसे संगठन/संस्था शामिल होते हैं जो राज्य में किन्हीं विशेष कार्यक्रमों, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के लिये राज्य कार्यान्वयन अभिकरण, एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं।

स्कीम: ₹ 23.23 करोड़ (20 प्रतिशत), संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम: ₹ 13.70 करोड़ (146 प्रतिशत) के अन्तर्गत थी। तथापि, निधियों के हस्तांतरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ₹ 125.97 करोड़ (44 प्रतिशत) तथा प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन ₹ 0.73 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी आई।

चूँकि ये निधियाँ सरकार के लेखाओं में नहीं आती, जी.ओ.आई. से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियाँ प्रत्यक्ष हस्तांतरण के कारण लेखाओं के रख-रखाव और इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में चूक का खतरा बना रहता है। इन सभी अभिकरणों द्वारा लेखांकन की समरूप प्रक्रिया न अपनाने के अभाव में समुचित प्रलेखन विद्यमान नहीं था तथा इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समय पर रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी। वित्त लेखाओं का व्यय उस सीमा तक अवकथित था।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखाओं की विवरणी 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2006-11 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.3 एवं 1.4 में भी दर्शाया गया है।




(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 42 प्रतिशत तक बढ़ गईं। उसी अवधि के दौरान राज्य का स्वयं का राजस्व 30 प्रतिशत तक बढ़ गया, जी.ओ.आई. से सहायता-अनुदान 168 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा केन्द्रीय कर अन्तरण 78 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के स्वयं के राजस्व (कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2006-07 में 86 प्रतिशत से 2010-11 में 79 प्रतिशत तक कम हो गया जोकि मुख्यतः कर-भिन्न राजस्व में 2006-07 में ₹ 4,591 करोड़ से 2010-11 में ₹ 3,421 करोड़ तक कमी के कारण था। जी.ओ.आई. से सहायता अनुदानों का हिस्सा तथा केन्द्रीय कर अन्तरण क्रमशः 2006-07 में छ: एवं सात प्रतिशत से 2010-11 में 12 एवं नौ प्रतिशत तक बढ़ गए।



2001-02 से 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संयुक्त वृद्धि दर (13.54 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (15.20 प्रतिशत) से कम थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.41 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

चालू मूल्य में जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.3 में दर्शाई गई हैं:

**तालिका 1.3: जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां**

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर) (₹ करोड़ में)	17,952	19,751	18,452	20,993	25,564
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.58	10.02	(-).6.58	13.77	21.77
आर.आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	13.79	12.80	10.09	9.71	9.92
उत्प्लावकता अनुपात <sup>4</sup>					
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.480	0.540	(-).355	0.755	1.134
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य के स्वयं की कर उत्प्लावकता	1.019	0.340	0.017	0.736	1.407
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	19.99	18.55	18.56	18.25	19.19

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जिसने 2006-07 तथा 2009-10 के मध्य घटती प्रवृत्तियां इंगित की क्योंकि यह 2006-07 में 29.58 प्रतिशत से 2009-10 में 13.77 प्रतिशत तक कम हो गई, ने 2010-11 के दौरान 21.77 प्रतिशत तक वृद्धि करते हुए कुछ सुधार दर्शाया है। जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता अनुपात ने भी कुछ सुधार दर्शाया है तथा 2009-10 में 9.71 से 2010-11 में 9.92 तक बढ़ गया है।

4 उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत तक बढ़ती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशत प्वाइंट्स तक बढ़ जायेगी।


जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की अपनी कर उत्पलावकता 2006 - 07 में 1.019 से 2010 - 11 में 1.407 तक बढ़ गई। परन्तु जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता 2006 - 07 में 1.480 से 2010 - 11 में 1.134 तक कम हो गई।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य के हिस्से वित्त आयोग की सिफारिशों, केंद्रीय कर प्राप्तियों, योजनागत स्कीमों इत्यादि के लिये केंद्रीय सहायता के संग्रहण के आधार पर तय होते हैं, अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके स्वयं के कर एवं कर भिन्न संसाधनों से राजस्व समाविष्ट करते हुए इसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिये। कर-भिन्न प्राप्तियों के घटकों के अतिरिक्त मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण की तुलना में उनके संग्रहण पर किये गये व्यय तथा 2006 - 07 से 2010 - 11 तक के वर्षों में संगत अखिल भारतीय औसत सहित सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत की गई हैं।

### कर राजस्व

कर राजस्व पिछले वर्ष (₹ 13,220 करोड़) से 2010 - 11 के दौरान (₹ 16,790 करोड़) 27 प्रतिशत तक बढ़ गया। घटकवार वृद्धि चार्ट 1.5 में इंगित की गई है।




(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से राजस्व ने कर राजस्व का प्रमुख हिस्सा (66 प्रतिशत) समाविष्ट किया तथा यह गत वर्ष से 23 प्रतिशत तक बढ़ गया। स्टाम्प तथा पंजीकरण, राज्य उत्पाद शुल्क और वाहनों पर करों के अन्तर्गत प्राप्तियां 2009 - 10 पर 2010 - 11 के दौरान क्रमशः 79 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत तक बढ़ गई। 2001-02 से 2009-10 के दौरान कर राजस्व (13 प्रतिशत) की संयुक्त वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों (14.53 प्रतिशत) की वृद्धि दर से कम थी। 2001-02 से 2010 - 11 तक की अवधि के

लिए यह वृद्धि दर 14.47 प्रतिशत (परिशिष्ट 1.1) तक बढ़ गई। राज्य का अपना कर राजस्व ते.वि.आ. (₹ 17,614 करोड़) द्वारा किए गए निर्धारण के साथ-साथ सरकार द्वारा इसके एफ.सी.पी. (₹ 18,744 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 16,469 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से उच्चतर था (परिशिष्ट 1.6)।

### कर - भिन्न राजस्व

गत वर्ष पर ₹ 680 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाते हुए 2010-11 के दौरान कर-भिन्न राजस्व (₹ 3,421 करोड़) ने कुल राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत संघटित किया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि मुख्यतः मुख्य शीर्ष 'शहरी विकास' के अन्तर्गत प्राप्तियों में ₹ 841 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि लम्बित मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप अरावली हिल्स में खनन परिचालनों के समापन के कारण "अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग" के अन्तर्गत कमी (₹ 165 करोड़) तक प्रतितुलन की गई थी। 2001-02 से 2009-10 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की संयुक्त वृद्धि दर (6.42 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (13.87 प्रतिशत) से कम थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए यह वृद्धि दर 8.31 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। तथापि, 2010-11 के दौरान ₹ 3,421 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा (₹ 11,990 करोड़), सरकार द्वारा एफ.सी.पी. में (₹ 3,972 करोड़) तथा इसके एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 3,549 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

### कर संग्रहण पर व्यय

कर राजस्व 2006-11 के संग्रहण पर व्यय बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर करों के लिए 0.66 तथा 0.86 प्रतिशत, वाहनों पर करों के लिए 2.34 तथा 4.09 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क के लिए 0.91 तथा

1.30 प्रतिशत, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के लिए 0.51 तथा 1.23 प्रतिशत और माल एवं यात्रियों पर करों के लिए 0.30 तथा 0.50 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहा। तथापि, यह परिशिष्ट 1.7 में दिए गए विवरणानुसार कर संग्रहण पर किए गए अखिल भारतीय औसत व्यय से कम था।

### 1.3.2 करों की चोरी एवं पुनर्भुगतानों के कारण राजस्व की हानि

कर चोरी के 23,294 प्रकरणों में से (20,122 प्रकरण 2010-11 के दौरान तथा 3,172 प्रकरण 31 मार्च 2010 को लम्बित थे) 19,691 प्रकरणों में निर्धारण/जांच पूरी हो चुकी थी तथा जुर्माने सहित ₹ 18.07 करोड़ की अतिरिक्त मांग आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उठाई गई थी।

2010-11 के दौरान आबकारी एवं कराधान तथा बिजली विभागों द्वारा 3,856 प्रकरणों में ₹ 1,139.22 करोड़ की बकाया राशि के विरुद्ध 3,233 दावेदारों को ₹ 641.06 करोड़ वापस किये गये थे। ₹ 498.16 करोड़ की वापसियों से आवेष्टित शेष 623 प्रकरण आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित थे।

### 1.3.3 राजस्व के बकाया


राजस्व बकाया 2006-07 में ₹ 1,602 करोड़ से ₹ 1,822 करोड़ (115 प्रतिशत) तक बढ़कर 2010-11 में ₹ 3,444 करोड़ हो गये। इनमें से, ₹ 987 करोड़ (29 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे। बकाया मुख्यतः बिक्रियों, व्यापार, इत्यादि पर कर: ₹ 2,887 करोड़, स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर: ₹ 201 करोड़, बिजली पर कर एवं शुल्क: ₹ 128 करोड़, राज्य उत्पाद: ₹ 108 करोड़ तथा यात्री एवं माल भाड़े पर कर: ₹ 59 करोड़ के कारण थे। जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से प्रमाणित होता है, बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर कुल बकाया का 84 प्रतिशत हिस्सा बनता है। ₹ 775 करोड़ की राशि की मांगे उच्च-न्यायालय, ज्यूडिशियल एवं नान-ज्यूडिशियल प्राधिकारियों द्वारा अनुमत स्थगनों के कारण वसूल नहीं की जा सकी। राजस्व के बकायों के संग्रहण पर तुरंत ध्यान देने के साथ-साथ समयबद्ध ढंग से उनके उद्ग्रहण हेतु प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

## 1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें प्रमुख व्ययों की जिम्मेवारी सौंपी गई होती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व की वैधानिकताओं की रूप रेखा में रहते हुये घाटे अथवा उधारियों द्वारा दिये गए वित्त से सार्वजनिक व्यय में बढ़ौतरी के लिये बजटीय बाध्यताएं होती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू वित्तीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास की ओर निदेशित व्यय की लागत पर नहीं है।

### 1.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

पांच वर्षों (2006-2011) की अवधि के कुल व्यय में अवलोकित प्रवृत्तियों को चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.8 एवं 1.9 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.4 पांच वर्षों (2006 - 11) में पूंजीगत व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है:

तालिका 1.4: पूंजीगत व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)


	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पूंजीगत व्यय	2,428	3,426	4,502	5,218	4,031
वृद्धि दर (प्रतिशत)	51	41	31	16	(-)23
कुल व्यय से प्रतिशतता	12.80	16.13	17.75	16.67	12.19

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2006 - 11) की अवधि में कुल व्यय 74 प्रतिशत तक बढ़ गया। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय 73 प्रतिशत तक तथा पूंजीगत व्यय 66 प्रतिशत तक बढ़ गया। परन्तु वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय 2009 - 10 की तुलना में ₹ 1,187 करोड़ (23 प्रतिशत) तक कम हो गया। 2001-02 से 2009-10 तक के लिए पूंजीगत व्यय की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (17.19 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की संयुक्त वृद्धि दर (22.61 प्रतिशत) से कम थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए यह वृद्धि दर 11.87 प्रतिशत तक कम हो गई (परिशिष्ट 1.1)।


ऋणों एवं अग्रिमों का सवितरण भी 2006 - 07 से 2010 - 11 तक की अवधि के दौरान 290 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, कुल व्यय में एन.पी.आर.ई. का हिस्सा 2006 - 07 में 73 प्रतिशत से 2010 - 11 में 67 प्रतिशत तक कम हो गया।

2001-02 से 2009-10 के दौरान कुल व्यय की संयुक्त वृद्धि दर (14.74 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (13.53 प्रतिशत) से उच्चतर थी। 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए यह वृद्धि 13.67 प्रतिशत तक कम हो गई। 2010-11 के दौरान कुल व्यय अर्थात् ₹ 33,063 करोड़, गत वर्ष की तुलना में छः प्रतिशत तक बढ़ गया। प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय में कुल व्यय के द्विशाखन ने प्रकट किया कि प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा क्रमशः 32 तथा 68 प्रतिशत था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2006-07 के 86.23 प्रतिशत से 2010-11 में घटकर 85.62 प्रतिशत रह गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2006-07 में 12.80 प्रतिशत से 2010-11 में घटकर 12.19 प्रतिशत हो गया। सवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा 2006-07 के 0.97 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 2.19 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय से एन.पी.आर.ई. का अनुपात वर्ष 2010-11 पर 62.42 प्रतिशत से 66.72 प्रतिशत तक बढ़ गया। जी.एस.डी.पी. से एन.पी.आर.पी. का अनुपात 9.04 प्रतिशत से 8.56 प्रतिशत तक घट गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

व्यय के विभिन्न घटकों के परस्पर संबद्ध हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2006-07 में 27 प्रतिशत से 2010-11 में 29 प्रतिशत तक बढ़ गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2006-07 में 44 प्रतिशत से 2010-11 में 33 प्रतिशत तक घट गया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का सांझा हिस्सा, जिसने विकास व्यय प्रस्तुत किया, भी 2006-07 में 72 प्रतिशत से 2010-11 में 70 प्रतिशत तक घट गया।

राज्य का राजस्व व्यय मुख्यतः पेंशन (₹ 704 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 582 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय (₹ 1,573 करोड़) में वृद्धि के कारण 2009-10 में ₹ 25,257 करोड़ से 2010-11 में ₹ 28,310 करोड़ तक 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय भी शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति (₹ 690 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 101 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,002 करोड़ तक बढ़ गया। एन.पी.आर.ई. तथा प्लान राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) में राजस्व व्यय के विघटन ने दर्शाया कि एन.पी.आर.ई. का आनुपातिक हिस्सा पी.आर.ई. से महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर था। राजस्व व्यय में ₹ 3,053 करोड़ की कुल वृद्धि में एन.पी.आर.ई. तथा पी.आर.ई. के क्रमशः ₹ 2,517 करोड़ तथा ₹ 536 करोड़ समाविष्ट थे।

2010-11 में ₹ 22,059 करोड़ का एन.पी.आर.ई., ते.वि.आ. (₹ 15,790 करोड़) के मानकीय निर्धारण तथा एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 21,698 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से उच्चतर था किन्तु सरकार द्वारा इसके एफ.सी.पी. (₹ 22,944 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण के भीतर था (परिशिष्ट 1.6)।

#### 1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान और वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा परिदान समाविष्ट हैं। 2006-11 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.5 एवं चार्ट 1.10 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: प्रतिबद्ध व्यय के अवयव


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां, जिसका है	4,126 (23)	4,566 (23)	6,546 (35)	8,440 (40)	10,022 (41)	9,809* (38)
योजनेतर शीर्ष	3,784	4,292	6,069	7,746	9,142	8,974
योजना शीर्ष**	342	274	477	694	880	835
ब्याज भुगतान	2,265 (13)	2,346 (12)	2,339 (13)	2,737 (13)	3,913 (16)	3,319 (13)
पेंशन का व्यय	1,173 (7)	1,298 (7)	1,614 (9)	2,390 (11)	2,300 (9)	3,094 (12)
परिदान	3,852 (21)	3,057 (15)	3,190 (17)	3,089 (15)	3,274 (13)	3,285 (13)
<b>कुल</b>	<b>11,416</b>	<b>11,267</b>	<b>13,689</b>	<b>16,656</b>	<b>19,509</b>	<b>19,507</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना) नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

\* ₹ 136.90 करोड़ की मजदूरियां शामिल है।

\*\* योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

### वेतन एवं मजदूरियां

2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों (₹ 9,809 करोड़) पर व्यय 138 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2001-02 से 2009-10 के दौरान वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (13.65 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों (11.45 प्रतिशत) से अधिक थी। 2001-02 से 2010-11 की अवधि के लिए यह विकास दर 13.92 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय राज्य के अपने एफ.सी.पी. (₹ 9,500 करोड़) तथा ते.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 6,457 करोड़) से उच्चतर था किन्तु सरकार के एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 10,191 करोड़) के भीतर था (परिशिष्ट 1.6)।

### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 3,319 करोड़) पांच वर्ष (2006-11) की अवधि में 47 प्रतिशत तक बढ़ गए। गत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान ₹ 582 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों की प्रतिशतता 2006-11 के दौरान लगभग अनुकूल रही। 2010-11 के दौरान ब्याज भुगतान राज्य द्वारा अपने एफ.सी.पी. (₹ 3,509 करोड़) के प्रक्षेपणों, एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 3,573 करोड़) के प्रक्षेपणों तथा वर्ष 2010-11 के लिए ते.वि.आ. (₹ 3,474 करोड़) द्वारा किए गए निर्धारण के भीतर थे (परिशिष्ट 1.6)।

### पेंशन भुगतान

2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 3,094 करोड़) 164 प्रतिशत तक बढ़ गए किन्तु राजस्व प्राप्तियों को इसकी प्रतिशतता 2006-07 में सात से 2010-11 में 12 तक बढ़ गई। 2001-02 से 2009-10 के दौरान पेंशन पर संयुक्त वार्षिक विकास दर (17.52 प्रतिशत) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.09 प्रतिशत) से अधिक थी। 2001-02 से 2010-11 तक यह विकास दर 18.77 प्रतिशत तक बढ़ गई (परिशिष्ट 1.1)। 2010-11 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारणों (₹ 1,939 करोड़), राज्य द्वारा क्रमशः इसके एफ.सी.पी. (₹ 2,950 करोड़) तथा एम.टी.एफ.पी.एस.



(₹ 3,070 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से उच्चतर था (परिशिष्ट 1.6)। बढ़ते पेंशन दायित्वों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 से नई अंशदान पेंशन स्कीम शुरू की गई थी।

### परिदान

परिदानों का भुगतान 2006-07 में ₹ 3,852 करोड़ से ₹ 567 करोड़ (15 प्रतिशत) घटकर 2010-11 में ₹ 3,285 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत था। ₹ 3,285 करोड़ के कुल परिदानों में से ₹ 2,949 करोड़ (90 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे, जिसमें से अधिकतम ग्रामीण विद्युतीकरण (₹ 2,940 करोड़) के लिये थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल वास्तविक परिदान एफ.सी.पी. (₹ 3,200 करोड़) तथा एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 3,200.65 करोड़) में प्रक्षेपण के भीतर था। ₹ 336 करोड़ का शेष परिदान एफ.सी.पी. में प्रक्षेपण (₹ 280 करोड़) से ₹ 56 करोड़ तक उच्चतर था किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 385.99 करोड़) के भीतर था (परिशिष्ट 1.6)।

### कुल प्रतिबद्ध व्यय

वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 16,085 करोड़) सरकार द्वारा इसके एफ.सी.पी. में प्रक्षेपणों (₹ 15,959 करोड़) से ₹ 126 करोड़ तक अधिक था और एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित 58 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत संघटित किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियों, ब्याज, पेंशन भुगतानों तथा परिदानों ने 2010-11 के दौरान एन.पी.आर.ई. का 88 प्रतिशत संघटित किया।

### 1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.6 में दी गई है।

तालिका 1.6 : स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, आदि

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11		
					बजट अनुमान	वास्तविक	विभिन्नताओं की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थान (सहायित स्कूल, सहायित कालेज, विश्वविद्यालय, आदि)	247.53	459.65	538.49	446.03	987.97	741.79	(-) 25
नगर निगम एवम नगरपालिका	125.63	103.22	464.45	306.24	265.15	291.43	10
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	135.02	93.88	412.16	366.26	574.63	267.83	(-) 53
विकास अभिकरण	231.93	520.33	268.75	333.48	429.42	388.23	(-) 10
अस्पताल एवम धर्मार्थ संस्थाएं	20.32	49.46	46.80	125.79	331.89	211.97	(-) 36
अन्य संस्थाएं	161.51	345.05	322.72	368.89	243.35	322.21	32
<b>कुल</b>	<b>921.94</b>	<b>1,571.59</b>	<b>2,053.37</b>	<b>1,946.69</b>	<b>2,832.41</b>	<b>2,223.46</b>	<b>(-) 21</b>
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	6	9	10	8		8	

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आपूरित सूचना)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2006-07 में ₹ 921.94 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,223.46 करोड़ हो गई, 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय का आठ प्रतिशत रही। उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण प्रकट करता है कि वित्तीय सहायता 2009-10 में ₹ 1,946.69 करोड़ से 2010-11 के दौरान बढ़कर ₹ 2,223.46 करोड़ हो गई। गत वर्ष की तुलना में ₹ 276.77 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों (₹ 295.76 करोड़), अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 86.18 करोड़) तथा विकास

एजेसियों (₹ 54.75 करोड़) को अधिक सहायता दिये जाने के कारण थी। जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं, अन्य संस्थाओं तथा नगर निगमों एवं नगरपालिका समितियों को सहायता क्रमशः ₹ 98.43 करोड़, ₹ 46.68 करोड़ एवं ₹ 14.81 करोड़ तक घट गई। ₹ 2,832.41 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2,223.46 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई। बजट अनुमानों की तुलना में विकास एजेसियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं तथा जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव में निर्मुक्त की कमी की रेंज 10 से 53 प्रतिशत के मध्य थी। स्थानीय निकायों को ₹ 559.26 करोड़ की वास्तविक निर्मुक्त ते.वि.आ. के प्रक्षेपण (₹ 97.25 करोड़) से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

## 1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बढ़िया सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं का होना सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं उदाहरणार्थ व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कार्यकुशलता तथा उपयोग एवं प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

### 1.5.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपी गई सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक मूलभूत संरचना से संबद्ध व्यय जिम्मेवारियां बृहद् रूप से राज्य के विषय हैं। मानवीय विकास स्तरों को बढ़ाने के लिये राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना होता है। किसी विशेष क्षेत्र के साथ निम्न वित्तीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) जुड़ी होती है यदि यह संगत राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तालिका 1.7 विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2010-11 के दौरान वित्तीय प्राथमिकता एवं वित्तीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.7 : राज्य के 2007-08 और 2010-11 में राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./जी.एस.डी.पी.	डी.ई./ए.ई.	एस.एस.ई./ए.ई.	सी.ई./ए.ई.	शिक्षा/ए.ई.	स्वास्थ्य/ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत*(अनुपात) 2007-08	17.09	64.28	32.54	16.14	14.64	3.98
हरियाणा और अनुपात 2007-08	13.77	72.25	31.36	16.13	13.36	2.73
सामान्य श्रेणी राज्य औसत*(अनुपात) 2010-11	16.68	64.29	36.68	13.25	17.39	4.34
हरियाणा औसत (अनुपात)*2010-11	12.83	70.37	37.45	12.19	18.06	3.29

\* जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत  
 ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय  
 # विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और सवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।  
 जी.एस.डी.पी. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की।

तालिका 1.7 में 2007-08 एवं चालू वर्ष अर्थात 2010-11 में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों की दी गई वित्तीय प्राथमिकताओं की तुलना दर्शाती है।

### राजकोषीय प्राथमिकता:

- 2007-08 एवं 2010-11 दोनों में जी.एस.डी.पी. का अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में निम्नतर था।

- सरकार ने 2007-08 एवं 2010-11 में डी.ई. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी क्योंकि इसका ए.ई. से अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से उच्चतर था।
- 2007-08 में ए.ई. में एस.एस.ई. का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के तदनुसूची अनुपात से निम्नतर था, परन्तु सरकार ने 2010-11 में इस क्षेत्र को उचित प्राथमिकता दी क्योंकि ए.ई. में यह अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से उच्चतर था।
- 2007-08 तथा 2010-11 में ए.ई. से सी.ई. का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से निम्नतर था।
- ए.ई. से शिक्षा व्यय पर व्यय के अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया था जो 2007-08 में 13.36 प्रतिशत से 2010-11 में 18-06 प्रतिशत तक बढ़ गया। हरियाणा में शिक्षा को दी गई प्राथमिकता अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से उच्चतर थी।
- 2007-08 एवं 2010-11 में हरियाणा में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से कम थी। सरकार द्वारा स्वास्थ्य को उच्चतर राजकोषीय प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

### 1.5.2 व्यय प्रयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के लिये कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स<sup>5</sup> के प्रावधान पर जोर देना और समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना आवश्यक है। वर्तमान वर्षों में ऋण सेवा में कमी आने के कारण उत्पन्न राजकोषीय स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये, विकास व्यय<sup>6</sup> की ओर आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का कुल व्यय (और/अथवा जी.एस.डी.पी.) से अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और/अथवा जी.एस.डी.पी.) से अनुपात जितना उच्चतर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं

5 कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।

मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएँ हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिये तथा इसलिये उनकी खपत को प्रोत्साहित करना चाहता है। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइज्ड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

6 व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत लागत और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।

अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल हैं। 2006-07 से 2010-11 के दौरान राज्य के कुल व्यय से संबंधित विकास व्यय में प्रवृत्तियों को तालिका 1.8 दर्शाती है। चार्ट-1.11, 2006-11 के दौरान अवयववार व्यय को दर्शाती है। तालिका 1.9, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर खर्च किये गये पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के अवयवों के विवरणों को प्रस्तुत करती है।


तालिका 1.8: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	13,615(72)	15,346(72)	18,743(74)	23,103(74)	24,194(72)	23,266(70)
क) विकास राजस्व व्यय	11,242(59)	11,961(56)	14,294(56)	17,432(56)	19,491(58)	18,901(57)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	2,338(12)	3,255(15)	4,307(17)	5,031(16)	3,316(10)	3,832(12)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	35(0.18)	130(0.61)	142(0.56)	640(2)	1,387(4)	533(1)

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में दिए गए अंक कुल व्यय की प्रतिशतता के सूचक हैं)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान विकास व्यय 71 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 70 प्रतिशत संघटित किया, 2009-10 में ₹ 23,103 करोड़ से मात्र ₹ 163 करोड़ (0.45 प्रतिशत) बढ़कर 2010-11 में ₹ 23,266 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 81 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 19 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान विकास पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत तक कम हो गया जो इंगित करता है कि परिसम्पत्तियों के सृजन पर कम व्यय किया गया था। यह व्यय इसके बजट अनुमानों के भीतर था। ₹ 24,194 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 23,266 करोड़ था।

## तालिका 1.9: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की दक्षता

(₹ करोड़ में)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2009-10			2010-11		
	सी.ई. से टी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा		सी.ई. से टी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा	
		एस. एवं डब्ल्यू	ओ. एण्ड एम.		एस. एण्ड डब्ल्यू	ओ. एण्ड एम.
सामाजिक सेवाएं (एस.एस.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.021	68.00	0.02	0.013	67.61	0.69
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.068	76.38	0.03	0.017	74.46	- <sup>7</sup>
जल सप्लाई, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.413	35.41	7.13	0.463	36.63	7.08
<b>कुल</b>	<b>0.116</b>	<b>64.60</b>	<b>1.08</b>	<b>0.122</b>	<b>63.91</b>	<b>1.55</b>
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं सम्बन्धित कार्य	0.478	50.94	1.55	0.126	46.81	1.61
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.462	22.28	13.77	0.458	49.86	7.43
विद्युत एवं ऊर्जा	0.244	0.06	-	0.181	0.03	-
परिवहन	0.475	36.85	27.22	0.392	44.37	19.89
<b>कुल (ई.एस.)</b>	<b>0.385</b>	<b>20.97</b>	<b>8.62</b>	<b>0.278</b>	<b>26.10</b>	<b>5.78</b>
<b>कुल (एस.एस. + ई.एस.)</b>	<b>0.264</b>	<b>44.51</b>	<b>4.56</b>	<b>0.200</b>	<b>46.85</b>	<b>3.46</b>

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

टी.ई.: कुल व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय, आर.ई.: राजस्व व्यय, एस. एण्ड डब्ल्यू.: वेतन एवं मजदूरियां, ओ. एण्ड एम.: कार्य एवं रख-रखाव।

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2009-10 में 0.116 से 2010-11 में 0.122 तक बढ़ हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2009-10 में 0.385 से 2010-11 में 0.278 तक कम हो गया।

वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2009-10 में 64.60 प्रतिशत से 2010-11 में 63.91 प्रतिशत तक घट गया। ओ. एवं एम. पर व्यय का हिस्सा 2010-11 में 1.08 से 1.55 प्रतिशत तक बढ़ गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2009-10 में 20.97 प्रतिशत से 2010-11 में 26.10 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, ओ. एण्ड एम. का हिस्सा 2009-10 में 8.62 प्रतिशत से 2010-11 में 5.78 प्रतिशत तक घट गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2009-10 में 44.51 प्रतिशत से 2010-11 में 46.85 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, ओ. एण्ड एम. का हिस्सा 2009-10 में 4.56 प्रतिशत से 2010-11 में 3.46 प्रतिशत तक घट गया।

## 1.5.3 फ्लैगशिप योजनाएं: व्यय की स्थिति

भारत सरकार द्वारा 27 केन्द्रीय सैक्टर और राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संभावित प्रभावों को पहचानते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सम्बन्धित योजनाओं की फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में पहचान की है। निम्नलिखित राशियां केन्द्र सरकार, मंत्रालयों द्वारा हरियाणा सरकार को उनके कार्यकलापों और विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/एन.जी.ओ.ज को 2010-11 के दौरान स्कीमों के लिए निर्मुक्त की गई थी।

<sup>7</sup> 0.01 से कम।

तालिका 1.10: हरियाणा में कार्यान्वित फ्लैगशिप स्कीमों के अन्तर्गत व्यय निधियों की उपलब्धता से तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों के व्यय की प्रतिशतता
		जी.ओ.आई.	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	250.91	28.07	-	278.98	278.66	100
2	एकत्रित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (मरूस्थल विकास कार्यक्रम)	5.84	1.52	66.35	73.71	28.74	39
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट	113.77	5.53	59.57	178.87	213.68	119
4	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	0.00	16.00	-	16.00	16.00	100
5	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	39.53	-	-	39.53	27.66	70
6	इन्दिरा आवास योजना	59.75	19.92	6.50	86.17	78.08	90
7	सर्व शिक्षा अभियान	364.40	250.31	132.31	747.02	645.41	86
8	ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम (क) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम (ख) मरूस्थल विकास कार्यक्रम	178.36	237.00	99.94	515.30	336.71	65
9	दोपहर भोजन स्कीम	145.06	66.42	28.02	239.50	209.65	88
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	160.29	10.58	-	170.87	132.67	78
11	राष्ट्रीय उपवन मिशन	51.50	9.09	2.49	63.08	60.20	95
12	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	109.39	--	-	109.39	109.39	100
13	कृषि का वृहत प्रबंध जिसमें वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशैड विकास परियोजना और विस्तार सेवाएं सम्मिलित हैं।	13.34	1.48	0.01	14.83	14.50	98
14	राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	--	1.34	-	1.34	1.34	100
15	तेल बीजों, दालों और मक्का पर एकीकृत स्कीम	5.03	2.29	1.85	9.17	8.56	93
16	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन		84.89	-	84.89	86.40	102
17	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान		7.35	-	7.35	7.35	100
18	राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना	110.60	10.38	38.68	159.66	47.42	30
19	त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम	28.46	5.92	27.14	61.52	8.73	14
20	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	53.24	-	-	53.24	48.50	91

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचना)

तालिका 1.10 दर्शाती है कि एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (मरूस्थल विकास कार्यक्रम), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार स्कीम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम (ख) मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 14 और 70 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

### 1.6 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के गठन के बाद, राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधारों) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित स्रोतों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन में, सरकार को अन्तर्निहित परिदानों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने और वित्तीय परिचालनों में निष्पक्षता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। यह धारा पिछले वर्षों की तुलना में 2010-11 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

### 1.6.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2011 के अंत में ₹ 411.61 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली सात सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2010-11 में इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 169.47 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 41 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 247.53 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) को वहन करने के बाद, ₹ 98.64 करोड़ की हानि हुई, जो इन परियोजनाओं पर पूंजीगत लागत का 24 प्रतिशत थी।

### 1.6.2 अधूरी परियोजनायें

31 मार्च 2011 को अधूरी परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागवार सूचना तालिका 1.11 में दी गई है। अधूरी परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि यथा 31 मार्च 2011 पहले ही समाप्त हो चुकी है।

तालिका 1.11: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक वजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत*	मार्च 2011 तक का कुल व्यय
भवन एवं सड़क	21	88.87	-	41.24
कुल	21	88.87	-	41.24

(स्रोत: 2010-11 के लिए राज्य वित्तीय लेखे)

इन परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि अगस्त 2008 और मार्च 2011 के बीच थी, परन्तु ये छः से 37 माह तक परिवर्ती समय फैलाव सहित अपूर्ण थी। इन परियोजनाओं के पूर्ण करने में देरी के कारणों को विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

### 1.6.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2011 तक सरकार ने साविधिक विभागों, ग्रामीण बैंकों, साझा स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 6,376.98 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.12)। पिछले पांच वर्षों में इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.14 प्रतिशत था जबकि 2006-11 के दौरान अपनी उधारों पर सरकार ने ब्याज की औसत दर 8.59 प्रतिशत अदा की।

तालिका 1.12 : निवेशों की वापसी

निवेश/वापसी/उधारों की लागत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,058.05	3,988.43	5,031.32	5,575.18	802.47	6,376.98
वापसी (₹ करोड़ में)	5.62	6.05	8.27	9.60	3.77	2.48
वापसी (प्रतिशत)	0.18	0.15	0.16	0.17	0.47	0.04
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.20	7.43	7.82	9.29	8.46	9.22
ब्याज दर और वापसी के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.02	7.28	7.66	9.12	7.99	9.18

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2006-07 से 2010-11 तक पांच वर्षों की अवधि में 109 प्रतिशत तक बढ़ गए जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2006-07 में ₹ 5.62 करोड़ से 2010-11 में ₹ 2.48 करोड़ तक घट गए। निवेशों से प्रतिलाभ भी 2006-07 में 0.18 से 2010-11 में 0.04 तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2006-11 के दौरान 7.43 से 9.29 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता अवधि के दौरान 0.04 तथा 0.18 के मध्य रही। 2010-11 के दौरान ₹ 801.80 करोड़ का निवेश बजट प्रावधान (₹ 802.47 करोड़) के अन्तर्गत था।

2010-11 तक ₹ 5,776 करोड़ के कुल निवेश सहित 11 सरकारी कम्पनियां नुकसान उठा रही थी और 2010-11 तक इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 6,170 करोड़ हो गई (अनुलग्नक 1.8)। यह देखना उपयुक्त है कि 2010-11 में सरकार द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल.<sup>8</sup> (₹ 228 करोड़), डी.एच.बी.वी.एन.एल.<sup>9</sup> (₹ 80 करोड़), एच.पी.जी.सी.एल.<sup>10</sup> (₹ 103 करोड़) तथा एच.वी.पी.एन.एल.<sup>11</sup> (₹ 385 करोड़) की साम्या पूंजी में कुल ₹ 796 करोड़ (99 प्रतिशत) का निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान इन चार<sup>12</sup> विद्युत वितरण कम्पनियों की ₹ 5,715 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों (₹ 6,170 करोड़) का 93 प्रतिशत संघटित किया। मुख्यतः वित्तीय प्रबन्ध, योजना, परियोजना के कार्यान्वयन, इसके परिचालनों एवं मानिट्रिंग में कमियों के कारण नुकसान हुए। इस प्रकार, सरकार को अच्छे प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिये न केवल उच्च लागत उधारों को अधिक सूझबूझ से निवेश करने की ही जरूरत है बल्कि अपनी साम्या को नुकसान उठाने वाली इकाईयों से निकालने की भी जरूरत है।

ते.वि.आ. ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यूज) को बन्द करने के साथ-साथ उनके विनिवेश एवं निजीकरण पर विचार करने के लिए मार्च 2011 तक रोडमैप तैयार करना चाहिए। 31 मार्च 2011 को सात<sup>13</sup> अक्रियाशील पी.एस.यूज (सभी कम्पनियां) थे। इनमें से दो<sup>14</sup> पी.एस.यूज समापनाधीन थे किन्तु उनके परिसमापन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने अक्रियाशील पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य भी आरंभ नहीं किया था।

ते.वि.आ. ने मीटरिंग, फीडर पृथक्करण, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमज के प्रवेश, सवितरण ट्रांसफार्मरज की मीटरिंग तथा कठोर एंटी-थैफ्ट उपायों के माध्यम से पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने की सिफारिश भी की थी। राज्य सरकार ने पहचान किए गए माइलस्टोनज के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त वचनबद्धता के रूप में जी.ओ.आई., विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए (12 फरवरी 2001)।

8 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

9 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

10 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

11 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

12 हानियां: यू.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 3,691 करोड़), डी.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 1,894 करोड़), एच.पी.जी.सी. (₹ 108 करोड़) तथा एच.वी.पी.एन. (₹ 22 करोड़)।

13 (i) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम, (ii) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, (iii) हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड (iv) हरियाणा टैनरीज लिमिटेड, (v) हरियाणा राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड, (vi) हरियाणा खनिज लिमिटेड तथा (vii) हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड।

14 (i) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा (ii) हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड।



राज्य सरकार ने सभी संवितरण फीडरों तथा सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग पहले ही पूर्ण कर ली थी। पारेषण एवं संवितरण हानियां 2007-08 तक 15.50 प्रतिशत तक कम की जानी अपेक्षित थी किन्तु यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि वर्ष 2009-10 के लिए ये हानियां 26.46 प्रतिशत थी।

#### 1.6.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उद्यमों द्वारा अर्ध-सरकारी प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये हैं, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में लगाई गई पूंजी से प्रतिलाभ *अनुलग्नक 1.9* में दी गई है। यह देखा गया है कि:

- उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक राज्य सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में ₹ 3,223.28 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- कुल उपक्रमों में से केवल दो ने ₹ 27.73 करोड़ के निवेशित पूंजी के विरुद्ध ₹ 1.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया जिससे 4.76 प्रतिशत के प्रतिलाभ की दर प्राप्त हुई (कृषि विभाग-कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण और मुद्रण एवं लेखन सामग्री-राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना)।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से एक उपक्रम जो पांच वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चला (हरियाणा रोडवेज) और एक उपक्रम, जिसका नाम कृषि विभाग है (बीज डिपो योजना), ने पिछले 23 वर्षों से प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।
- ₹ 3,177.94 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध इन तीन<sup>15</sup> विभागीय उपक्रमों में से दो की संचित हानियां ₹ 284.30 करोड़ थी।

#### 1.6.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से भी कई को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती रही है। तालिका 1.13 31 मार्च 2011 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

<sup>15</sup> कृषि विभाग (बीज डिपो योजना): ₹ 0.10 करोड़, खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति योजना): ₹ 153.37 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 131.30 करोड़।

तालिका 1.13: राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों / ब्याज प्राप्तियों / उधारों की लागत की प्रमात्रा	2008-09	2009-10	2010-11	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	1,897	1,877		2,494
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	332	830	1,602	722
वर्ष के दौरान वापसी की गई राशि	352	213	228	233
<b>अन्त शेष</b>	<b>1,877</b>	<b>2,494</b>		<b>2,983</b>
जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई के लिये लम्बित शेष	1,877	2,494		2,983
निवल योग	(-)20	617	1,374	489
ब्याज प्राप्तियां	53	73	87	54
लम्बित ऋणों व अग्रिमों की ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	2.81	3.34		1.97
राज्य सरकार की लम्बित राजकोषीय देयताओं के ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	7.25	6.96	8.79	7.17
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच का अन्तर (प्रतिशत)	4.44	3.62		5.20

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखे)

31 मार्च 2010 को ₹ 2,494 करोड़ की बकाया राशि के विरुद्ध 31 मार्च 2011 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 2,983 करोड़ था। 2010-11 में दिये गये ऋणों पर ब्याज प्राप्ति 1.97 प्रतिशत थी और 2010-11 के दौरान सरकारी उधारों पर 9.22 प्रतिशत की भारित ब्याज दर से कम थी। ऋणों एवं अग्रिमों के विरुद्ध वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 54 करोड़ का ब्याज बजटीय प्रक्षेपणों (₹ 87 करोड़) से काफी कम था। वर्ष के दौरान दिये गये ₹ 722 करोड़ में से ₹ 246.82 करोड़ सामाजिक सेवाओं (सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए मूलभूत संरचना विकास निधियों से ऋण), ₹ 286.45 करोड़ आर्थिक सेवाओं (₹ 223.56 करोड़ विद्युत परियोजनाओं के लिए, ₹ 12.31 करोड़ उद्योग एवं खनिजों के लिए तथा ₹ 50.41 करोड़ सहकारिता के लिए) और ₹ 188.60 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम दिए गए।

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, जो जुलाई 2002 में बंद हो गई थी, के विरुद्ध ₹ 176.31 करोड़ के ऋण बकाया थे। वर्ष 2010-11 के प्रारम्भ में सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 690.90 करोड़ का ऋण बकाया था। पिछले ऋणों की किसी वसूली के बिना इन चीनी मिलों को ₹ 50 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

जलापूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगर निगमों/सुधार ट्रस्टों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 38.10 करोड़), जिनके विस्तृत लेखे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चंडीगढ़ (पी.ए.जी. (ए. एण्ड ई.) में रखे गए थे; तथा ₹ 74.32 करोड़ के ब्याज, तालिका 1.14 में वर्णित अनुसार, 2010-11 के अन्त तक वसूली के लिए विलम्बित थे।

तालिका 1.14: विलम्बित ऋण एवं अग्रिम तथा उन पर ब्याज

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूलधन	ब्याज
2007 तक	30.24	62.86
2008-09	2.62	3.82
2009-10	2.62	3.82
2010-11	2.62	3.82
<b>कुल</b>	<b>38.10</b>	<b>74.32</b>

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

ऋणों, जिनके विस्तृत लेखे पी.ए.जी. (ए. एण्ड ई.) द्वारा रखे गए थे, के संबंध में 4,139 मामलों में ₹ 15.38 करोड़ के ऋणों की स्वीकृतियां सरकारी विभागों/संस्थाओं से प्रतीक्षित थी। इनमें से ₹ 12.13 करोड़ के ऋणों से आवेष्टित 24 मामलों में स्वीकृतियां 15 वर्षों से अधिक पुरानी थी जबकि शेष मामलों में स्वीकृतियां 10 से 15 वर्षों से प्रतीक्षित थी।

प्रशासनिक विभागों से ऋणों, जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं, के मूलधन एवं ब्याज की वसूली में बकाये प्रत्येक वर्ष जुलाई तक पी.ए.जी. (ए. एण्ड ई.) को सूचित करने अपेक्षित हैं। 2010-11 के दौरान 14 विभागीय अधिकारियों से 219 विवरणियां देय थी जिनमें से तीन विभागों से मात्र 28 विवरणियां प्राप्त की गई थी।

### 1.6.6 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों में से सरकार द्वारा किये गये निवेशों को तालिका 1.15 दर्शाती है।

तालिका 1.15: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2010 को	31 मार्च 2011 को	बढ़त (+)/ घटत (-)
रोकड़ शेष	493.42	376.84	(-)116.58
रोकड़ शेषों के निवेश (क से घ)	103.34	683.53	(+)580.18
क) भारत सरकार के कोषालय बिल	103.34	683.53	(+)580.18
ख) भारत सरकार सुरक्षाएं			-
ग) अन्य सुरक्षाएं			-
घ) अन्य निवेश			-
निवेशों से निर्धारित शेषों का निधिवार विघटन (क से ड)	1,517.63	1,455.13	(-)62.50
क) शोधन निधि	387.94	523.85	(+)135.91
ख) विकास स्कीमों के लिए निधियां	0.11	0.11	-
ग) हरिजन उत्थान के लिये गांव पुनर्निर्माण निधियां	2.19	2.19	-
घ) आपदा प्रबन्ध निधि	1,067.99	864.74	(-)203.25
ड) गारंटी विमोचन निधि	59.40	64.24	(+)4.84
ब्याज प्राप्त	25.40	40.59	(+)15.19

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखे)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 493.42 करोड़ से घटकर ₹ 376.84 करोड़ रह गया। रोकड़ शेषों में से निवेश ₹ 103.34 करोड़ से बढ़कर ₹ 683.53 करोड़ हो गया। तथापि, चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2010 को ₹ 1,517.63 करोड़ से ₹ 62.50 करोड़ तक घट कर ₹ 1,455.13 करोड़ हो गया जो मुख्यतः आपदा राहत निधि [₹ (-)203.25 करोड़] में से निवेश के कारण था। 2009-10 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 25.40 करोड़) से 2010-11 के दौरान निवेशों पर प्राप्त ₹ 40.59 करोड़ के ब्याज से ₹ 15.19 करोड़ (60 प्रतिशत) उच्चतर था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2010-11 के दौरान आठ दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 670.48 करोड़ रखा गया था जिसके लिए 7.25 प्रतिशत की दर पर ₹ 1.16 करोड़ का ब्याज दिया गया था।



## 1.7 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं


### 1.7.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

विद्यमान सरकारी लेखांकन पद्धति में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2011 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2010 की सदृश स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 भाग (क) एवं (ख)** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताएं मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और सुरक्षित निधि से प्राप्तियों से बनती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यतः पूंजी लागत और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को समाविष्ट करती हैं।

जैसा कि एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में परिभाषित किया गया है “कुल देयता” से अभिप्राय राज्य की संचित निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करेगा।

### 1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2010 - 11 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.12** और **1.13** में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2009 - 10 में ₹ 39,337 करोड़ से बढ़कर 2010 - 11 में ₹ 46,282 करोड़ हो गई। मुख्यतः लोक ऋण (₹ 5,871 करोड़), अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि प्राथमिक (₹ 748 करोड़) और जमा (₹ 317 करोड़) की प्राप्ति में बढ़ोतरी के कारण 2010 - 11 के दौरान उत्पादकता दर पिछले साल के

मुकाबले 17.66 प्रतिशत थी। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई और 2006-07 में 0.220 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 0.180 प्रतिशत हो गया। 2010-11 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 1.81 गुणा और राज्य के अपने स्रोतों का 2.29 गुणा थी। वर्ष 2010-11 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 3,319 करोड़ (7.17 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 46,282 करोड़ की राजकोषीय देयताएं 2010-11 हेतु राज्य सरकार के एम.टी.एफ.पी.एस. तथा एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित क्रमशः ₹ 44,799 करोड़ तथा ₹ 46,157 करोड़ की सीमा से उच्चतर थी (परिशिष्ट 1.6)।

सरकार ने 2002-03 के दौरान एक समेकित ऋण-निधि स्थापित कर ली है। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। 31 मार्च 2011 को ऋण-निधि में अंत शेष ₹ 525.98 करोड़ था।

### 1.7.3 गारंटियों-आकस्मिक देयताओं की स्थिति

उधार लेने वाले, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, के दोषी हो जाने पर, गारंटियां वे देयताएं हैं जो राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक आ जाती है। राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर सरकार जिस सीमा के अन्तर्गत गारंटियां दे सकती है, उसके लिये संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार अधिकतम राशि, जिसके लिये राज्य द्वारा गारंटी दी गई और पिछले तीन वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारन्टी	2008-09	2009-10	2010-11	
			बजट अनुमान	वास्तविक
अधिकतम गारन्टीड राशि	5,188	4,757	3,700	5,515
लम्बित गारन्टीड राशि	4,575	4,565	3,700	4,528
कुल राजस्व प्राप्तियों की अधिकतम गारन्टीड राशि की प्रतिशतता	28	23	15	22
राज्य के अपने एफ.सी.पी. के अनुसार मानदण्ड	3,400	3,200		2,500

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2010-11 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों की ओर कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2011 को ₹ 4,528 करोड़ की गारंटियों की बकाया राशि निगमों और बोर्डों (₹ 173 करोड़), सहकारी बैंक और समितियों (₹ 1,955 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 972 करोड़) और विद्युत (₹ 1,428 करोड़) के संबंध में थी।

कुल देयताओं में से आकस्मिक देयताओं के लिये 2003-04 के दौरान राज्य सरकार ने गारंटी ऋण विमोचन निधि का संघटन किया। 31 मार्च 2011 को निधि में शेष ₹ 64.24 करोड़ था। गारंटी ऋणविमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को बकाया आमन्त्रित गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि, वर्ष के दौरान जुड़ने वाली गारंटियों के परिणामस्वरूप आमन्त्रित होने वाली राशियों को जोड़कर राशि प्रदान करनी थी। राज्य सरकार ने निधि ₹ 4.84 करोड़ का अंशदान किया जो कि लम्बित गारंटियों का मात्र 0.11 प्रतिशत था। तथापि, 31 मार्च 2011 को ₹ 4,528 करोड़ की बकाया गारंटी वर्ष के लिये राज्य की एफ.सी.पी. में वर्ष के लिए

दिए गए ₹ 2,500 करोड़ के प्रक्षेपण से अधिक थी। 2010-11 के दौरान गारंटियों (₹ 50,810 करोड़) को शामिल करके कुल देयताएं जी.एस.डी.पी. का 19.71 प्रतिशत थी जो वर्ष हेतु एफ.सी.पी. में विचार किये गये 22.4 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र की सरकारी कम्पनियों के हक में ₹ 6,010 करोड़ के कुल ऋणों के लिए लैटर्स ऑफ कम्फर्ट जारी किये, जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2011 को ₹ 4,976 करोड़ बकाया था, जिससे आकस्मिक देयताओं का सृजन हुआ। यह राशि यदि लम्बित देयताओं (₹ 55,786 करोड़) में सम्मिलित की जाए, जी.एस.डी.पी. का 21.64 प्रतिशत होगी।

#### 1.7.4 सार्वजनिक निजी साझेदारियों में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास, जो कि आर्थिक वृद्धि स्थिर रखने के लिए पूर्वापेक्षा है, प्रदान करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना विकास की सार्वजनिक निजी साझेदार (पी.पी.पी.) प्रणाली अपनाई।

इसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने ₹ 114.94 करोड़ की कुल अनुमानित लागत सहित छः परियोजनाएं पूर्ण की (परिशिष्ट 1.10)। ₹ 64,336.58 करोड़ की अनुमानित लागत सहित 21 पी.पी.पी. परियोजनाएं (परिशिष्ट 1.11) कार्यान्वयन अधीन थी तथा 34 परियोजनाएं (परिशिष्ट 1.12) राज्य सरकार के विचाराधीन थी।

#### 1.7.5 रिजर्व फंड के अधीन शेष

2010-11 के आरंभ में रिजर्व फंड के अधीन आरंभ शेष ₹ 1,839.94 करोड़ था। ₹ 317.04 करोड़ के जोड़ने तथा ₹ 370.61 करोड़ के सवितरण के पश्चात् ₹ 1,786.37 करोड़ के शेष सहित निधि बन्द की गई थी। इसमें से राज्य डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (आपदा राहत निधि) ₹ 1,127.96 करोड़ के शेष सहित 1 अप्रैल 2011 की शुरु की गई तथा ₹ 116.16 करोड़ की प्राप्ति एवं ₹ 319.41 करोड़ के सवितरण के पश्चात् 31 मार्च 2011 को ₹ 924.71 करोड़ पर बन्द की गई थी। सिकिंग निधि में 2010-11 में ₹ 390.07 करोड़ का आरंभ शेष था। वर्ष के दौरान ₹ 135.91 करोड़ (₹ 105.68 करोड़: अंशदान तथा ₹ 30.24 करोड़: निवेश पर आय) प्राप्त किए गए थे किन्तु निधि से कोई सवितरण नहीं किए गए थे। निधि को ₹ 525.98 करोड़ पर बन्द किया गया था।

राज्य डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से ₹ 319.41 करोड़ का व्यय खजाने के माध्यम की बजाए कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः प्रदत्त चैकों के माध्यम से किया गया था। इसी प्रकार, ₹ 222.96 करोड़ की राशि के राज्य डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड निवेश खाते के अन्तर्गत सावधि जमा प्राप्तियों की विनिवेश प्राप्ति भी खजानों के माध्यम से नहीं भेजी गई थी।

### 1.8 ऋण पोषण

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण पोषण<sup>16</sup> को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का

16. ऋण पोषण, काफी समय तक लगातार ऋण-जी.डी.पी. अनुपात कायम करने के लिये राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषणता वर्तमान या सौंपे गये दायित्व की पूर्ति के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता को बढ़ाने से मेल खानी चाहिये।

विश्लेषण करना आवश्यक है। यह खण्ड ऋण स्थिरीकरण<sup>17</sup>; गैर- ऋण प्राप्तियों<sup>18</sup> की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों<sup>19</sup> की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा मापकर) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संबंध में राज्य सरकार के ऋण का पोषण निर्धारित करता है। तालिका 1.17, 2006-07 से प्रारम्भ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.17: ऋण स्थिरता: सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के सूचक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फेलाव + प्राथमिक घाटा)	6,857	4,027	(-) 1,283	(-) 5,594	(-) 17
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसधान अंतराल)	1,464	(-) 2,443	(-) 5,293	(-) 3,533	2,831
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 392	(-) 1,709	1,113	4,682	3,564
ब्याज भुगतान का भार (आई.पी./आर.आर.अनुपात)	13	12	13	13	13
राज्य ऋणों की पूर्ण होने की स्थिति (वर्षों में)					
0 - 1			1,153.46 (5)	14,930.27 (6)	3,275.07(9)
1 - 3			2,790.89 (12)	28,167.40 (12)	4,314.32(12)
3 - 5			3,892.16 (17)	29,221.95 (13)	4,431.02(13)
5 - 7			3,871.19 (17)	28,592.97 (13)	2,115.30(6)
7 - 9				29,287.36 (13)	8,401.90(24)
9-11				30,204.86 (13)	6,039.07(17)
11-13				26,336.62 (12)	1,568.11(5)
13-15				26,239.50 (12)	1,517.14(4)
15 तथा ऊपर				13,288.80 (6)	3,002.11(9)

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

ऋण स्थिरता के चार सूचकों में से राज्य ने तीन सूचकों पर अच्छा काम किया। प्रत्येक सूचक की स्थिति निम्नानुसार थी:

यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रसारित प्रमात्रा शून्य है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। प्राथमिक घाटे सहित प्रसारित प्रमात्रा 2009-10 में (-) ₹ 5,594 करोड़ से 2010-11 में (-) ₹ 17 करोड़ तक बढ़ गई। तथापि, ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात अभी तक ऋणात्मक था। इसने इंगित

- स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ती दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण - जी.डी.पी. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयमित ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (जी.एस.डी.पी. बढ़ती दर - ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण/दर प्रसार), ऋण पोषण शर्तें बताती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण - जी.एस.डी.पी अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।
- राज्य की वर्धित गैर - ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर - ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।
- कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियों) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।

किया कि राज्य की ऋण स्थिरता में 2010-11 में सुधार हुआ। राज्य को ऋणों की स्थिरता के लिए आगे सुधारात्मक उपाए करने की आवश्यकता है ताकि प्रसारित प्रमात्रा जमा प्राथमिक घाटा दोनों धनात्मक बनें।

राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय के मध्य सकारात्मक स्रोत अन्तर ऋण स्थिर रखने में सरकार की क्षमता में वृद्धि इंगित करता है।

उधार ली गई निधियों से निवल निधियों की उपलब्धता स्थिति 2008-09 में ₹ 1,113 करोड़ से 2010-11 में ₹ 3,564 करोड़ हो गई। 2010-11 के दौरान सरकार ने ₹ 4,450 करोड़ के मार्किट ऋण लिए (₹ 650 करोड़ जिन पर 8.38 प्रतिशत ब्याज, ₹ 600 करोड़ जिन पर ₹ 8.52 प्रतिशत ब्याज, ₹ 600 करोड़ जिन पर 8.50 प्रतिशत ब्याज, ₹ 800 करोड़ और ₹ 1,000 करोड़ जिन पर क्रमशः 8.07 प्रतिशत और 8.57 प्रतिशत ब्याज था)।

2006-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगी का अनुपात लगभग स्थिर था जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किए गए 15 प्रतिशत के लक्ष्य के बराबर था।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा, जैसा कि तालिका 1.17 में दिया गया है, इंगित करती है कि राज्य सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य 12 प्रतिशत, तीन से पांच वर्षों के मध्य 13 प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य छः प्रतिशत और सात से नौ वर्षों के मध्य 24 प्रतिशत, नौ से 11 वर्ष के मध्य 17 प्रतिशत और 11 से 13 वर्ष के मध्य पांच प्रतिशत, 13 से 15 वर्ष के मध्य चार प्रतिशत और 15 वर्ष के बाद नौ प्रतिशत की दर से पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपना वित्त पोषण सुधारना होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त उधार, जो इन समीक्षित वर्षों में परिपक्व होने हों, नहीं लिए जाएं, सरकार द्वारा एक सुनियोजित ऋण पुनर्भुगतान योजना तैयार की जानी चाहिए।

ऊपर वर्णित सभी अनुच्छेदों का निष्कर्ष यह है कि यदि उधारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता तो राज्य को ऋण सेवाओं में गंभीर समस्या होगी।


## 1.9 राजकोषीय असंतुलन

एक निश्चित समयावधि के दौरान तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने अर्थात् राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे राज्य सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखाओं में घाटा, इसके स्रोतों एवं वचनबद्धताओं के मध्य अन्तर का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की द्योतक है। आगे, वे तरीके जिनसे घाटे का वित्तपोषण किया जाता है और बनाये गये स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के आवश्यक संकेतक है। यह खण्ड, इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2010-11 के लिये एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।



### 1.9.1 घाटों की प्रवृत्तियां

2006-11 की समयावधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियां चार्ट 1.14 में प्रस्तुत है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

### तालिका 1.18: 2006-11 की अवधि में घाटा सूचकों की प्रवृत्तियां

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आर.डी./जी.एस.डी.पी.	0.012	0.014	(-) 0.011	(-) 0.020	(-) 0.011
एफ.डी./जी.एस.डी.पी.	0.009	(-) 0.008	(-) 0.036	(-) 0.047	(-) 0.028
पी.डी./जी.एस.डी.पी.	0.026	0.007	(-) 0.023	(-) 0.034	(-) 0.015

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है, 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना है तथा तत्पश्चात एफ.आर.बी.एम. के अनुसार राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जाना है। 2006-07 तथा 2007-08 में प्राप्त किए गए आधिक्य ने 2008-09 से अधोगामी प्रवृत्ति इंगित की। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा, जो 2009-10 में क्रमशः ₹ 4,264 करोड़, ₹ 10,090 करोड़ तथा ₹ 7,353 करोड़ तक बढ़ गए, ने 2010-11 में कुछ सुधार दर्शाया तथा क्रमशः ₹ 2,746 करोड़, ₹ 7,258 करोड़ तथा ₹ 3,939 करोड़ पर स्थिर रहे।

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,571 करोड़ की वृद्धि के कारण राजस्व घाटा कम हो गया (₹ 1,518 करोड़)। 2009-10 में ₹ 5,218 करोड़ से 2010-11 में ₹ 4,031 करोड़ तक पूंजीगत व्यय (₹ 1,187 करोड़) में कमी से युग्मित राजस्व घाटे में कमी से राजकोषीय घाटे (₹ 2,832 करोड़) में कमी हुई जो जी.एस.डी.पी. का 2.82 प्रतिशत था तथा वर्ष के लिए एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर था। राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में कमियों के परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटे में 2009-10 में ₹ 7,353 करोड़ से 2010-11 में ₹ 3,939 करोड़ तक कमी हुई।

राजस्व घाटा वर्ष 2010-11 के लिए एफ.सी.पी. में किए गए ₹ 2,047 करोड़ के प्रक्षेपणों से अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।

**1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त प्रबन्ध पद्धति**

तालिका 1.19 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त प्रबन्ध पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2010-11 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त प्रबन्ध घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां तथा सवितरण तालिका 1.20 में दिए गए हैं।

**तालिका 1.19: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पद्धति**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय घाटे का विघटन	(+) 1,179	(-) 1,264	(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258
1 राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(+) 1,590	(+) 2,224	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 2,428	(-) 3,416	(-) 4,495	(-) 5,209	(-) 4,023
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(+)2,016	(-) 72	20	(-) 617	(-) 489
<b>राजकोषीय घाटे की वित्तीय पद्धति</b>					
1 मार्केट उधारियां	(-) 147.40	(-) 253.73	2,504.54	3,683.68	4,157.63
2 भारत सरकार ऋण	(-) 90.24	(-) 44.98	(-) 47.46	(-) 34.16	183.71
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष सुरक्षाएं	1,099.05	50.56	(-) 79.73	534.43	934.31
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	36.68	250.75	218.88	1,525.45	595.99
5 अल्प बचत भविष्य निधि	364.80	299.32	352.38	861.92	747.80
6 रिजर्व निधि	(-) 48.32	15.23	(-) 4.81	(-) 39.13	8.93
7 जमा एवम अग्रिम	377.70	184.72	216.62	526.64	316.66
8 सस्पेंस एवम विविध	(-) 2,496.50	21.69	3,546.38	2,785.98	(-) 635.88
9 प्रेषण	(-) 15.63	14.28	(-) 26.63	(-) 282.96	305.08
10 कुल आधिक्य (+) घाटा (-)	(-) 919.86	537.84	6,680.17	9,561.85	6614.23
11 रोकड़ शेष* में अधिक (-) कमी (+)	(-) 258.90	(+) 726.03	(-) 122.37	(+) 528.81	(+) 644.20
12 कुल राजकोषीय घाटा	(-) 1,179	1,264	6,557	10,090	7258

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

\* 8999 – रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)

**तालिका 1.20: 2010-11 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त प्रबन्ध घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां तथा सवितरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्तियां	सवितरण	निवल
1	मार्केट उधारियां	4,450.00	292.37	4,157.63
2	भारत सरकार से ऋण	308.27	124.56	183.71
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष सुरक्षाएं	1,312.42	378.11	934.31
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,442.51	3,846.52	595.99
5	अल्प बचत भविष्य निधि	1,964.13	1,216.33	747.80
6	जमा एवं अग्रिम	8,350.15	8,033.48	8.93
7	रिजर्व निधि	540.01	531.07	316.66
8	सस्पेंस एवं विविध	33,488.28	34,124.16	(-) 635.88
9	प्रेषण	5,360.62	5,055.54	305.08
10	कुल आधिक्य (+) घाटा (-)			6,614.23
11	रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)			(+) 644.20
12	कुल राजकोषीय घाटा			7,258

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार के उधारों और इसके संसाधन अंतर को प्रस्तुत करता है, 2009-10 में ₹ 10,090 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 7,258 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटे में कमी का कारण राजस्व घाटा (₹ 1,518 करोड़), पूंजीगत व्यय (₹ 1,187 करोड़) तथा ऋणों एवं अग्रिमों का सवितरण (₹ 108 करोड़) में कमी थी। राजकोषीय घाटे की वित्त प्रबन्ध पद्धति दर्शाती है कि बाजार-उधारों (₹ 4,157.63 करोड़) में वृद्धि थी, किन्तु लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 747.80 करोड़) तथा जमाओं एवं अग्रिमों (₹ 316.66 करोड़) में कमी थी।

लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि के अन्तर्गत शेषों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि “8011-बीमा एवं पेंशन निधि, 107-राज्य सरकार कर्मचारी बीमा स्कीम” के अन्तर्गत ₹ 8.62 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे। यह राज्य सरकार द्वारा इन निधियों पर ब्याज के असमायोजन के कारण था जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2011)।

### 1.9.3 घाटे/आधिक्य के गुण

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूंजी व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) में वियोजन राज्य के वित्तों में घाटे के गुण को इंगित करती है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात संकेत करता है कि किस मात्रा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान स्वपत के लिये प्रयोग में लाई गई थी। आगे, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारों (राजकोषीय देयताओं) के एक हिस्से की कोई परिसम्पत्ति पृष्ठभूमि नहीं थी। प्राथमिक घाटे का बंटवारा (तालिका 1.21) पूंजीगत व्यय, जो राज्य की वित्तप्रबन्ध की उत्पादक क्षमता को सुधारने के लिये जरूरी है, में उस मात्रा जिस तक घाटा पूंजी व्यय की वृद्धि की ओर रहा है, की ओर संकेत करता है।

तालिका 1.21 : प्राथमिक घाटा/आधिक्य-सूचकों का विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व <sup>20</sup> व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2006-07	20,153	14,096	2,428	185	16,709	6,057	3,444
2007-08	19,975	15,181	3,426	286	18,893	4,794	1,082
2008-09	18,811	18,195	4,502	332	23,029	616	(-) 4,218
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-)3939

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार के पास प्राथमिक राजस्व आधिक्य घटती प्रवृत्ति में था। यह 2006-07 में ₹ 6,057 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 814 करोड़ रह गया। यह प्राथमिक व्यय (जिसमें प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय

<sup>20</sup> प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं) में 2006-07 में ₹ 16,709 करोड़ से 2010-11 में ₹ 29,744 करोड़ तक वृद्धि के कारण था। विवरण इंगित करते हैं कि गैर-ऋण प्राप्तियां, प्राथमिक राजस्व व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त थी तथा इन प्राप्तियों का हिस्सा पूंजीगत व्यय को वहन करने के लिए उपयोग किया गया था। राज्य 2008-09 से प्राथमिक घाटा उठा रहा था जो 2010-11 के अन्त पर ₹ 3,939 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां, प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए उपयोग की गई थी।

### 1.10 निष्कर्ष

**राजस्व एवं व्यय की पद्धति:** कर राजस्व में 27 प्रतिशत बढ़त के कारण राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 22 प्रतिशत की बढ़त आई। 2010-11 में कर राजस्व में ते.वि.आ. के तथा एफ.सी.पी. में सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों की तुलना में क्रमशः पांच प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कमी रही किन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए प्रक्षेपणों से दो प्रतिशत तक उच्चतर था। कर-भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा तथा एफ.सी.पी. एवं एम.टी.एफ.पी.एस. में सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 हेतु किए गए प्रक्षेपणों से क्रमशः 71 प्रतिशत, 14 प्रतिशत तथा चार प्रतिशत कम था।

राजस्व व्यय ने वर्ष के दौरान कुल व्यय का 86 प्रतिशत संघटित किया तथा पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ गया। इसका एन.पी.आर.ई. घटक, जो ₹ 22,059 करोड़ था, ते.वि.आ. (₹ 15,790 करोड़) तथा एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 21,698 करोड़) के प्रक्षेपण से क्रमशः 40 प्रतिशत तथा दो प्रतिशत तक उच्चतर था किन्तु इसके एफ.सी.पी. (₹ 22,944 करोड़) में राज्य के प्रक्षेपण से चार प्रतिशत तक निम्नतर था। गैर-योजना राजस्व व्यय के अन्तर्गत चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पेंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और परिदानों ने 2010-11 के दौरान लगभग 88 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल परिदानों (₹ 3,285 करोड़) का 90 प्रतिशत (₹ 2,949 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए था तथा एफ.सी.पी. (₹ 3,200 करोड़) में प्रक्षेपण के भीतर था।

पूंजीगत व्यय, जिसने कुल व्यय का 12 प्रतिशत संघटित किया, भी 2009-10 की अपेक्षा 2010-11 में 23 प्रतिशत कम था।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता (₹ 2,223.46 करोड़), जिसने 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय का आठ प्रतिशत संघटित किया, 2009-10 की तुलना में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी।

**राजकोषीय सुधार:** राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम पारित करने वाले शुरूआती राज्यों में से हरियाणा भी एक है। राज्य की राजकोषीय स्थिति, जो राजकोषीय मानकों में प्रवृत्तियों के संबंध में देखी जाती है, में राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे/आधिक्य ने इंगित किया कि राज्य ने 2006-07 तथा 2007-08 में आधिक्य प्राप्त किया परन्तु आधिक्य लम्बे समय तक स्थिर नहीं रह सका तथा 2008-09 से अधोमुखी प्रवृत्ति इंगित की। राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटों, जो 2009-10 में क्रमशः ₹ 4,264 करोड़, ₹ 10,090 करोड़ तथा ₹ 7,353 करोड़ तक बढ़ गए, ने 2010-11 में कुछ सुधार दर्शाया तथा क्रमशः ₹ 2,746 करोड़, ₹ 7,258 करोड़ तथा ₹ 3,939 करोड़ पर रहा।

**कर्ज निर्वहन योग्यता:** एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस

वर्ष के अनुमानित जी.एस.डी.पी. 22.4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2010-11 के दौरान गारंटियों एवं लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं ₹ 55,786 करोड़ थी जो जी.एस.डी.पी. का 21.63 प्रतिशत है जो एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा में था।

**सरकारी निवेशों की समीक्षा:** सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में हरियाणा सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त पिछले पांच सालों में 0.04 से 0.18 प्रतिशत के मध्य रही जबकि सरकार ने इन निवेशों पर 7.43 से 9.29 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया (अनुच्छेद 1.6.3)। निवेशों का प्रमुख हिस्सा (99 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों में साम्या शेरों में निवेश के रूप में था।

सात अक्रियाशील पी.एस.यूज थे जिनमें से दो समापनाधीन थे। अक्रियाशील पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी।

पारेषण तथा संवितरण हानियां, जो 2007-08 तक 15.50 प्रतिशत तक नीचे लाई जानी थी, अब तक ऊपर थी तथा 2009-10 की समाप्ति पर 26.46 प्रतिशत थी।

**अपूर्ण परियोजनाएं:** इक्कीस परियोजनाएं, जो अगस्त 2008 और फरवरी 2011 के बीच पूर्ण की जानी थी, अब तक अपूर्ण थी। अपूर्ण परियोजनाओं (अनुच्छेद 1.6.2) का समय व्यय कम किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों को इन डूबी हुई लागतों का लाभ मिल सके।

**राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलना:** वर्ष के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 1,308.84 करोड़ हस्तांतरित किए जोकि गत वर्ष से ₹ 203.64 करोड़ (18 प्रतिशत) अधिक थे। चूंकि निधियां सरकारी खातों के माध्यम से नहीं दी गई थी, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को जी.ओ.आई. से निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग तथा लेखाओं के अनुरक्षण की चूक के जोखिम को बढ़ाता है। इन अभिकरणों द्वारा अनुसरित एकसमान लेखांकन प्रचलनों के अभाव में समुचित प्रलेखन मौजूद नहीं था तथा इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समयबद्ध रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।


### 1.11 अनुशंसाएं

- ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 तक शून्य तक लाया जाना अपेक्षित है जिसके लिए कर अनुपालन में वृद्धि, प्रशासन लागतों को कम करने, राजस्व बकायों के सुधार और अनुत्पादक व्यय कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- ऋणित निधियां यथासंभव केवल मूलभूत संरचना हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए और राजस्व खर्च पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिए। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

- राज्य सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह ऐसे निवेश करे जिसमें मूल्यों की उचित वापसी हो अन्यथा उच्च मूल्य दर पर लिए गए ऋण कम वित्तीय लाभों वाली परियोजनाओं में लगाए जाते रहेंगे। वे परियोजनाएं, जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक - आर्थिक प्राप्ति के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों के निवेश का पूर्ण औचित्य स्पष्ट होना चाहिए। राज्य पी.एस.यू.ज, जिनमें बड़े नुकसान (अनुच्छेद 1.6.3) हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना भी उचित होगा और उनके लिए एक पुनर्जीवन योजना परिकल्पित की जाए जो अनुकूल प्रकृति के हैं और जिन्हें व्यवहार्य बनाया जा सकता है या अपनी साम्या का विनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।
- जी.ओ.आई. निधियां, जो राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती हैं, का उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और अद्यतन की गई सूचना राज्य सरकार और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मान्य होनी चाहिए।

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण





## 2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट, विभिन्न प्रयोजनों हेतु दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों के साथ तुलना किए गए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट के दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मानीटरिंग को सुसाधित करते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अन्दर है तथा सविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रभारित किया जाना अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.1.3 पंजाब बजट मैनुअल, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार, वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्यय के विभागीय अनुमान, विभागाध्यक्षों के परामर्श पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है तथा 'अनुदानों हेतु मांग' नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। बजट की तैयारी में, लक्ष्य, यथासंभव वास्तविकों के लगभग समीप प्राप्त करना होना चाहिए। यह, राजस्व अनुमान करने तथा व्यय प्रत्याशित करने दोनों में पूर्वदृष्टि के अभ्यास की मांग करता है। अनुमान में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही अधिक बजटीय अनियमितता है जितनी संस्वीकृत व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया विचार करती है कि विशेष मद पर व्यय के एक अनुमान में राशि वह होनी चाहिए जो वर्ष में व्यय की जा सके तथा न तो बृहदतर हो न ही लघुतर। अनुमान में बचत उतनी ही अधिक वित्तीय अनियमितता है जितनी इसमें एक आधिक्य की। प्राप्तियों के बजट अनुमान, करों, शुल्कों, फीस इत्यादि की विद्यमान दरों पर आधारित होने चाहिये।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में त्रुटियां तथा बजट मैनुअल का अतिक्रमण अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित हैं।

## 2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

2010 - 11 के दौरान 46 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	25,049.36	3,940.41	28,989.77	25,232.71	(-) 3,757.06
	II पूंजीगत	7,520.28	1,351.89	8,872.17	7,573.78	(-) 1,298.39
	III ऋण एवं अग्रिम	1,602.40	00	1,602.40	721.87	(-) 880.53
<b>कुल भारत</b>		<b>34,172.04</b>	<b>5,292.30</b>	<b>39,464.34</b>	<b>33,528.36</b>	<b>(-) 5,935.98</b>
भारत	IV राजस्व	4,064.69	7.43	4,072.12	3,479.94	(-) 592.18
	V पूंजीगत	48.00	10.80	58.80	53.48	(-) 5.32
	VI लोक ऋण - पुनर्भुगतान	5,953.99	1,913.65	7,867.64	4,641.56	(-) 3,226.08
<b>कुल भारत</b>		<b>10,066.68</b>	<b>1,931.88</b>	<b>11,998.56</b>	<b>8,174.98</b>	<b>(-) 3,823.58</b>
आकस्मिक निधि से विनियोजन (यदि कोई है)		00	190.00	190.00	190.00	00
<b>कुल योग</b>		<b>44,238.72</b>	<b>7,414.18</b>	<b>1652.98</b>	<b>41,893.34</b>	<b>(-) 9,759.56</b>

नोट: उपरोक्त दर्शाए गए व्यय की राशियां, राजस्व शीर्षों (₹ 402.48 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 3,596.16 करोड़) के अन्तर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियों को परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ₹ 7,414.18 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, गत वर्ष में नौ प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का 17 प्रतिशत संघटित किया।

₹ 9,759.56 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 44 अनुदानों, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 17 अनुदानों और ऋण अनुभाग के अन्तर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनर्भुगतान) में ₹ 9,982.03 करोड़ की बचतों का परिणाम थी जो कि राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दो अनुदानों और पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत एक अनुदान में ₹ 222.47 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित था। ₹ 222.47 करोड़ के आधिक्य का सविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमन अपेक्षित है।

नियंत्रण अधिकारियों को महत्वपूर्ण अंतरों का स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करते हुए बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) की सूचना दी गई थी (अगस्त 2011) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2011)। वित्त, भवन एवं सड़कें, खाद्य एवं आपूर्ति, सिंचाई, शिक्षा, समाज कल्याण एवं पुनर्वास, शहरी विकास तथा यातायात विभाग महत्वपूर्ण बचतें अत्यधिक व्यय वाले थे।

## 2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

### 2.3.1 निर्धारक प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 36 प्रकरणों में, बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 9,905.23 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतें 20 अनुदानों और एक विनियोजन से संबंधित 25 प्रकरणों में ₹ 9,724.17 करोड़ (96 प्रतिशत) की राशि की थी जैसा कि तालिका 2.2 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
<b>राजस्व – दत्तमत</b>							
1.	4- राजस्व	591.12	627.53	1,218.65	945.48	273.17	394.50
2.	7- आयोजना एवं सांख्यिकी	250.00	4.23	254.23	169.96	84.27	82.72
3.	8- भवन एवं सड़कें	865.13	168.67	1,033.80	664.49	369.31	249.50
4.	9- शिक्षा	5,788.56	384.52	6,173.08	5,562.55	610.53	469.71
5.	10- तकनीकी शिक्षा	239.09	23.39	261.48	195.26	66.22	66.07
6.	13- स्वास्थ्य	1,117.13	200.75	1,317.88	1,068.22	249.66	237.51
7.	14-शहरी विकास	97.52	3.32	100.84	31.15	69.69	69.95
8.	15- स्थानीय सरकार	711.11	234.48	945.59	291.19	654.40	677.38
9.	19- अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	188.46	71.52	259.98	199.73	60.25	67.86
10.	21- महिला एवं बाल कल्याण	469.96	-	469.96	363.10	106.86	109.41
11.	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	243.41	-	243.41	89.48	153.93	153.58
12.	24- सिंचाई	1,105.31	71.76	1,177.07	865.59	311.48	5.33
13.	27- कृषि	583.67	125.60	709.27	654.53	54.74	17.69
14.	32- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	946.27	133.67	1,069.94	1,010.46	69.48	169.82
15.	34- यातायात	1,061.94	108.00	1,179.94	1,089.12	80.82	80.57
16.	36- गृह	1,417.27	220.77	1,638.04	1,586.28	51.76	54.36
17.	38- जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	664.19	280.37	944.56	870.68	73.88	25.84
18.	40- ऊर्जा एवं विद्युत	2,988.25	237.28	3,225.53	2,964.25	261.28	248.29
<b>राजस्व – भारत</b>							
19.	6- वित्त	4,018.69	-	4,018.69	3,424.44	594.25	505.71
<b>पूँजीगत – दत्तमत</b>							
20.	8- भवन एवं सड़कें	1,213.08	187.90	1,400.98	1,140.50	260.48	245.15
21.	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	3,816.25	371.53	4,187.78	3,731.04	456.74	452.23
22.	38- जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	649.50	352.20	1,001.70	698.16	303.54	334.06
23.	40- ऊर्जा एवं विद्युत	1,054.77	-	1,054.77	653.95	400.82	400.81
24.	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,602.40	-	1,602.40	721.87	880.53	847.36
<b>पूँजीगत – भारत</b>							
25.	लोक ऋण	5,953.99	1,913.65	7,867.64	4,641.56	3,226.08	3,593.95
<b>योग</b>		<b>37,637.07</b>	<b>5,721.14</b>	<b>43,357.21</b>	<b>33,633.04</b>	<b>9,724.17</b>	<b>9,559.36</b>

प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतें नीचे चर्चित हैं:

**i अनुदान संख्या “4 – राजस्व” (राजस्व – दत्तमत)**

इसमें केवल ₹ 273.17 करोड़ की कुल बचतें थे परन्तु विभाग ने अनुचित रूप से ₹ 394.50 करोड़ अभ्यर्पित किए। बचतें मुख्यतः शीर्ष “2245 – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02 – बाढ़ें, चक्रवात इत्यादि, 101 – उपदानात्मक राहत, 97 – बीजों, उर्वरकों तथा कृषि उपकरणों की आपूर्ति (₹ 216.16 करोड़) शीर्ष के अंतर्गत क्षतिग्रस्त फसलों के कारण प्रभावित कृषकों को प्रदत्त कम राहत के कारण की गई थी।

**ii अनुदान संख्या "13 - स्वास्थ्य" (राजस्व - दत्तमत)**

₹ 1,317.88 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध, व्यय केवल ₹ 1,068.22 करोड़ था, परिणामतः ₹ 249.66 करोड़ की बचतें हुई। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों का संवर्धन (₹ 200.75) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 1,068.22 करोड़ का कुल व्यय ₹ 1,117.13 करोड़ के मूल प्रावधान से भी कम था। बचतें (₹ 249.66 करोड़) मुख्यतः "2210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 05 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105 - एलोपैथी, 81 - नालहड़ में मेवात चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना" शीर्ष के अंतर्गत (₹ 166.62 करोड़), नालहड़ में चिकित्सा महाविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार कम सहायता अनुदान जारी करने के कारण थी।

**iii अनुदान संख्या "15 - स्थानीय सरकार" (राजस्व - दत्तमत)**

अनुदान, ₹ 654.40 करोड़ की बचतों, जिसमें अनुपूरक अनुदानों के कुल ₹ 234.48 करोड़ सम्मिलित थे, के साथ बंद हुआ। यद्यपि, कुल व्यय, मूल बजट का केवल 41 प्रतिशत था, निधियां, इन पूरक अनुदानों के माध्यम से संवर्धित हुई थी। बचतें मुख्यतः "2217 - शहरी विकास, 80 - सामान्य, 800 - अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत, नीचे उपशीर्षो "75 - शहरी स्थानीय निकायों हेतु वेट पर अधिभार का हिस्सा (₹ 212.25 करोड़), सहायता अनुदान के लिए संस्वीकृति के विलम्ब से प्राप्ति के कारण तथा "79 - लघु एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम" (₹ 123.58 करोड़), जी.ओ.आई. द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के जारी न करने के कारण हुई थी।

**iv अनुदान संख्या "23 - खाद्य एवं आपूर्तिया" (राजस्व - दत्तमत)**

अनुदान के अन्तर्गत बचतें ₹ 153.93 करोड़ थी। बचतें मुख्यतः, "2408 - खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 01 - खाद्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 99 - सूचना एवं प्रौद्योगिकी" शीर्ष के अन्तर्गत (₹ 137.63 करोड़) कम्प्यूटरीकरण परियोजना के पूर्ण न करने के कारण थी।

**v अनुदान संख्या "40 - ऊर्जा एवं विद्युत" (राजस्व - दत्तमत)**

₹ 237.28 करोड़ का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 2,964.25 करोड़ का कुल व्यय मूल बजट (₹ 2,988.24 करोड़) से कम था। बचतें (₹ 247.77 करोड़) "2801 - विद्युत, 05 - संचारण एवं वितरण, 800 - अन्य व्यय, 99 - ग्रामीण विद्युतीकरण एच.वी.पी.एन.एल. की सहायता" शीर्ष के अंतर्गत, सरकार द्वारा मितव्यय उपायों के लागू करने के कारण थी।

**vi अनुदान संख्या "6 - वित्त" (राजस्व - भारत)**

अनुदान, ₹ 594.25 करोड़ की बचतों के साथ, मुख्य लेखा शीर्ष, "2049 - ब्याज भुगतान, 01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज," नीचे लघु शीर्षो "101 विपणन ऋणों पर ब्याज, 99 - ब्याज वाले विपणन ऋणों पर ब्याज (₹ 179.48 करोड़) आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित ब्याज की निम्नतर दर तथा 2010 - 11 के दौरान विपणन उधारों की कम प्राप्ति के कारण; "115 - आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज, 99 - आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम" (₹ 138.84 करोड़), शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त समग्र प्रावधान (₹ 107.43 करोड़), की अनुपयोगिता के अतिरिक्त आर.बी.आई. से कम अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के कारण तथा "200 - अन्य

आन्तरिक ऋणों पर ब्याज, 91-राज्य सरकार के 8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष बाण्ड (विद्युत बाण्ड),'' जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे (अक्तूबर 2011), के अंतर्गत बृहद बचतों के साथ बंद किया गया।

**vii अनुदान संख्या "23 - खाद्य एवं आपूर्तिया" (पूँजीगत - दत्तमत)**

अनुदान, ₹ 456.74 करोड़ की बचतों के साथ बंद हो गया जिसमें ₹ 371.53 करोड़ के पूरक अनुदान सम्मिलित थे। समग्र बचतों की दृष्टि से मार्च 2011 के दौरान प्रदान किए गए पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय (₹ 3,731.04 करोड़), मूल बजट (₹ 3,816.25 करोड़) के स्तर तक इस तथ्य के बावजूद भी नहीं आया कि ₹ 291.57 करोड़ के पूरक अनुदान, "4408 - खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय, 01-खाद्य, 101-प्रापण एवं आपूर्ति, 99 - अनाज आपूर्ति स्कीम" शीर्ष से, धान के कम क्रय के कारण, पुनर्विनियोजन के माध्यम से कम कर दिए गए थे। ₹ 153.59 करोड़ की बचतें, शीर्ष "98 - प्रभाय्य स्थापना लागत" के अंतर्गत ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई।

**viii अनुदान संख्या "38 - जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति" (पूँजीगत - दत्तमत)**

अनुदान, ₹ 303.54 करोड़ की बचतों के साथ बंद हुआ परन्तु विभाग ने अनुचित रूप से ₹ 334.06 करोड़ अभ्यर्पित किए। ₹ 128.35 करोड़ की बचतें, शीर्ष, "4215 - जलापूर्ति एवं सफाई पर परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 001-शहरी जलापूर्ति, 94 - राष्ट्रीय पूँजीगत क्षेत्र के अंतर्गत, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता तथा माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई।

**ix अनुदान संख्या "40 - ऊर्जा एवं विद्युत" (पूँजीगत - दत्तमत)**

अनुदान, ₹ 1,054.77 करोड़ के मूल बजट के विरुद्ध ₹ 400.82 करोड़ की बचतों के साथ बंद हुआ। शीर्ष, "4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 05 - संचारण एवं वितरण, 190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, 98 - साम्या पूँजी एच.पी.जी.सी.एल" के अंतर्गत बजट आबंटन सरकार द्वारा मितव्ययी उपायों के लागू करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 439.59 करोड़ से ₹ 103.39 करोड़ तक अनुचित रूप से कम कर दिया गया। फिर भी, किया गया वास्तविक व्यय ₹ 183.16 करोड़ था परिणामतः ₹ 79.77 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

**x अनुदान संख्या "45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अगिम"**

अनुदान, ₹ 1,602.40 करोड़ के मूल बजट के विरुद्ध ₹ 880.53 करोड़ की बचतों के साथ बंद हो गया। बचतें, मुख्यतः शीर्षों, "6217 - शहरी विकास के लिए ऋण, 60 - अन्य विकास स्कीमें, 800 - अन्य ऋण, 97 - सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचना के सुदृढीकरण हेतु मूलभूत संरचना विकास निधियों को ऋण (₹ 433.61 करोड़) तथा "6801-विद्युत परियोजना हेतु ऋण, 205 - संचारण एवं वितरण, 98 - एच.वी.पी.एन.एल. को ऋण" (₹ 384.34 करोड़), के अंतर्गत, जी.ओ.आई. द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण हुई थी।

**xi लोक ऋण**

लोक ऋण के लिए ₹ 7,867.64 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, सरकार ने केवल ₹ 4,651.56 करोड़ का

लाभ उठाया। ₹ 3,226.08 करोड़ की बचतें मुख्यतः, शीर्ष, “6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण” नीचे लघु शीर्षों “107-भारतीय राज्य बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण” (₹ 1900 करोड़), भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज के कम उठाने के कारण तथा “110-आर.बी.आई.से अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,329.52 करोड़) के अंतर्गत आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिमों का कम लाभ उठाने के कारण हुई थी।

### 2.3.2 अधिक व्यय

दो प्रकरणों में, ₹ 218.80 करोड़ का कुल खर्च प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधानों के ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक तक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिए गए हैं। इनमें से अनुदान संख्या “24-सिंचाई” के प्रकरण में (तालिका 2.3) पिछले पांच वर्षों से निरन्तर ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा 10 प्रतिशत से भी अधिक का ज्यादा व्यय अवलोकित किया गया था।

तालिका 2.3: 2005-10 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय इंगित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पूँजीगत (दत्तमत)						
1	24-सिंचाई	17 (182.81)	20 (278.72)	12 (171.01)	12 (177.25)	39 (198.58)

आधिक्य मुख्यतः, शीर्ष, “4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 16-विद्यमान नहरों/निर्यास प्रणाली के पुनरूद्धार तथा 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी/विद्यमान नहरों का सुधार (₹ 158.34 करोड़), “4701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी/विद्यमान नहरों का सुधार, जल के साम्य योग्य वितरण हेतु नई माइनर तथा कौशल्या बांध” (₹ 146.15 करोड़) तथा “4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर, कारणों, जैसे लम्बित देयताएं पूरी करना, अन्तर्राज्य नहरों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंजाब सरकार के पास अधिक निधियां जमा करना, बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए प्रावधान की अनुचित कटौती, इत्यादि, हेतु पूँजीगत परिव्यय (₹ 50.67 करोड़)। परियोजनाओं की असंस्वीकृति, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना के अधीन क्षेत्र साफ न करवाना, कार्यों के अनिष्पादन, स्कीमों के अकार्यान्वयन, इत्यादि के कारण बचतों द्वारा आधिक्य प्रतिसंतुलित थे।

शीर्ष “2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ” (₹ 19.57 करोड़) के अन्तर्गत “अनुदान संख्या 6-वित्त” के अन्तर्गत **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया आधिक्य वर्ष के दौरान पेंशन संशोधन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण था।

### 2.3.3 प्रावधान के बिना व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, स्कीम/सेवा पर निधियों के प्रावधान के बिना कोई व्यय नहीं किया जाना है। तथापि, यह देखा गया कि **तालिका 2.4** में यथा वर्णित 10 प्रकरणों में मूल अनुमानों/अनुपूरक मांगों में किन्हीं प्रावधानों बिना तथा इस प्रभाव के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों बिना ₹ 444.35 करोड़ का व्यय किया गया था।

तालिका 2.4: 2010-11 के दौरान प्रावधान के बिना किया गया व्यय

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/अभ्युक्तियां
1.	24-सिंचाई	374.24	शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 800-अन्य व्यय, 99-ब्याज के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए हैं।
2.		3.61	शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 94-मुख्य अभियंता" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
3.		1.7	शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई, 01-बहु उद्देश्य नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 800-अन्य व्यय, 99-ब्याज" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
4.		1.21	शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई, 01-बहु उद्देश्य नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 101-अनुरक्षण एवं मरम्मत, 98-अन्य अनुरक्षण व्यय" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
5.		5.34	शीर्ष "4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-विद्यमान नहरों/मल निर्यास प्रणाली का पुनरुद्धार, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी/विद्यमान नहरों का सुधार" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
6.		1.53	शीर्ष "4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-विद्यमान नहरों/निर्यास प्रणाली का पुनरुद्धार, 06-मुनक नहर परियोजना, 800-अन्य व्यय, 98-नहर का निर्माण" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए थे।
7.		4.03	शीर्ष "4701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-नबार्ड के अधीन पुरानी/विद्यमान चैनलों का सुधार, 80-सामान्य, 799-उचन्त, 99-उचन्त" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
8.		43.20	शीर्ष "4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-निष्पादन" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
9.	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	6.41	शीर्ष, "2215-जल आपूर्ति एवं सफाई, 02-सीवरेज एवं स्वच्छता, 792-अवसूलनीय ऋण बट्टे खाते डालना" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए थे।
10.		3.07	शीर्ष, "2215-जल आपूर्ति एवं सफाई, 02-सीवरेज एवं स्वच्छता, 792-अवसूलनीय ऋण बट्टे खाते डालना" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए थे।
योग		444.35	

### 2.3.4 बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण

पंजाब वित्त नियमावली के नियम 2.10 (6)(5), हरियाणा को भी लागू है, में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार कोई भी धन राशि खजाने से तब तक नहीं निकलवाई जानी चाहिए जब तक कि उसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। 10 आहरण व वितरण अधिकारियों, जिनके कार्यालयों की लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 के दौरान की गई थी, ने ₹ 114.24 करोड़ की कुल राशि, जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में वर्णित है, निकलवाई थी जो कि न तो प्रयोजनों, जिनके लिए ये आहरित की गई थी, के लिए पूर्णतया व्यय की गई थी न ही वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी खातों को प्रेषित की गई थी।

यह आगे अवलोकित किया कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम दिन को आहरित निधियां तिजोरी या बैंक में केवल बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु रखी गई थी।

### 2.3.5 पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह अनुदानों/विनियोजनों से आधिक्यों को राज्य विधान सभा से नियमित करवाए। यद्यपि अनुच्छेद के अन्तर्गत, अधिक व्यय के विनियमन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की परिचर्चा की पूर्ति के पश्चात अधिक व्यय का विनियमन किया जाता है। तथापि, 2008-09 एवं 2009-10 वर्षों हेतु ₹ 741.92 करोड़ की राशि का अधिक व्यय अभी भी विनियमित करवाया जाना था। अधिक व्यय की वर्षवार राशियां, जिनके अनुदानों/विनियोजनों का विनियमन लम्बित है, तालिका 2.5 में सारांशित हैं:

तालिका 2.5: पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधान पर आधिक्य की राशि	विनियमन की स्थिति
2008-09	3,8,10,15,20 तथा 22	3,02,62,89,421	विनियोजित लेखे पी.ए.सी. द्वारा चर्चित नहीं किए गए हैं।
2009-10	3,6,10 तथा 15	4,39,28,66,270	
<b>योग</b>		<b>7,41,91,55,691</b>	

### 2.3.6 2010-11 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

तालिका 2.6 में वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य की समेकित निधि से अनुमोदनों पर तीन अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 222.47 करोड़ की राशि के कुल आधिक्यों का सार सम्मिलित है जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमन अपेक्षित है।

तालिका 2.6: 2010-11 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
1.	6-वित्त	31,18,99,97,000	31,39,21,79,496	20,21,82,496
	<b>उप-योग</b>	<b>31,18,99,97,000</b>	<b>31,39,21,79,496</b>	<b>20,21,82,496</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>				
1.	42-न्याय प्रशासन	34,30,52,000	37,97,88,623	3,67,36,623
	<b>उप-योग</b>	<b>34,30,52,000</b>	<b>37,97,88,623</b>	<b>3,67,36,623</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
1.	24-सिंचाई	5,14,40,00,000	7,12,98,13,506	1,98,58,13,506
	<b>उप-योग</b>	<b>5,14,40,00,000</b>	<b>7,12,98,13,506</b>	<b>1,98,58,13,506</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>36,67,70,49,000</b>	<b>38,90,17,81,625</b>	<b>2,22,47,32,625</b>



सरकार से अगस्त 2011 में अधिक व्यय हेतु कारणों को मागे गए थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2011)।

### 2.3.7 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 16 प्रकरणों, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक आवेष्टित, में प्राप्त कुल ₹ 3,575.99 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है। एक प्रकरण में कुल ₹ 78 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, ₹ 198.58 करोड़ के कुल अनावृत अधिक व्यय छोड़ते हुए अपर्याप्त साबित हुआ (**परिशिष्ट 2.5**)।

### 2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से, जहां बचतें संभावित होती हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों तथा अपर्याप्त संवर्धन के विचार से अनुचित साबित हुआ तथा परिणामस्वरूप 54 उप-शीर्षों में ₹ 1,583.70 करोड़ के आधिक्य और 107 उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तक ₹ 1,830.96 करोड़ की बचतें हुई। 24 उप-शीर्षों के अन्तर्गत जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है, ₹ 10 करोड़ से अधिक आधिक्य/बचतें थी। 12<sup>1</sup> प्रकरणों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधानों की कटौती अनुचित साबित हुई क्योंकि अधिक व्यय, पुनर्विनियोजन के माध्यम से कम किए गए प्रावधानों से अधिक था। इसी प्रकार नौ<sup>2</sup> प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी।

### 2.3.9 वास्तविक बचतों के आधिक्य में अभ्यर्पण

10 प्रकरणों में, अभ्यर्पित राशियां (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचतों के आधिक्य में थी जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियन्त्रण अथवा की कमी को इंगित करती हैं। ₹ 4,772.18 करोड़ की बचतों के विरुद्ध अभ्यर्पित राशियां ₹ 5,430.32 करोड़ थी परिणामतः ₹ 658.14 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिये गये हैं। आगे, दो प्रकरणों में (**परिशिष्ट 2.7**) किया गया व्यय कुल अनुदानों/विनियोजनों से अधिक था (₹ 218.80 करोड़) परन्तु फिर भी निधियां (₹ 72.08 करोड़) अनुचित रूप से अभ्यर्पित की गई।

### 2.3.10 अनभ्यर्पित संभावित बचतें

पंजाब बजट नियमपुस्तिका हरियाणा को लागू, के अनुच्छेद 13.2, के अनुसार जब कभी प्रत्याशित बचतें हों तो व्ययी विभाग द्वारा अनुदानों/विनियोजनों या उनके अंश, वित्त विभाग को अभ्यर्पित किए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर 17 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 20 प्रकरणों में ₹ 4,475.44 करोड़ की कुल बचतों में से (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतें इंगित थी) ₹ 964.77 करोड़ की कुल राशियां (कुल बचतों का 22 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गई थी जिसके विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मार्च 2011 के अंतिम दो कार्य दिवसों में 31 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण) ₹ 9,775.79 करोड़ (**परिशिष्ट 2.9**) अभ्यर्पित किए गए जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं अन्य विकास प्रयोजनों हेतु इन निधियों की अनुपयोगिता इंगित करते हैं।

1. **परिशिष्ट 2.6** की क्रम संख्या 9, 24, 35, 37, 39, 50, 100, 103, 105, 145, 146 तथा 147

2. **परिशिष्ट 2.6** की क्रम संख्या 27, 40, 48, 64, 67, 71, 79, 135 तथा 165

### 2.3.11 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय पूरे वर्ष समान रूप से किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में व्यय की अधिकता वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा इसका परिहार करना चाहिए। इसके विपरीत मार्च 2011 में अथवा वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान, **परिशिष्ट 2.10** में सूचीबद्ध 19 अनुदानों/विनियोजनों के 31 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा वर्ष हेतु कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक व्यय किया गया।

आगे जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2010-11 के दौरान 19 अनुदानों के अन्तर्गत 31 मुख्य शीर्षों पर ₹ 8,196.66 करोड़ के व्यय में से ₹ 3,769.48 करोड़ (46 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2011 के माह के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही विशेषतः मार्च के माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

### 2.4 आकस्मिक निधियों से अग्रिम

राज्य की आकस्मिक निधि, भारत के संविधान की धारा 267(2) तथा 283(2) के प्रावधानों के निबंधन में, हरियाणा आकस्मिक निधि अधिनियम 1966 (2) के अंतर्गत स्थापित की गई है। निधि से अग्रिम, केवल एक अप्रत्याशित तथा आपात प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु किया जाना है जिसका स्थगन, विधायिका द्वारा इसके प्राधिकरण तक, अवांछनीय होगा। निधि, एक अग्रदाय के रूप में है। 1 अप्रैल 2010 को वर्ष के आरंभ में शेष ₹ 10 करोड़ था। राज्य विधान सभा ने, समेकित निधि से ₹ 190 करोड़ विनियोजित करके ₹ 200 करोड़ तक आकस्मिक निधि का संग्रह बढ़ा दिया।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 8.27 करोड़ संस्वीकृत किए परन्तु आकस्मिक निधि से केवल ₹ 5.84 करोड़, चिकित्सा दावों, वेतन, कार के क्रय, स्टाफ को अग्रिम, संशोधित वेतन तथा विविध प्रभारों इत्यादि पर व्यय पूरा करने हेतु आहरित किए (**परिशिष्ट 2.11**)। वर्ष के दौरान, अग्रिम की पूर्ति बाद में निधि से की गई थी। इन भुगतानों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि किया गया व्यय, अग्रिम में भली-भांति देखा जा सकता था। अतः, आकस्मिक निधि से निधियों का आहरण अनियमित था।

### 2.5 बजटीय प्रक्रिया में त्रुटियां

राज्य सरकार द्वारा बजटिंग के प्रक्रिया में, निम्न अवलोकित किए गए:

- वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेशों के कारण दोषपूर्ण बजटिंग के, ₹ 356.29 करोड़ से आवेष्टित चार प्रकरण (**परिशिष्ट 2.12**) अवलोकित किए गए।
- इनमें से, एक प्रकरण में, ₹ 51 करोड़ का समग्र प्रावधान 'शून्य' तक कम कर दिया गया। इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 21.90 करोड़ के व्यय के विचार से, निर्णय अविवेकपूर्ण साबित हुआ। अन्य प्रकरण में, पुनर्विनियोजनों के माध्यम से प्रावधानों (₹ 43.59 करोड़) की कटौती भी अविवेकपूर्ण साबित हुई क्योंकि इस प्रकरण में ₹ 40.52 करोड़ का अधिक व्यय था। ₹ 19 करोड़ के व्यय से आवेष्टित दो प्रकरणों में, पुनर्विनियोजनों के माध्यम से निधियों का संवर्धन (₹ 10.36 करोड़) अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि इन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 12.22 करोड़ की बचतें थीं।
- सरकार द्वारा अनुसरित सकल बजटिंग की प्रणाली अधीन, विधानसभा को प्रस्तुत अनुदानों हेतु मांगें सकल व्यय हेतु हैं तथा सभी वसूलियों को सम्मिलित करती हैं। ये, लेखाओं में, व्यय की कटौती के

रूप में समायोजित की जाती हैं। प्रत्याशित वसूलियां तथा क्रेडिट्स, बजट अनुमानों में पृथक्कृत: दर्शाए गए हैं। यद्यपि, ₹ 101.18 करोड़ की वसूली, वर्ष 2010 - 11 हेतु अनुदान संख्या '4 - राजस्व' के संबंध में बजट अनुमानों में प्रावधान की गई थी, ₹ 319.41 करोड़ की वसूली की गई थी। आगे, पांच अनुदानों<sup>3</sup> के संबंध में, वास्तविक वसूलियां (₹ 3,679.22 करोड़) अनुमानित वसूलियों (₹ 4,321.88 करोड़) से ₹ 642.66 करोड़ तक कम थी। वसूलियों के विवरण विनियोजन लेखाओं के परिशिष्ट में दिए गए हैं। अनुमानित वसूलियों तथा वास्तविक वसूली के मध्य बृहद् भिन्नताओं ने दोषपूर्ण बजटिंग सूचित की।

## 2.6 बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम

### 2.6.1 प्रस्तावना

योजना आयोग ने, ₹ 35,000 करोड़ की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12) अनुमोदित की, जिसमें वर्ष 2010 - 11 हेतु ₹ 11,100 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज्य बजट, वृद्धि प्रणाली अपनाते हुए तैयार किया गया, अर्थात् उपलब्ध स्रोतों पर प्रथम प्रभार, सभी चल रही स्कीमों पर है तथा नई स्कीमों तत्पश्चात् सम्मिलित की जाती हैं। वित्त विभाग ने गत वर्ष तथा सितंबर तक चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रस्तावों की जांच की। वर्ष 2010 - 11 हेतु अनुमान 2008 - 09 के वास्तविक पूर्व<sup>4</sup> आंकड़े तथा सितंबर 2009 तक आधार वर्ष 2009 - 10 की प्राप्तियों/व्यय को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। तदनुसार, 2010 - 11 हेतु बजट अनुमानों हेतु बजटीय धारणाएं निम्नवत बनाई गई थी:

#### राजस्व प्राप्तियां:

- योजनेतर राजस्व प्राप्तियां<sup>5</sup> बजट अनुमान (बी.ई.) 2009 - 10 की अपेक्षा 0.3 प्रतिशत बढ़नी थी।

#### कर राजस्व:

- कर संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना था, जो 2009 - 10 के दौरान लागू रहेगा।
- राज्य के स्वयं के कर को, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण मंद होने के कर 4.7 प्रतिशत तक बढ़ना माना गया था तथा मूल्य वृद्धित कर (वैट) से राजस्व, बजट अनुमान (बी.ई.) 2009 - 10 की अपेक्षा 5.1 प्रतिशत बढ़ना था।

#### कर - भिन्न राजस्व:

- कर - भिन्न राजस्व, बी.ई. 2009 - 10 पर 16.4 प्रतिशत कम होना, अर्थव्यवस्था में मंदी के प्रभाव के कारण माना गया था।

#### संघीय करों का केन्द्रीय हिस्सा:

- यह, बी.ई. 2009 - 10 के स्तर पर रहना था।

#### सहायता अनुदान:

- राजस्व घाटा अनुदान तथा बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) द्वारा यथा अनुशंसित आपदा राहत निधि

3. '8 - भवन एवं सड़क', '23 - खाद्य एवं आपूर्तियां', '27 - कृषि', '34 - यातायात' तथा '38 - जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति'

4. वास्तविक - पूर्व आंकड़े प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) द्वारा वित्त लेखाओं के अन्तिमकरण से पूर्व आपूरित किए गए थे।

5. योजनेतर राजस्व प्राप्तियां: राज्य के स्वयं कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा योजनेतर सहायता अनुदान सम्मिलित करती हैं।

का केन्द्रीय हिस्सा योजनेतर अनुदानों अधीन लिए गए थे। स्थानीय निकायों हेतु अनुदान टी.एफ.सी. अवधि के लिए कुल अनुशसित के पांचवें हिस्से के बराबर लिए गए थे। टी.एफ.सी. द्वारा यथा प्रस्तावित राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं वनों के अनुरक्षण तथा हेरिटेज संरक्षण हेतु अनुदान, राज्य की स्वयं की निधियों के अंतर्गत योजना स्रोतों के रूप में लिए गए थे। बी.ई. 2010-11 में राज्य द्वारा ₹ 2,329.31 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

### योजनेतर व्यय:

- वेतन संशोधन के बकायों के 30 प्रतिशत तथा पेंशन के संशोधन का प्रावधान बी.ई. 2010-11 में किया गया।
- लागत वृद्धि अथवा वृद्धि दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष मानी गई थी।
- परियोजनागत प्राप्तियों तथा व्यय एवं उसके विरुद्ध वास्तविकों के विवरण परिशिष्ट 2.13 में दिए गए हैं।

### 2.6.2 बजटीय धारणाओं में कमियां

बी.ई. तथा संशोधित अनुमानों (आर.ई.) के तैयार करने में प्रक्रिया तथा पारदर्शिता की जांच करने हेतु वित्त विभाग में वर्ष 2010-11 हेतु बी.ई. के तैयार करने हेतु प्राप्तियों एवं व्यय हेतु बनाई गई बजटीय धारणाओं तथा उसके विरुद्ध वास्तविकों का एक विश्लेषण किया गया (मई-जुलाई 2011)। तालिका 2.7 में वर्णित प्रकरणों में बजटीय धारणाएं वास्तविक आधारों पर आधारित नहीं थी:

तालिका: 2.7 अवास्तविक बजटीय धारणाएं

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2010-11	वास्तविक प्राप्तियां	टिप्पणियां
	राजस्व प्राप्तियां	( ₹ करोड़ में )		
1	स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियां (योजनेतर राजस्व प्राप्तियां)	22,543.86	24,279.03	0.3 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरुद्ध, प्रक्षेपणों में वृद्धि की दर 9.85 प्रतिशत थी। 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों (₹ 19,352.10 करोड़) पर वास्तविक संग्रहण में वृद्धि 25 प्रतिशत थी।
2	कर राजस्व	16,469.29	16,790.37	बी.ई.(2010-11) में प्रक्षेपण (₹ 16,469.29 करोड़) ने बी.ई. (2009-10) (₹ 14,646.50 करोड़) पर 4.7 प्रतिशत की संभावित वृद्धि के विरुद्ध 12.44 प्रतिशत वृद्धि संघटित की। वास्तविक प्राप्तियां, 2009-10 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 13,219.50 करोड़) से 27 प्रतिशत उच्चतर थी।
क)	बिक्री कर (वैट)	बी.ई.-11,500 आर.ई.-12,300	11,082.01	बजट अनुमानों के अनुमोदन के पश्चात, सरकार ने वैट की दर चार से पांच प्रतिशत तक बढ़ा दी तथा 1 अप्रैल 2010 तथा अतिरिक्त संसाधन संघटित करने के विचार से 1 अप्रैल 2010 से वैट पर पांच प्रतिशत अधिभार लगाया। आर.ई. में बी.ई. भी ₹ 12,300 करोड़ तक बढ़ गया था, परन्तु वास्तविक प्राप्तियां बी.ई. 2010-11 से भी कम थी। न केवल धारणाएं अवास्तविक थी, तथ्य, कि बी.ई., वैट दरों/अधिभार में वृद्धि के पश्चात भी पूरा नहीं किया जा सका, समग्र बजट प्रक्रिया पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2010 - 11	वास्तविक प्राप्तियां	टिप्पणियां
ख)	स्टाम्पस एवं पंजीकरण	1,900	2,319.28	वास्तविक प्राप्तियां प्रक्षेपणों पर 22 प्रतिशत तक उच्चतर थी। धारणाएं, इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों की गत प्रवृत्तियों की उपेक्षा करते हुए अनुमानित की गई थी।
ग)	वाहनों पर कर	350	457.36	बी.ई.ज, वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ₹ 107.36 करोड़ तक (31 प्रतिशत) अनुमानित थी।
घ)	माल एवं यात्रियों पर कर	425	387.14	बी.ई.ज, वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ₹ 37.86 करोड़ (9 प्रतिशत) तक अधिक अनुमानित थे।
ड.)	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बी.ई.- 140 आर.ई.- 143	130.27	2008-09 में ₹ 106.31 करोड़ तथा 2009-10 में ₹ 119.59 करोड़ की गत प्रवृत्ति की उपेक्षा करते हुए, संशोधित अनुमान (आर.ई.) 2010-11 में बी.ई. ₹ 143 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। परन्तु वास्तविक प्राप्तियां, बी.ई. 2010-11 से कम थी।
च)	भू-राजस्व	15.97	10.02	बी.ई. 2010-11 में परियोजित करते समय, 2008-09 में वास्तविक प्राप्तियां (₹ 8.58 करोड़) तथा 2009-10 में (₹ 9.43 करोड़) की गत प्रवृत्ति ध्यान में नहीं रखे गए थे। बी.ई. 2010-11 अधिक अनुमानित किया गया जिसके परिणामस्वरूप अवसंग्रहण हुआ जैसा कि वास्तविक प्राप्तियों से स्पष्ट है।
छ)	राज्य उत्पाद	2,100	2,365.81	बी.ई., वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 12.66 प्रतिशत तक अनुमानित था। 2008-09 पर 2009-10 के दौरान प्राप्ति में 45 प्रतिशत की गत प्रवृत्ति, बी.ई. 2010-11 में परियोजित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया।
3)	राज्य के स्वयं के गैर-कर राजस्व	3,548.52	3,420.93	बी.ई. 2010-11 में प्रक्षेपण (₹ 3,548.52 करोड़) ने 16.4 प्रतिशत की मानी गई कमी के विरुद्ध बी.ई. 2009-10 (₹ 3,610.10 करोड़) पर 1.7 प्रतिशत कमी संघटित की। फिर भी, 2010-11 में ₹ 3,420.93 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां, 2009-10 में संग्रहीत प्राप्तियों (₹ 2,741.40 करोड़) से 24.8 प्रतिशत तक उच्चतर थी।
क)	शहरी विकास	700	974.54	वास्तविक प्राप्तियां, बी.ई. 2010-11 में प्रक्षेपणों के 39 प्रतिशत तक उच्चतर थी। 2010-11 के अनुमान बनाते समय रीयल एस्टेट मार्केट में 2008-09 तथा 2009-10 के मंदी का प्रभाव सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया।
ख)	पथ परिवहन	900	761.73	2010-11 हेतु बजट के अन्तिमकरण पश्चात, राज्य सरकार ने, ₹ 70 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व वसूलने हेतु 04 अक्टूबर 2010 से 12.50 पैसे प्रति किलोमीटर बस किराया बढ़ा दिया। परन्तु वास्तविक प्राप्तियां, बी.ई. 2010-11 के प्रक्षेपण से कम (₹ 138.27 करोड़) थी।

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2010 - 11	वास्तविक प्राप्तियां	टिप्पणियां
ग)	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	200	82.59	प्रक्षेपण तथ्य को ध्यान में रखे बिना बनाए गए थे कि राज्य में सभी खनन गतिविधियां, पर्यावरणीय स्वच्छता की अनुपलब्धता के कारण 2009-10 से बंद की दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 59 प्रतिशत तक अधिक अनुमान हुआ।
	व्यय		वास्तविक व्यय	
14	योजनेतर राजस्व व्यय	20,822.94	22,058.68	बी.ई. 2010-11 में, वेतनों हेतु ₹ 7,903.88 करोड़ तथा पेंशन हेतु ₹ 2,300 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध क्रमशः ₹ 9,672 करोड़ तथा ₹ 3,094 करोड़ का व्यय किया गया। आधिक्य, मुख्यतः छोटे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के कारण वेतनों एवं पेंशन के बकायों के भुगतान के कारण थे। इस प्रकार, बकायों के भुगतान का प्रभाव बी.ई. बनाते समय सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया।

### 2.6.3 योजना अनुमानों में कमियां

2010-11 में योजनागत व्यय ₹ 11,100 करोड़ निर्धारित था। ₹ 10,635.02 करोड़ का वास्तविक व्यय (96 प्रतिशत) प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में ₹ 2,717.36 करोड़ की छःमाही प्लान स्कीमें अनुमोदित की गई परन्तु इन स्कीमों के निष्पादन हेतु मार्च 2011 तक बजट प्रावधान नहीं किया गया था (*परिशिष्ट 2.14*)। इनमें से चार स्कीमों, ₹ 1,688.19 करोड़ कुल परिव्यय के साथ, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन अनुमोदित थी (*परिशिष्ट 2.15*)। अनुमोदित स्कीमों के अकार्यान्वयन हेतु कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2011)।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में ₹ 10.52 करोड़ हेतु अनुमोदित चार स्कीमों/परियोजनाएं, राज्य सरकार द्वारा ₹ 0.21 करोड़ (₹ 20.81 लाख 2007-08 के दौरान तथा 2008-09 के दौरान ₹ 0.10 लाख) का व्यय करने के पश्चात छोड़ दिए गए (*परिशिष्ट 2.16*)।
- 2010-11 हेतु अनुमोदित वार्षिक योजना में सम्मिलित, ₹ 1,346.55 करोड़ के परिव्यय के साथ कुल 112 स्कीमों (2009-10 हेतु अनुमोदित वार्षिक योजना में भी सम्मिलित 25 स्कीमों ₹ 190.08 करोड़ के परिव्यय के साथ सम्मिलित करते हुए) कार्यान्वित नहीं की गई (*परिशिष्ट 2.17*)।
- मूल अनुमानों में 18 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 27.18 करोड़ का प्रावधान, संशोधित परिव्यय में ₹ 14.53 करोड़ तक कम कर दिया गया तथा स्कीमों निष्पादित नहीं की गई। इनमें से, तीन स्कीमों, वार्षिक योजना 2009-10 में भी ₹ 4.62 करोड़ हेतु भी अनुमोदित थी, परन्तु समग्र 18 स्कीमों कार्यान्वित नहीं की गई थी (*परिशिष्ट 2.18*)।

- v मूल अनुमानों में 10 स्कीमों हेतु किया गया ₹ 5.82 करोड़ का प्रावधान आर.ई. में ₹ 24.24 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था परन्तु वर्ष 2010 - 11 के दौरान व्यय नहीं किया गया था। अनुमोदित स्कीमों के अकार्यान्वयन हेतु कारण सूचित नहीं किए गए थे (अक्टूबर 2011) (*परिशिष्ट 2.19*)।
- vi 28 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 619.55 करोड़ का प्रावधान ₹ 749.48 करोड़ तक बढ़ा दिया गया जिसके विरुद्ध ₹ 464.23 करोड़ का व्यय वर्ष 2010 - 11 के दौरान किया गया। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों का संवर्धन अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि कुल व्यय, मूल प्रावधानों से भी कम था। कम व्यय हेतु कारण सूचित नहीं किये गए थे (अक्टूबर 2011) (*परिशिष्ट 2.20*)।
- vii वर्ष 2010 - 11 के दौरान आर.ई. में इक्कीस नई स्कीमें ₹ 406.67 करोड़ के प्रावधान के साथ सम्मिलित थी, जिनके विरुद्ध ₹ 117.29 करोड़ (29 प्रतिशत) का कार्य किया गया। इनमें से, ₹ 276.16 करोड़ के कुल प्रावधान वाली नौ स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी। इन अनुमोदित स्कीमों के अकार्यान्वयन हेतु कारण सूचित नहीं किए गए थे (अक्टूबर 2011) (*परिशिष्ट 2.21*)।
- viii बी.ई./आर.ई. 2010 - 11 में किसी प्रावधान के बिना दो स्कीमों के विरुद्ध ₹ 4.94 करोड़ का व्यय किया गया (*परिशिष्ट 2.22*)। बजट प्रावधान के बिना व्यय करने हेतु कोई कारण नहीं दिया गया।
- ix बजटीय मामलों के संबंध में डेलीगेट की गई वित्तीय शक्तियों के अनुसार (वित्त विभाग जापान सं. डी - 1122 IV/बी - 1/74 दिनांक 13 दिसंबर 1974 नियम 7) की शर्तों के अनुसार प्लान स्कीमों पर व्यय हेतु आबटित निधियां, योजनेतर व्यय पूरा करने हेतु तथा वाइस वरसा पुनर्विनियोजित न की जाएं। शर्त के उल्लंघन में, “2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा” शीर्ष के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ₹ 41.76 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 58 उपस्कीमें, 2010 - 11 के दौरान योजनेतर से योजनागत स्कीमों में परिवर्तित की गई थी (*परिशिष्ट 2.23*)। सरकार ने बताया (सितंबर 2011) कि कृषि एवं सहायक सैक्टरों के अंतर्गत परिव्यय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जी.ओ.आई. से निधियां प्राप्त करने हेतु राज्य को समर्थ बनाने हेतु, 2010 - 11 के दौरान बढ़ाया गया था। फिर भी, तथ्य रहा कि योजनेतर स्कीमों का प्लान में परिवर्तन बजट मामलों के संबंध में वित्तीय शक्तियों के साथ जुड़ी शर्तों के उल्लंघन में किया गया था।
- x प्लान स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित, दो विभागों के संबंध में ₹ 4.08 करोड़ के बजट प्रावधान (औद्योगिक प्रशिक्षण: ₹ 3.96 करोड़ तथा आरकीवज: ₹ 0.12 करोड़), वार्षिक प्लान 2010 - 11 के अनुमोदन के पश्चात योजनेतर स्कीमों को विपथित किया गया।
- xi बजट मामलों के संबंध में डेलीगेट की गई वित्तीय शक्तियों (वित्त विभाग जापान सं. डी.1122 IV/बी - 1/74 दिनांक 13 दिसंबर 1974 से नियम 7) की शर्तों के अनुसार प्लान स्कीमों के अधीन एक मुख्य शीर्ष दूसरे मुख्य शीर्ष को पुनर्विनियोजन, आयोजना विभाग की विशिष्ट संस्वीकृति प्राप्त किए बिना, संस्वीकृत नहीं किया जाएगा। शीर्ष “5053 - पूंजीगत परिव्यय नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय (प्लान) - 800 अन्य व्यय - 99 - एरोड्रम्स” के अंतर्गत अनुदान संख्या 34 - (यातायात) के अंतर्गत पूरक अनुदान 2010 - 11 के माध्यम से ₹ दो करोड़ का एक

प्रावधान किया गया (सितंबर 2010)। फिर भी, निधियां, अनुदान संख्या-8 (भवन एवं सड़कें) के अंतर्गत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को जारी की गई (मार्च 2011)। बजट मामलों के संबंध में शक्तियों के डेलीगेशन के साथ संलग्न शर्तों के उल्लंघन में एक अनुदान से दूसरे अनुदान के अंतर्गत निधियों का अन्तरण अनुमोदित किया।

## 2.7 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या “8-भवन एवं सड़कें” तथा अनुदान संख्या “9-शिक्षा”<sup>7</sup>) के व्यय पर नियंत्रण तथा बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा, गत तीन वर्षों के दौरान बचतों एवं आधिक्यों तथा वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई (जून-अगस्त 2011)। समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

### 2.7.1 अनुदान संख्या 8 भवन एवं सड़कें

अनुदान के अंतर्गत ₹ 2,442.82 करोड़ (मूल: ₹ 2,086.25 करोड़ तथा पूरक: ₹ 356.57 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,810.84 करोड़ व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 631.98 करोड़ की बचतें हुई (कुल प्रावधान का 25.9 प्रतिशत) (परिशिष्ट 2.24) जैसा कि नीचे चर्चित है:

- i अनुदान के अंतर्गत ₹ 631.99 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, ₹ 496.91 करोड़ की राशि 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित की गई थी। इस प्रकार, ₹ 135.08 करोड़ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, जिसने अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा तथ्य इंगित किया कि ये निधियां, सरकार की अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों पर उपयोग नहीं की जा सकी।
- ii ₹ 631.99 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 356.57 करोड़ के पूरक प्रावधान (‘राजस्व’ के अंतर्गत ₹ 168.67 करोड़ तथा ‘पूँजीगत’ शीर्षों के अंतर्गत ₹ 187.90 करोड़) अविवेकपूर्ण थे तथा अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 1,810.84 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 2,086.26 करोड़) तक भी नहीं हुआ।
- iii राजस्व (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत ₹ 369.31 करोड़ की समग्र बचतों के विचार से, मार्च 2011 में प्राप्त ₹ 168.67 करोड़ के पूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान तक भी नहीं हुआ। बचतें, मुख्यतः, शीर्षों के अंतर्गत “3054 सड़कें एवं पुल” नीचे उप-शीर्षों “04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क कार्य, 98-ग्रामीण सड़कें” (₹ 99.88 करोड़) खदानों के बंद होने के कारण, “80-सामान्य, 797-आरक्षण निधियों एवं जमा लेखाओं को/से अन्तरण (₹ 99.43 करोड़) जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे तथा

<sup>6</sup> राजस्व सैक्शन के अंतर्गत “2059-लोक निर्माण”, “2216-आवास” तथा “3054-सड़कें एवं पुल” तथा पूँजीगत सैक्शन में, “4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय (सी.ओ.), “4202-शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति पर सी.ओ.” 4232-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सी.ओ. “4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर सी.ओ., “4405-मत्स्य पालन पर सी.ओ.” “4850-ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर सी.ओ., “5053-नागर विमानन पर सी.ओ.” एवं “5054-सड़कें तथा पुल पर सी.ओ.” से संव्यवहार करने वाली।

<sup>7</sup> 2202-सामान्य शिक्षा से संव्यवहार करती है।



“2059-लोक निर्माण, 60-अन्य भवनों, 053 अनुरक्षण एवं मरम्मत, 99-अनुरक्षण एवं मरम्मत” (₹ 50.49 करोड़) नए कार्यों की असंस्वीकृति के कारण, हुई थी।

- iv पूंजीगत (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत बचतें (₹ 260.48 करोड़) मुख्यतः शीर्ष के अंतर्गत “5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 789-एस.सी.एस.पी, 99-अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/विशेष मरम्मत” (₹ 120.97 करोड़) के अंतर्गत खदानों के बंद होने के कारण हुई। पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में ओपन ओपथलमोलोजी ब्लाक के निर्माण हेतु पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक से प्राप्त निधियों की अनावश्यकता के कारण शीर्ष “4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 99-भवनों” (₹ 28.89 करोड़) के अंतर्गत भी बचतें हुई।
- v विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत 77 स्कीमों/कार्यों (परिशिष्ट 2.25) के निष्पादन हेतु किया गया ₹ 67.87 करोड़ का समग्र प्रावधान, अनुमानों के अनन्तीकरण के कारण, स्कीमों के अकार्यान्वयन क्लाइंट विभाग द्वारा कार्यों की असंस्वीकृति तथा ऑनलाइन बजट मानीटरिंग प्रणाली की कमी के कारण, अप्रयुक्त रहा तथा अभ्यर्पित कर दिया गया। इस प्रकार, प्रक्षेपण, पर्याप्त आयोजना के बिना बनाए गए थे।
- vi 21 उपशीर्षों के (परिशिष्ट 2.26) अंतर्गत किए गए ₹ 848.62 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 193.71 करोड़ के प्रावधान अविवेकपूर्णतः अभ्यर्पित कर दिए गए तथा इन कार्यों पर ₹ 730.30 करोड़ का व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.39 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। जिसने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय पर निष्प्रभावी नियंत्रण इंगित किया।
- vii सामान्य वित्तीय नियम का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय, सारा वर्ष समान रूप से विस्तृत होना चाहिए। संवर्ण मास में व्यय का वेग, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा परिहार किया जाना चाहिए। 2010-11 के दौरान, नौ स्कीमों पर ₹ 79.14 करोड़ का व्यय किया गया (परिशिष्ट 2.27) जिसमें से, ₹ 65.56 करोड़ का व्यय (83 प्रतिशत) मार्च 2011 के दौरान किया गया। मार्च माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियम की अननुपालना दर्शाई।

### 2.7.2 अनुदान संख्या 9 – शिक्षा

वर्ष 2010-11 के दौरान, राजस्व (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत ₹ 6,173.08 करोड़ के बजट प्रावधान (मूल: ₹ 5,788.57 करोड़ तथा पूरक: ₹ 384.51 करोड़) के विरुद्ध (योजनागत: ₹ 1,702.03 करोड़ तथा योजनेतर: ₹ 4,471.05 करोड़) ₹ 5,562.55 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 610.53 करोड़ की (कुल प्रावधानों का 10 प्रतिशत) बचतें हुईं जैसा कि नीचे चर्चित है:

- i अनुदान के अंतर्गत ₹ 610.53 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 469.71 करोड़ की राशि 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित की। इस प्रकार, ₹ 140.82 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं। इसने अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा यह तथ्य इंगित किया कि ये निधियां सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों पर प्रयुक्त नहीं की जा सकीं।

- ii अनुदान के अंतर्गत ₹ 610.53 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए, पूरक अनुदानों के माध्यम से ₹ 384.52 करोड़ के प्रावधान अविवेकपूर्ण थे तथा अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 5,562.55 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 5,788.57 करोड़) तक भी नहीं आया था।
- iii पंजाब बजट मैनुअल, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, का अनुच्छेद 5.3 प्रावधान करता है कि बजट अनुमान यथा संभव समीप एवं परिशुद्ध होना चाहिये तथा प्रत्येक मद के संबंध में सम्मिलित किया जाने वाला प्रावधान, वर्ष के दौरान जो भुगतान या व्यय किया जाना है, पर आधारित होना चाहिए। आठ स्कीमों के लिए किया गया ₹ 43.75 करोड़ का समग्र बजट प्रावधान (*परिशिष्ट 2.28*) जो अप्रयुक्त रहा, स्कीमों के अनन्तिमकरण/अकार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया। इस प्रकार, प्रक्षेपण पर्याप्त प्लानिंग के बिना किया गया था।
- iv बचतें, मुख्यतः शीर्षों, “2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों” नीचे लघु शीर्षों, “88-प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं I से V की स्थापना (₹ 165.11 करोड़), “97-कक्षाओं I से V (पूर्णकालिक) सुविधाओं का विस्तार (₹ 103.15 करोड़) पदों के रिक्त रहने तथा सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था उपाय लागू करने के कारण: “02-माध्यमिक शिक्षा, 109-राजकीय माध्यमिक स्कूल, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) (₹ 152.39 करोड़) जी.ओ.आई. से कम सहायता अनुदान की प्राप्ति के कारण; “99-शिक्षण स्टाफ अन्य स्थापना सहित, 98-स्थापना व्यय” (₹ 29.94 करोड़) पदों के रिक्त रहने, अनुग्रह, अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण; “001 निदेशक एवं प्रशासन, 99-प्रशासन स्टाफ, 97-सूचना प्रसारण प्रौद्योगिक (आई.सी.टी.) विद्यालय (₹ 33.50 करोड़), “03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, 103 राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान, 99-संस्थान” (₹ 36.54 करोड़) पदों के रिक्त होने तथा सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था उपाय लागू करने के कारण, “104-गैर सरकारी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता, 99-गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान (₹ 37.11 करोड़) वेतन बकाओं के अभुगतान के कारण तथा “107-छात्रवृत्तियां, 94-उच्चतर शिक्षा जाने वाले बी.पी.एल. तथा बी.सी.ए. विद्यार्थियों हेतु स्टाइफंड स्कीमें (₹ 22 करोड़) स्कीम के अकार्यान्वयन के कारण हुई।
- v सामान्य वित्तीय नियम का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय सारा वर्ष समान रूप से विस्तृत होना चाहिए तथा अंतिम मास में व्यय का वेग वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा परिहार किया जाना चाहिए। 29 स्कीमों पर ₹ 435.68 करोड़ का व्यय किया गया था (*परिशिष्ट 2.29*) इसमें से ₹ 244.63 करोड़ का व्यय (56 प्रतिशत) मार्च 2011 के माह के दौरान किया गया। मार्च के माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियम की अननुपालना दर्शाई।
- vi राज्य सरकार ने ₹ 25.55 करोड़ की राशि तीन समितियों को अन्तरित की थी, जिसमें से ₹ 6.21 करोड़ 2010-11 के दौरान अन्तरित किए गए थे तथा ₹ 15.47 करोड़ का शेष 31 मार्च 2011 को इन समितियों के पास अब भी पड़ा था, जैसा कि तालिका 2.8 में वर्णित है।

तालिका 2.8: समितियों के विवरण जहां निधियां अन्तरित की गई थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समितियों के नाम	2010 - 11 तक अन्तरित राशि	जिसमें से 2010 - 11 के दौरान अन्तरित राशि	व्यय	शेष	समितियों का प्रयोजन
1	हरियाणा में ज्ञान बढ़ाने तथा अध्ययन के पुनर्नूकूलन हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग (उत्कर्ष)	22.04	4.00	10.05	13.26	सेटलाइट (एजुसेट) के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा बढ़ाना
2	शिक्षा लोक समिति (एस.एल.एस)	1.46	0.71	0.75	0.71	शिक्षा लोक की मासिक पत्रिका तथा शिक्षक डायरी का मुद्रण
3	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल.एम.ए.)	2.05	1.50	0.55	1.50	साक्षर भारत स्कीम का कार्यान्वयन
योग		25.55	6.21	11.35	15.47*	

(स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित विवरण)

\* उत्कर्ष समिति द्वारा अर्जित ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज संवरण शेषों में सम्मिलित है।

इन समितियों ने ये राशियां, सरकारी लेखे से बाहर अपने बैंक लेखाओं में रक्की थी जबकि अन्तरित राशि, सरकारी लेखे में व्यय के रूप में दर्शाई गई थी।

इस प्रकार, विनियोजन लेखाओं में एवं वित्त लेखाओं में दर्शाया गया व्यय अतिकथित था। समिति को निधियों के प्रवाह हेतु एक भिन्न लेखांकन उपचार अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि निधियों की सही उपयोगिता पर एक आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात, उनके द्वारा किया गया केवल अन्तिम व्यय सरकारी लेखाओं में दर्ज किया जाए।

### 2.7.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

2010 - 11 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभागों तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 6 नवम्बर 2009 से पूर्व प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, चार विभागध्यक्षों ने (अनुदान संख्या 8: एक तथा अनुदान संख्या 9: तीन) वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 43 तथा 79 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात प्रस्तुत किए (परिशिष्ट 2.30)।

## 2.8 निष्कर्ष

2010 - 11 के दौरान, ₹ 51,652.90 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 41,893.34 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 9,759.56 करोड़ की समग्र बचत, ₹ 9,982.03 करोड़ की कुल बचतों में से थी जो ₹ 222.47 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतितुलित किया गया और जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008 - 09 तथा 2009 - 10 से संबंधित 10 अनुदानों में ₹ 741.92 करोड़ का अधिक व्यय का भी, उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित था। 10 प्रकरणों में, ₹ 5,430.32 करोड़ की कुल राशि, जो अभ्यर्पित की गई थी (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक), वास्तविक बचतों से ₹ 648.14 करोड़ तक अधिक थी, जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण


इंगित करती है। 20 प्रकरणों में ₹ 4,475.44 करोड़ की बचतों में से ₹ 964.77 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थी। 31 प्रकरणों में, ₹ 9,775.79 करोड़ की कुल राशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित की गई थी। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के भी प्रकरण थे।

## 2.9 अनुशांसाएं

- सभी सरकारी विभागों, जहां गत पांच वर्षों से नियमित रूप से बचतें/आधिक्य अवलोकित किए गए हैं, में बजटीय नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बृहद बचतों/आधिक्यों, पुनर्विनियोजनों तथा अभ्यर्पणों के परिहार हेतु, प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने हेतु सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिये।
- वर्ष की समाप्ति पर निधियों की निर्मुक्ति का परिहार किया जाना चाहिये। अत्यधिक एवं अपर्याप्त निधियों के परिहार हेतु पुनर्विनियोजन विवेकपूर्ण होने चाहिये।
- प्रत्याशित बचतें जब कभी ये संभावित हो अभ्यर्पित की जानी चाहिये ताकि राशियां अन्य स्कीमों पर प्रयुक्त की जा सकें।

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन करना



प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देता है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रणालियों व दिशासूचकों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर प्रतिवेदन करने की यथासमयता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी व परिचालित हो, सरकार को कुशल आयोजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यप्रणालियों व दिशासूचकों की अनुपालना में राज्य सरकार का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाती है।

### 3.1 उपयोग प्रमाण – पत्र प्रेषित करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसे कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये प्रदान किये गये अनुदानों के लिये उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसीज़) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त करने चाहिये और सत्यापन के बाद ये, उचित समय के अन्दर, बशर्ते कि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये जाने चाहिए। तथापि, ₹ 9,984.50 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 14,394 यूसीज़ में से ₹ 4,705.32 करोड़ की कुल राशि के 3,743 यूसीज़ बकाया में थे। 31 मार्च 2011 को देय, प्राप्त एवं लम्बित यूसीज़ का विभागवार विघटन परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है। यूसीज़ के प्रस्तुतिकरण में आयु-वार विलम्ब तालिका 3.1 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आयु-वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब की श्रृंखला	प्रदत्त कुल अनुदान		लम्बित उपयोग प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0 – 1	1,331	1,946.68	1,150	1,552.32
2	1 – 3	2,130	3,359.67	1,304	2,325.10
3	3 – 5	2,102	1,475.89	371	490.30
4	5 – 7	2,296	577.20	166	266.93
5	7 – 9	3,682	1,320.71	586	50.64
6	9 एवं अधिक	2,853	1,304.35	166	20.03
योग		14,394	9,984.50	3,743	4,705.32

तालिका 3.1 ने दर्शाया कि 3,743 लम्बित यूसीज़ में से, 1,289 यूसीज़ (34 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक पुराने थे। परिशिष्ट 3.1 का विश्लेषण दर्शाता है कि शहरी विकास, ग्रामीण विकास, विकास एवं पंचायत, शिक्षा, खेल तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों से लम्बित यूसीज़ कुल लम्बित यूसीज़ का

92 प्रतिशत थे जिसमें निर्मुक्त अनुदान का 85 प्रतिशत आवेष्टित था। 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-सिविल, हरियाणा सरकार में इंगित किये जाने के बावजूद, 2010-11 के दौरान विभागों द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कुल 3,002 लम्बित यूसीज़ के विरुद्ध केवल 409 यूसीज़ (14 प्रतिशत) प्रेषित किये गये थे। ये न केवल प्रशासनिक विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण की कमी को निर्देशित करता है बल्कि पूर्ववर्ती अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित किये बिना नये अनुदान सवितरित करने में सरकार की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

### 3.2 लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिये जो नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 (सी.ए.जी. अधिनियम-1971) के अनुभाग 14 व 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार/विभागाध्यक्षों के लिये अपेक्षित है कि वो विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रेषित करें। प्राप्त सूचना के आधार पर 160 निकायों/प्राधिकारियों ने तत्रैव अधिनियम के अनुभाग 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित किया। 2010-11 के दौरान 66 निकायों/प्राधिकारियों की लेखापरीक्षा की गई थी।

2010-11 तक देय 190 स्वायत्त निकायों/प्राधिकारियों से संबंधित कुल 412 वार्षिक लेखे जुलाई 2011 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये थे। इन लेखाओं के ब्यौरे परिशिष्ट 3.2 में दिये गये हैं और उनकी आयु-वार लम्बनता तालिका 3.2 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं के आयु-वार बकाये

क्र. सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब	लेखाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	169	499.06
2.	1-3	126	566.48
3.	3-5	42	116.92
4.	5-7	28	34.85
5.	7-9	20	32.03
6.	9 एवं अधिक	27	59.63
	कुल	412	1308.97

तालिका 3.2 दर्शाती है कि ₹ 126.51 करोड़ के अनुदान से आवेष्टित 75 वार्षिक लेखे (18 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक के लिये बकाये में थे। जांच ने प्रकट किया कि 79 नगरपालिका समितियों, जिन्हें ₹ 939.28 करोड़ राशि के अनुदान 1982-83 और 2010-11 के बीच निर्मुक्त किए गए थे, से संबंधित 299 वार्षिक लेखे<sup>1</sup> (73 प्रतिशत) प्राप्त नहीं हुए थे। वार्षिक लेखाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया

<sup>1</sup> परिशिष्ट 3.2 की क्रम संख्या 1 से 79 तक।



जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकारी सी.ए.जी. के अधिनियम 1971 के अनुभाग 14 के प्रावधान आकर्षित करते हैं या नहीं।

### 3.3 प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। राज्य में 29 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा के सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखाओं के देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस.ए.आर.ज) के जारी करने और इनके विधानसभा में प्रस्तुतिकरण को परिशिष्ट 3.3 में निर्देशित किया गया है। लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में एस.ए.आर.ज के रखने में विलम्बताओं के अनुसार स्वायत्त निकायों के बारम्बारता वितरण को तालिका 3.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.3: लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के रखने में विलम्बतायें

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्बतायें (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण	विधानसभा में एस.ए.आर.ज के प्रस्तुतिकरण में विलम्बतायें (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण
0 - 1	-	लेखे तैयार नहीं किये गये थे।	0 - 1	3	विभागों द्वारा सूचित नहीं किये गये।
1 - 6	2		1 - 2	2	
6 - 12	-		2 - 3	-	
12 - 18	3		3 - 4	2	
18 - 24	-		4 - 5	3	
24 एवं अधिक	20		5 एवं अधिक	-	
<b>योग</b>	<b>25</b>				

इसके आगे अवलोकित किया गया कि 20 में से 11<sup>2</sup> स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेखे गत 14 वर्षों (1996 - 97 से आगे) से प्रस्तुत नहीं किये थे।

### 3.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध - वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले विशेष सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वो वित्तीय परिचालनों के प्रक्रिया परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी प्रक्रिया का अनुमान लगा सके। अन्तिम लेखे उनकी समय वित्तीय सेहत और अपने व्यवसाय को चलाने में उनकी कार्य - कुशलता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं के समय पर अन्तिमकरण करने के अभाव में, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतया, जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्य - कुशलता को सुधारने के लिए शोधक उपाय, यदि अपेक्षित हो, समय पर नहीं किये जा सकते। विलम्ब के अतिरिक्त धोखेबाजी के जोखिम और जनता के धन के रिसाव की संभावना है।

<sup>2</sup> जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण: भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, झज्जर, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

सरकार में विभागाध्यक्षों को सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करें और इन्हें एक विशिष्ट समय-सीमा के अन्दर लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत करें। जून 2011 तक, इस प्रकार के पांच उपक्रमों में से चार ने 2007-08 तक भी अपने लेखे तैयार नहीं किये थे। जिस वित्तीय वर्ष तक उनके लेखे पूर्ण किये गये थे, की समाप्ति पर इन उपक्रमों में ₹ 3,223.28 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां निवेशित थी। 31 मार्च 2006 को ₹ 402.67 करोड़ का सरकारी निवेश रखने वाले हरियाणा सड़क परिवहन के प्रोफार्मा लेखे 2006-07 से बकायों में थे। सी.ए.जी. ने राज्य प्रतिवेदन-सिविल में लेखों के तैयार करने में बार-बार बकायों के बारे टिप्पणी की थी, लेकिन इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं था। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

### 3.5 दुर्विनियोजन, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 2.33, जैसे कि हरियाणा को लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को महसूस करना चाहिए कि उसकी तरफ से धोखा अथवा उपेक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा उठाई गई हानि या किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की तरफ से धोखा या उपेक्षा से उत्पन्न किसी हानि, उस सीमा तक कि हानि में उसने अपने कार्य अथवा उपेक्षा से सहयोग दिया, के लिये वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जायेगा। इसके आगे, तत्रैव नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार को प्रतिवेदित किये जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 1.58 करोड़ से आवेष्टित सरकारी धन के दुर्विनियोजन, गबन, इत्यादि के 153 मामले प्रतिवेदित किये जिन पर जून 2011 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। लम्बित मामलों की आयु प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी-चोरी और दुर्विनियोजन/हानि में लम्बित मामलों की संख्या तालिका 3.4 में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, गबन, इत्यादि का प्रोफाइल

लम्बित मामलों का आयु-प्रोफाइल			लम्बित मामलों का स्वरूप		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)	मामलों का स्वरूप/विशेषताये	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)
0-5	29	29.58	चोरी	131	86.49
5-10	49	77.99			
10-15	24	24.67	सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	82	98.81
15-20	16	6.95			
20-25	20	15.70	कुल	213	185.30
25 एवं अधिक	15	3.25	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	60	27.16
योग	153	158.14	कुल लम्बित मामले	153	158.14

मामलों के लम्बित रहने के लिये कारण तालिका 3.5 में सूचीबद्ध किये गये हैं।

तालिका 3.5: दुर्विनियोजन, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के लिये कारण

लम्बित मामलों के अन्तिमकरण में विलम्बों के लिये कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i) विभागीय तथा आपराधिक जांच की प्रतीक्षा में	2	8.05
ii) विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	76	56.11
iii) आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण हुई किन्तु राशि की वसूली लम्बित	14	8.85
iv) वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिये आदेशों की प्रतीक्षा में	46	46.49
v) न्यायालयों में लम्बित	15	38.64
<b>योग</b>	<b>153</b>	<b>158.14</b>

कुल हानि मामलों में से 65 प्रतिशत सरकारी धन/भण्डारों की चोरी से संबंधित थे, जो कि सूचित करता है कि सरकारी सम्पत्ति/नकद इत्यादि की सुरक्षा के लिये उचित कदम, जैसे कि नियमों में निर्धारित है, विभागों द्वारा नहीं उठाये गये थे। इसके आगे, हानियों के 50 प्रतिशत मामलों के संबंध में, विभागीय कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और 30 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के केवल आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। इसके आगे देखा गया कि चोरी/दुर्विनियोजन इत्यादि के कारण हानियों के 153 मामलों में से 124 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 15 मामले 25 वर्षों से अधिक पुराने थे। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई थी बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही भी नहीं हुई।

### 3.6 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष - 800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800 - अन्य प्राप्तियां' तथा '800 - अन्य व्यय' की बुकिंग अपारदर्शी है क्योंकि ये शीर्ष उन स्कीमों, कार्यक्रम इत्यादि को प्रकट नहीं करते, जिनसे वे संबंध रखते हैं। यह उस व्यय को समायोजित करते हैं जो उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

2010-11 के दौरान ₹ 3,745.86 करोड़ (कुल व्यय का 11 प्रतिशत) की राशि का व्यय राजस्व भाग में पांच मुख्य शीर्षों के विरुद्ध मुख्य शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत था। विद्युत सब्सिडी, शहरी विकास, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई तथा मंत्री परिषद् पर कुल/मुख्य व्यय वित्त लेखाओं में स्पष्ट रूप से दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत था।

इसी प्रकार, ₹ 2,944.17 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 12 प्रतिशत) की राशि की राजस्व प्राप्तियां 17 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 - अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत वर्गीकृत थी। शहरी विकास, मुख्य सिंचाई, वन तथा वन्य जीव, पुलिस और भू-राजस्व इत्यादि के अन्तर्गत कर-भिन्न राजस्व की मुख्य राशि इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत थी।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अन्तर्गत बृहद राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

### 3.7 व्यक्तिगत जमा खाता को निधियों का हस्तांतरण

व्यक्तिगत जमा खाता को हस्तांतरण, राज्य की समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। जब सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए धन जमा करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.ए.) खोलने के लिए प्राधिकृत करती है तो प्रशासकों से वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस पर ऐसे खाते बन्द करने तथा अव्ययित शेषों को सरकारी खातों को वापस हस्तांतरण करने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष के आरंभ में पी.डी.ए. की संख्या ₹ 211.61 करोड़ के शेष सहित 271 थी। 2010 - 11 के दौरान ₹ 243.26 करोड़ की राशि पी.डी.ए. को क्रेडिट की गई थी तथा ₹ 266.26 करोड़ इन खातों को डेबिट किए गए थे। वर्ष की समाप्ति पर ₹ 188.61 करोड़ के शेष सहित 259 पी.डी.ए. विद्यमान थे। इन लेखाओं का मिलान (अक्टूबर 2011) प्रधान महालेखाकार के साथ नहीं किया गया था।

### 3.8 सरकारी खाते में कर - भिन्न राजस्व का जमा न करना

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, गुड़गांव (सरकारी कम्पनी) ने हरियाणा द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 2.4 के उल्लंघन में सरकारी खातों में 2008 - 11 की अवधि हेतु रायल्टी के कारण ₹ 2.54 करोड़ जमा नहीं करवाए थे। इसके परिणामस्वरूप वित्त लेखाओं में राजस्व प्राप्तियों का कम चित्रण हुआ।

### 3.9 निष्कर्ष

आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन करना सुशासन का एक गुण है लेकिन यह पूर्णतया प्रभावी नहीं था क्योंकि कई पहलुओं पर वित्तीय नियमों, कार्यप्रणालियों और निर्देशों की अपालना थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त विलम्ब थे जिसके कारण अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा संचालित करने के लिये संस्थाओं की पहचान नहीं हुई। स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी संख्या, जिसकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. को सौंपी गई थी और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लम्बी अवधि से अपने अन्तिम लेखे तैयार नहीं किए थे। परिणामतः उनकी वित्तीय स्थिति की सरकार को जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि, गबन, इत्यादि के मामलों की बहुत बड़ी संख्या थी जिनके लिए विभागीय कार्यवाही लम्बी अवधि से लम्बित थी। 2010 - 11 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 - अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा व्यय की बड़ी राशियां वर्गीकृत की गई थी।

3.10 अनुशंसाएं

- उपयोग प्रमाण - पत्रों के समय पर प्रस्तुतिकरण पर नजर रखने तथा यह सुनिश्चित करने कि पूर्ववर्ती अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अनुवर्ती अनुदान जारी किए जाते हैं, के लिए सरकारी विभागों की आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चोरी एवं दुर्विनियोजन इत्यादि के प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।
- वित्तीय प्रतिवेदन करने में उच्च पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त की गई अथवा व्यय की गई बहुत बड़ी राशियों को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत सम्मिलित करने की बजाए स्पष्ट रूप से लेखाओं में दर्शाया जाना चाहिए।

चण्डीगढ़  
दिनांक :

05 जनवरी 2012  
JAN 2012

ओंकार नाथ

(ओंकार नाथ)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक :

10 जनवरी 2012  
22 FEB 2013  
FEB 2013

विनोद राय

(विनोद राय)

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक



# परिशिष्ट

आशीर्वाद



# परिशिष्ट 1.1

## राज्य प्रोफाइल

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1, 1.3, 1.3.1, 1.4.1 तथा 1.4.2;  
पृष्ठ 1, 7, 9, 11 एवं 14)

क. सामान्य डाटा		विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्र		44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क	2001 की जनगणना अनुसार	2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना अनुसार (अनन्तिम)	2.54 करोड़
3	क	जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	478 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
	ख	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4		गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=27.5 प्रतिशत)	14 प्रतिशत
5	क	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत=64.8 प्रतिशत)	67.91 प्रतिशत
	ख	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत=74.04 प्रतिशत)	76.64 प्रतिशत
6		शिशु मृत्यु-दर (1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=50 प्रति 1000 सजीव जन्म)	51
7		जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)	66.2 वर्ष
8		गिनी सहकारी कारण	
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.30)	0.32
	ख	शहरी (अखिल भारतीय=0.37)	0.36
9		वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2010-11	2,57,793 करोड़
10		जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11)	16.42 प्रतिशत
11		प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11)	12.62 प्रतिशत
12		जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2009-10)	15.64 प्रतिशत
13		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.37 प्रतिशत
14		जनसंख्या वृद्धि (2000-01 से 2010-11)	19.90 प्रतिशत
15		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	17.56 प्रतिशत
ख.		वित्तीय आंकड़े	
क्र.सं.	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)	
1	सी.ए.जी.आर.	2001-02 से 2009-10	2001-02 से 2010-11
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
	क	राजस्व प्राप्तियों का	14.41
	ख	स्वयं का कर राजस्व	14.47
	ग	कर भिन्न राजस्व का	8.31
	घ	कुल व्यय का	13.67
	ङ	पूंजीगत व्यय का	11.87
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.62
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.56
	ज	वेतन एवं मजदूरियों का	13.92
	झ	पेंशन का	18.77

स्रोत: वित्तीय डाटा, वित्तीय लेखाओं में आंकड़ों पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग तथा एस.एस.ओ. डाटा 61वीं राजकंड), गिनी सहकारी कारण (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. डाटा के गैर सरकारी अनुमान 61वीं राजकंड 2004-05 एम.आर.पी.), जन्म पर जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर (हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण (2010-11) तथा जनसंख्या की सघनता (भारत की जनगणना 2011, अनन्तिम जन संख्या योग, नीरज शेखर, निदेशक जनगणना परिचालक, हरियाणा द्वारा प्रकाशित)।

1. गिनी सहकारी कारण, आय सवितरण की असमानता का मापदण्ड है जहां शून्य पूर्ण समानता को सूचित करता है तथा एक पूर्ण असमानता को सूचित करता है।
2. जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
3. सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर। [सी.ए.जी.आर. का परिकलन=(((अन्तिम आंकड़ा/पहला आंकड़ा)<sup>1/समय वर्षों में</sup>)-1)\*100]

**सरकारी लेखे का ढांचा:** राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

**भाग I: समेकित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषालय बिलों को जारी करके वसूल किए सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण और राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में प्राप्त धन, भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत स्थापित 'राज्य की समेकित निधि' शीर्षक एक समेकित निधि बनाएगी।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिक निधि; अग्रदाय प्रकृति की है जो राज्य के राज्यपाल के अधिकाराधीन रखी जाती है ताकि राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यन्त आवश्यक अप्रत्याशित व्ययों को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय हेतु और समान राशि के आकस्मिक निधि से आहरण हेतु विधायिका का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है, तत्पश्चात् समेकित निधि से अग्रियों की वापसी निधि को कर दी जाती है।

**भाग III: लोक लेखा:** अल्प बचतें, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमाओं, प्रेषणों आदि जैसे कुछ सम्पादनों से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं सवितरण जो समेकित निधि का अंश नहीं होती, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा उन पर राज्य विधायिका द्वारा मतदान नहीं किया जाता।

विवरणी	प्रदर्शन
	वित्त लेखे दो खण्डों में विभाजित होते हैं। खण्ड I सामान्य रूप से समझा आने वाले सक्षिप्त फार्म प्रारूप में सरकार के वित्तीय विवरणों को दर्शाता है वहीं इनका विस्तृत विवरण खण्ड II में दर्शाया जाता है। खण्ड I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र नीचे दिए गए चार सक्षिप्त विवरण एवं लेखाओं व लेखा योजना पर टिप्पणियां शामिल होते हैं।
विवरणी संख्या - 1	<b>वित्तीय स्थिति की विवरणी:</b> सरकार के दायित्व एवं परिसम्पत्तियों जो वर्ष के अंत तक होती हैं के समेकित ऑकड़ें इस विवरण में दर्शाये जाते हैं। सम्पत्तियां वित्तीय सरकारी परिसम्पत्तियां होती हैं जिन पर अभी तक का पूंजीगत व्यय लेखाकरण योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया गया है।
विवरणी संख्या - 2	<b>प्राप्तियां एवं सवितरण की विवरणी:</b> यह वर्ष के दौरान सरकार द्वारा रखे जाने वाले लेखों के तीनों भागों यथा - समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से किये गये सभी सवितरणों एवं प्राप्तियों का सक्षिप्त विवरण होता है। आगे, समेकित निधि में राजस्व व पूंजीगत खातों की प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग से दर्शाया जाता है। सरकार के राजकोषीय मानदण्ड जैसे प्रारम्भिक, राजस्व एवं राजकोषीय घटा सरकार की समेकित निधि, के प्रचालन के आधार पर गणना किए जाते हैं। इस प्रकार निम्न दो विवरणियां समेकित निधि के प्रचालन को सक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं।
विवरणी संख्या - 3	<b>प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):</b> इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां तथा भारत सरकार, अन्य संस्थान व बाजार से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों से प्राप्तियां तथा सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियों को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 4	<b>व्ययों की विवरणी (समेकित निधि):</b> इस विवरण में केवल कार्यों पर किए गये व्ययों को ही नहीं वरन् कार्यों के उद्देश्यों (गतिविधियों) पर किये गए व्ययों (व्यय का उद्देश्य) को भी सक्षिप्त में दर्शाया जाता है।
	इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट है, परिशिष्ट 1 जिसमें सरकार के रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश का विवरण है। दूसरे खण्ड में तीन भाग होते हैं। प्रथम भाग में निम्न 6 विवरणियां होती हैं:
विवरणी संख्या - 5	<b>संचित पूंजीगत व्ययों की विवरणी:</b> इस विवरणी में कार्यों में विस्तृत संचित पूंजीगत व्यय होते हैं, जिनके जोड़ विवरणी 1 में दर्शाये जाते हैं।
विवरणी संख्या - 6	<b>कर्ज तथा अन्य देनदारियों की विवरणी:</b> सरकार के कर्जों में द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) तथा ऋण व अग्रिम जो भारत सरकार से प्राप्त किए गए, शामिल हैं। यह दोनों मिलकर राज्य सरकार के लोक ऋण में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह सक्षिप्त विवरणी, अन्य देनदारियां जो कि लोक लेखे में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत शेष हैं, को दर्शाती हैं। देनदारियां हैं। इस विवरणी में देन दारी सेवाओं पर टिपपणी जैसे राजस्व प्राप्तियों से अदा किए गए निवल ब्याज प्रभार की मात्रा पर टिपपणी शामिल होती है।
विवरणी संख्या - 7	<b>सरकार द्वारा दिये ऋण की विवरणी:</b> राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम विवरणी - 1 में तथा वसूली सवितरण विवरणी संख्या 2, 3 व 4 में दर्शाये जाते हैं। इसमें ऋण एवं अग्रिम सक्षिप्त रूप क्षेत्र एवं ऋणी समूह अनुसार दर्शाया जाते हैं। इसमें नीचे उन ऋणों की बकाया वसूली के सम्बन्ध में टिपपणी होती है जिनका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय द्वारा तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाला है।
विवरणी संख्या - 8	<b>राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान की विवरणी:</b> समूह अनुसार सहायतानुदान प्राप्त संगठनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें अनुदान के प्रकार के ऊपर टिपपणी भी शामिल होती है।
विवरणी संख्या - 9	<b>सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी की विवरणी:</b> वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानिय निकायों व अन्य संगठनों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटियों की धन राशि जो वर्ष के अंत बकाया हो का विवरण इसमें होता है।
विवरणी संख्या - 10	<b>भारित एवं दत्तमत व्यय की विवरणी:</b> इस विवरणी में भारित एवं दत्तमत व्ययों का विवरण होता है।



## भाग क: वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति (संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार द्वारा उनके वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत (परिशिष्ट 1.2 का भाग ख) विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु टी.एफ.सी. द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि जी.एस.डी.पी. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, जैसे मुख्य वित्तीय योगों राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जी.एस.डी.पी. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्प्लावकता सह - दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संचलन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग जी.एस.डी.पी. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु जी.एस.डी.पी. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं

### चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवाह

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	19.99	18.55	18.56	18.25	19.19

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

नोट: आंकड़े, अस्थायी अनुमान 2008 - 09, त्वरित अनुमान 2009 - 10 तथा अग्रिम अनुमान 2010 - 11 पर हैं।

वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शर्तों की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर के उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर / जी.एस.डी.पी. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के सम्बन्ध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर / पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि} / \text{गत वर्ष राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{गत वर्षों की वित्तीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं}) * 2] * 100$
ब्याज फैलाव	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष}) * 2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
वित्तीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेतर राजस्व व्यय - ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

## भाग ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 (संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

### हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 की हरियाणा अधिनियम संख्या 6)

सरकार के राजकोषीय प्रचालन में राजस्व घाटे का प्रगतिशील विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता से सुसंगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और पारदर्शिता द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तथा मध्यम कालिक रूपरेखा में राजकोषीय नीति का संचालन करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्धन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -

1. (क) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, कहा जा सकता है।  
(ख) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -
  - (क) “बजट” से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन हरियाणा राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण,
  - (ख) “चालू वर्ष” से अभिप्राय है, आगामी वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष;
  - (ग) “आगामी वर्ष” से अभिप्राय है, वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है;
  - (घ) “वित्तीय वर्ष” से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से शुरू होने वाला तथा ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
  - (ङ) “जी.एस.डी.पी.” से अभिप्राय है, चालू बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद;
  - (च) “राजकोषीय घाटा” राजस्व प्राप्तियों, कर्जों की वसूली तथा गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से संकलित संवितरण (शुद्ध ऋण के पुनः भुगतान) से आधिक्य है;
  - (छ) “राजकोषीय सूचक” ऐसे सूचक हैं जो राज्य सरकार की राजकोषीय अवस्था के मूल्यांकन के लिए विहित किए जाएं।
  - (ज) “राजकोषीय लक्ष्य” राजकोषीय सूचकों के लिये संख्यात्मक उच्चक मूल्य तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (टी.आर.आर.) का या जी.एस.डी.पी. का अनुपात है;
  - (झ) “विहित” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

- (ञ) “पूर्व वर्ष” से अभिप्राय है, चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;
- (ट) “राजस्व घाटा” से अभिप्राय है, राजस्व खर्च तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (टी.आर.आर.) के बीच का अन्तर;

व्याख्या: कुल राजस्व प्राप्तियों में शामिल है राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (कर तथा कर रहित दोनों) तथा केन्द्र से चालू अन्तरण (अनुदानों तथा केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से को समाविष्ट करके)

- (ठ) “विशेष प्रयोजन साधन” से अभिप्राय है, राज्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध विशिष्ट प्रयोजनों के लिये वित्तीय संव्यवहारों या वित्तीय संस्थाओं या बाजार से कर्ज लेने के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विशिष्ट समानुदेशनों/कर्तव्य के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन या संस्थान;
- (ड) “राज्य सरकार” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार; तथा
- (ढ) “कुल दायित्वों” से अभिप्राय है, राज्य की संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखे के अधीन दायित्वों तथा पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन साधनों तथा प्रतिभूतियों सहित अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार जहां मूल तथा/या ब्याज, राज्य बजट में से दिए जाने हैं, भी शामिल होंगे।

3. राज्य सरकार:

- (क) राजस्व घाटे का विलोपन करने तथा उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाए रखने तथा पोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने तथा परिसम्पत्तियों के आधिक्य में या निधिकरण पूंजी खर्च के लिए दायित्वों के निर्वहन के लिए ऐसे अधिशेष, उपयोग हेतु समुचित उपाय करेगी;
- (ख) लागत वसूली तथा साम्या का सम्यक् ध्यान रखते हुए कर रहित राजस्व को बढ़ाने के लिए नीतियां जारी करेगी; तथा
- (ग) पूंजी खर्च की प्राथमिकता के लिए मानक अधिकथित करेगी तथा ऐसी खर्च नीतियां जारी करेगी जिनसे आर्थिक विकास, गरीबी घटाने तथा मानव कल्याण के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करेगी।

4. राज्य सरकार निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी, अर्थात्:

- (क) राजकोषीय नीति उद्देश्यों की स्थापना में पारदर्शिता, लोक नीति के कार्यान्वयन तथा राजकोषीय सूचना का प्रकाशन ताकि लोक राजकोषीय नीति के संचालन तथा लोक वित्तों की स्थिति की संवीक्षा करने में समर्थ हों;
- (ख) राजकोषीय नीति बनाने की प्रक्रिया में स्थिरता तथा प्रकथनीयता तथा रीति जिसमें राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाए;
- (ग) लोक वित्तों के प्रबन्धन में उत्तरदायित्व, जिसमें बजट बनाने की सत्यनिष्ठा शामिल है;
- (घ) स्पष्टतौर पर सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के नीति निर्णय भावी पीढ़ी पर उनकी वित्तीय विदक्षा का सम्यक् ध्यान रखते हैं; तथा

- (ड) राजकोषीय नीति को बनाने तथा कार्यान्वित करने में तथा पब्लिक सैक्टर तुलन-पत्र की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रबन्धन में दक्षता।
5. राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख बजट के साथ राजकोषीय नीति के निम्नलिखित विवरण रखेगी, अर्थात्: -
- (क) बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण;
- (ख) मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण; तथा
- (ग) राजकोषीय नीति योजना विवरण।
6. वृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण ऐसे रूप में होगा, जो विहित किया जाए, जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था का अति विचार, विकास तथा जी0एस0डी0पी0 के क्षेत्रीय संयोजन का विश्लेषण, राज्य सरकार के वित्तों तथा भावी प्रत्याशाओं से संबंधित निर्धारण अन्तर्विष्ट होंगे।
7. (क) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में नीचे बताई गई पूर्वाधारणा के स्पष्ट कथन के साथ विहित राजकोषीय सूचकों के लिए तीन वर्षीय चल प्रवृत्ति लक्ष्य दिया जाएगा।
- (ख) विशिष्टतया तथा उपधारा (1) में दिए गए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यम कालिक राजकोषीय विवरण में राजकोषीय सूचकों के पीछे विभिन्न पूर्व धारणाओं तथा स्थिरता से संबंधित निम्नलिखित निर्धारण शामिल होंगे: -
- (i) राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व खर्च के बीच का अतिशेष;
- (ii) पूंजी प्राप्तियां, जिसमें उत्पादक परिसम्पत्तियां उत्पन्न करने के लिए उधार लेना शामिल है, का उपयोग; तथा
- (iii) आगामी दस वर्ष के लिए जीवनांकिक आधार पर गणन किए गए अनुमानित वार्षिक पेंशन दायित्व।
- परन्तु यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान जीवनांकिक आधार पर पेंशन दायित्व की गणना करना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार उस अवधि के दौरान विकास दरों के रूख के आधार पर पूर्वानुमान करते हुए पेंशन दायित्वों का अनुमान लगा सकती है।
- (8) राजकोषीय नीति योजना विवरण ऐसे रूप में होगा जो विहित किया जाए तथा इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा -
- (क) कराधान, खर्च, उधारा लेने तथा अन्य दायित्व (जिसमें पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन साधन तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार जहां पुनः भुगतान के लिए दायित्व राज्य सरकार पर है, शामिल हैं), उधार देना, निवेश, अन्य आकस्मिक दायित्व, सार्वजनिक वस्तुओं/उपयोगिताओं पर उपभोग प्रभार तथा अन्य क्रिया-कलापों का विवरण जैसे कि प्रतिभूतियां तथा पब्लिक सैक्टर उपक्रम जो संभावित बजट विवक्षा रखते हैं के क्रिया-कलापों से संबंधित आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियां;
- (ख) आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की प्राथमिक योजना;



- (ग) कराधान, आर्थिक सहायता, स्वर्च, उधार लेना तथा सार्वजनिक वस्तुओं/उपयोगिताओं पर उपभोग-प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में किसी मुख्य परिवर्तन के लिए आधारभूत राजकोषीय उपाय तथा मूलाधार; तथा
- (घ) धारा 4 में उपवर्णित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों की तुलना में राज्य सरकार की चालू नीतियों का मूल्यांकन, धारा 7 की उपधारा (1) में मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में उपवर्णित राजकोषीय उद्देश्य तथा धारा 9 में उपवर्णित राजकोषीय लक्ष्य होंगे।
9. (क) राज्य सरकार ऐसे लक्ष्य जो वह राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, विहित कर सकती है।
- (ख) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार -
- (i) वित्त वर्ष 2005 - 06 से उत्तरोत्तर राजस्व घाटा कम करेगी ताकि 2008 - 09 तक इसे शून्य तक लाया जा सके तथा इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष उत्पन्न किया जा सके।
- (ii) वित्त 2005 - 06 तक उत्तरोत्तर राजकोषीय घाटा कम करेगी ताकि मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष तक जी.एस.डी.पी. तीन प्रतिशत से अधिक न हो सके:
- (iii) वित्त वर्ष 2005 - 06 से शुरू होने वाली तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि बकाया कुल ऋण आकस्मिक दायित्व सहित उस वर्ष के लिए अनुमानित जी०एस०डी०पी० के 28 प्रतिशत से अधिक न हो:
- परन्तु राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, आंतरिक अशान्ति या प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा या ऐसे अन्य आपवादित आधार जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें से उत्पन्न होने वाली राज्य सरकार की अप्रत्याशित वित्तीय मांग के आधार या आधारों के कारण इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है:
- परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में विवरण पूर्वोक्त लक्ष्यों से ऐसी घाटा राशि के अधिक होने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।
10. (क) राज्य सरकार लोक हित में अपने राजकोषीय सक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा कम से कम यथा साध्य बजट को तैयार करने में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त उपाय करेगी;
- (ख) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, बजट प्रस्तुत करते समय विस्तृत सूचना ऐसे रूप में, जो विहित की जाए, सहित निम्नलिखित पर प्रकटीकरण करेगी: -
- (i) राजकोषीय सूचकों की गणना को प्रभावित कर रहे या प्रभावित करने वाले गणन मानकों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का;
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्ट द्वारा लिए गए उधारों के ब्यौरे का।

- (ग) जब कभी राज्य सरकार बिना शर्त तथा तत्त्वत् मूल राशि का पुनः भुगतान तथा/या किसी पृथक विधिक परिसम्पत्तियों का ब्याज भुगतान करने के लिए वचन देती है तो ऐसा दायित्व इस प्रकार दर्शाना होगा जैसे कि राज्य का उधार हो।
11. (क) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री (जिसे, इसमें, इसके बाद "वित्त मंत्री" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), बजट आकलनों के संबंध में प्राप्तियों तथा खर्च के रूप का अर्धवार्षिक पुनर्विलोकन करेगा तथा ऐसे पुनर्विलोकनों के निष्कर्ष राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखेगा।
- (ख) जब कभी वहां राजकोषीय नीति योजना विवरण या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित अभ्यन्तर वर्ष लक्ष्यों के विषय में या तो राजस्व में कमी या खर्च की अधिकता हो जाती है तो राज्य सरकार राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए तथा/या खर्च घटाने के लिए जिसमें राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा प्रयुक्त की जाने वाली प्राधिकृत राशियों की काट छांट भी शामिल है, समुचित उपाय करेगी:
- परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की संचित निधि पर प्रभारित खर्च या कोई अन्य खर्च जो किसी करार या संविदा के अधीन उपगत किया जाना अपेक्षित है, जो स्थगित या घटाया नहीं जा सकता, को लागू नहीं होगी।
- (ग)(i) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सूत्रबद्ध बाध्यताओं के निर्वहन करने में कोई भी परिवर्तन राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (ii) जहां अकल्पित परिस्थितियों के कारण, कोई परिवर्तन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की सूत्रबद्ध बाध्यताओं के निर्वहन करने के लिए किया जाता है, तो वहां वित्त मंत्री राज्य विधानमण्डल के सदन में स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित के बारे में विवरण देगा: -
- (कक) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सूत्रबद्ध दायित्वों के निर्वहन करने में किसी परिवर्तन का;
- (कख) चाहे ऐसा परिवर्तन मूलभूत है तथा वास्तविक या सम्भाव्य बजट निष्कर्ष से संबंधित है; तथा
- (कग) प्रतिकारी उपाय, जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।
- (घ) वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित कोई उपाय, जिससे राजस्व घाटे में या तो खर्च में बढ़ोतरी या राजस्व में कमी करके बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसी बढ़ोतरी या कमी तटस्थ करने के लिए प्रस्तावित प्रतिकारी उपाय के विवरण सहित होंगे तथा ऐसा विवरण राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।
- (ङ) राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार की स्वतंत्र एजेंसी स्थापित करेगी तथा ऐसे पुनर्विलोकनों को राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखेगी।

12. किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशावित हैं, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वृद्धि अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं चलाई जाएंगी।
13. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे तथा उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।
14. (क) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, कर सकती है;
- बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
- (ख) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।
15. (क) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।
- (ख) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्: -
- (i) धारा 6 के अधीन वृहत् आर्थित रूपरेखा विवरण का प्रारूप;
- (ii) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति का प्रारूप जिसमें धारा 7 के अधीन राजकोषीय सूचकों के लिए चल प्रवृत्ति लक्ष्य भी शामिल है;
- (iii) धारा 8 के अधीन राजकोषीय नीति योजना विवरण का प्रारूप;
- (iv) धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन प्रकटीकरण के लिए प्रारूप;
- (v) अनुपालन लागू करने के उपाय;
- (vi) धारा 11 के अधीन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पुनर्विलोकन की रीति; तथा
- (vii) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।
- (ग) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा यदि सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये, तो तत्पश्चात् यह नियम यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा तथापि कोई ऐसा उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

परिशिष्ट  
1.4

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 6 एवं 26)

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
<b>भाग - क प्राप्तियां</b>					
1. राजस्व प्राप्तियां	17,952	19,751	18,452	20,993	25,564
(i) कर राजस्व	10,928 (61)	11,618( 59)	11,655(63)	13,220(63)	16,790 (66)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	6,853 (63)	7,721(67)	8,155(70)	9,032(68)	11,082 (66)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,217 (11)	1,379(12)	1,419(12)	2,059(16)	2,366 (14)
वाहनों पर कर	224 (2)	234(2)	239(2)	277(2)	457 (3)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,765 (16)	1,763(15)	1,326(12)	1,294(10)	2,319 (14)
भू- राजस्व	13 (-)	9 (-)	9 (-)	9	10
माल एवं यात्रियों पर कर	738 (7)	379(3)	370(3)	392(3)	387 (2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	98 (1)	108(1)	106(1)	120(1)	130 (1)
अन्य कर	20	25	31	37	39
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,591 (26)	5,097(26)	3,238(18)	2,741(13)	3,421 (13)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	1,296 (7)	1,634(8)	1,725(9)	1,775(8)	2302 (9)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1,138 (6)	1,402(7)	1,834(10)	3,257(16)	3,051 (12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	10	7	9	8
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	2,201	214	352	213	233
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	20,153	19,975	18,811	21,215	25,805
5. लोक ऋण प्राप्तियां	2,012	844	3,888	8,455	9,843
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	1,990 (99)	776(92)	3,822(98)	8,320(98)	9,535 (97)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	22 (1)	68(8)	66(2)	135(2)	308 (3)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	22,165	20,819	22,699	29,670	35,648
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	193
8. लोक लेखे प्राप्तियां	6,732	9,433	12,308	15,789	16,595
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	28,897	30,252	35,007	45,459	52,436
<b>भाग - ख व्यय/सवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	16,362	17,527	20,534	25,257	28,310
योजनागत	2,454 (15)	3,176(18)	3,918(19)	5,715(23)	6,251 (22)
योजनेत्तर	13,908 (85)	14,351(82)	16,616(81)	19,542(77)	22,059 (78)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	4,845 (30)	5,230(30)	6,024(30)	7,755(31)	9,328 (33)
आर्थिक सेवाएं	6,627 (40)	6,222(35)	7,035(34)	7,530(30)	7,997 (28)
सामाजिक सेवाएं	4,615 (28)	5,739(33)	7,259(35)	9,902(39)	10,904 (39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	275 (2)	337(2)	216(1)	70(-)	81 (-)
11. पूंजीगत व्यय	2,428	3,426	4,502	5218	4,031
योजनागत	2,486 (102)	3,411(100)	3,990(89)	4,203(81)3	,845 (95)

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
योजनेत्तर	(-) 59 (-2)	15	512(11)	1,015(19)	186 (5)
सामान्य सेवाएं	90 (4)	171(5)	195(4)	187(4)1	99 (5)
आर्थिक सेवाएं	1,689 (68)	2,333(68)	3,198(71)	3,961(76)	2,602
सामाजिक सेवाएं	649 (26)	922(27)	1,109(25)	1,070(20)	1,230 (31)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	185	286	332	830	722
13. कुल (10+11+12)	18,975	21,239	25,368	31,305	33,063
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	1,114	841	1,292	2,746	3,971
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	1,002 (90)	728(87)	1,178(91)	2,576(94)	3,846 (97)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	112 (10)	113(13)	114(9)	170(6)	125 (3)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	190
16. समेकित निधि में से कुल सवितरण (13+14+15)	20,089	22,080	26,660	34,051	37,224
17. आकस्मिक निधि सवितरण	-	-	-	-	3
18. लोक लेखे सवितरण	5,395	8,818	11,442	14,320	15,324
19. राज्य द्वारा कुल सवितरण (16+17+18)	25,484	30,898	38,102	48,371	52,551
<b>भाग ग - घाटा / आधिक्य</b>					
20. राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (1-10)(+)	1,590(+)	2,224(-)	2,082(-)	4,264(-)	2,746
21. राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (4-13)(+)	1,179(-)	1,264(-)	6,557(-)	10,090(-)	7,258
22. प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+) (21+23)(+)	3,444(+)	1,082(-)	4,218(-)	7,353(-)	3,939
<b>भाग - घ अन्य आंकड़े</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,265	2,346	2,339	2,737	3,319
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	922	1,572	2,053	1,947	2,223
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.) / प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	-	-	92(5)	170(7)	670(8)
26. अ.अ. / ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज <sup>4</sup>	-	-	0.04	0.05	1.16
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) <sup>5</sup>	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	28,616	29,118	32,278	39,337	46,282
29. ब्याज सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	5,074	4,402	4,575	4,536	4,528
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	12,694	6,341	5,188	4,757	5,515
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	20	23	29	15	21
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूढ़ पूंजी	36.30	74.74	85.60	30.00	41
33. राजस्व का बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)	1,602 (10)	1,982 (12)	2,367 (16)	3,232 (20)	3,444 (17)

4. अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 1.16 लाख का ब्याज 7.25 प्रतिशत की दर पर दिया गया था।

5. आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टोरेट द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. आंकड़े संचारित थे। 2008-09 के लिए जी.एस.डी.पी. के आंकड़े अस्थायी अनुमान पर हैं, 2009-10 तुरन्त अनुमान और 2010-11 अग्रिम अनुमान पर हैं।

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
<b>भाग - ई राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
<b>I संसाधन गतिशीलता</b>					
स्वयं का कर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.084	0.075	0.064	0.061	0.065
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.035	0.033	0.018	0.013	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/जी.एस.डी.पी.	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009
<b>II व्यय प्रबन्ध</b>					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.146	0.138	0.139	0.145	0.128
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.057	1.075	1.375	1.491	1.293
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.862	0.825	0.809	0.807	0.856
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.277	0.314	0.330	0.364	0.374
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.440	0.409	0.409	0.374	0.329
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.128	0.161	0.177	0.167	0.122
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.123	0.153	0.170	0.161	0.116
<b>III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.012	0.014(-)	0.011(-)	0.020(-)	0.011
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	0.009(-)	0.008(-)	0.036(-)	0.047(-)	0.028
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.026	0.007(-)	0.023(-)	0.034(-)	0.015
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	1.349(-)	1.759	0.318	0.423	0.378
प्राथमिक राजस्व शेष/जी.एस.डी.पी.	0.006	0.005(-)	0.023(-)	0.034(-)	0.021
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध</b>					
राजकोषीय देयताएं/जी.एस.डी.पी.	0.220	0.189	0.176	0.182	0.180
वित्तीय देयताएं/आर.आर	1.594	1.474	1.749	1.187	1.811
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	1.317	0.409(-)	1.437 (-)	4.181(-)	1.004
ऋण विमोचन (मूल + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	1.072	1.338	0.897	0.740	0.831
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
निवेश पर आवर्त	5.62	6.05	8.27	9.60	2.48
वर्तमान राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	3,087	4,300	572	(-)117	2,326
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.86	0.94	0.88	0.80	0.77

परिशिष्ट  
1.5

भाग क: वर्ष 2010 - 11 हेतु प्राप्तियों एवं  
संवितरणों का सार  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 26)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2009-10		2010-11	2009-10		2010-11			
					नान - प्लान	प्लान	कुल	
20,992.66	भाग क: राजस्व							
	I. राजस्व प्राप्तियां	25563.67	25,257.39	I. राजस्व व्यय	22,058.68	6,251.51	28,310.19	
13,219.50	कर राजस्व	16,790.37	7,755.35	सामान्य सेवाएं	9,262.30	65.84	9,328.14	
2,741.40	कर भिन्न राजस्व	3,420.93	9,902.22	सामाजिक सेवाएं	6,574.39	4,329.69	10,904.08	
1,774.47	संघीय करों का राज्य का हिस्सा	2,301.75	5,206.55	शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	4,259.34	1,637.46	5,896.80	
1,617.33	योजनेत्तर अनुदान	1,765.98	1,021.94	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	741.09	327.30	1,068.39	
920.37	राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	749.74	1,093.90	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	917.50	294.25	1,211.75	
719.59	केन्द्रीय एवं केन्द्रीय पोषित प्लान	534.90	69.47	सूचना एवं प्रसारण	33.68	15.53	49.21	
			161.31	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	27.52	172.21	199.73	
			186.37	श्रम एवं श्रम कल्याण	160.745	3.78	214.52	
			2,156.29	समाज कल्याण एवं पोषण	427.84	1,829.16	2,257.00	
			6.39	अन्य	6.68	-	6.68	
			7,529.91	आर्थिक सेवाएं	6,140.75	1,855.98	7,996.73	
			1,122.33	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	718.60	642.14	1,360.74	
			869.11	ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	253.71	714.15	967.86	
			858.47	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	680.79	219.95	900.74	
			2,787.87	ऊर्जा	2,947.85	7.93	2,955.78	
			69.80	उद्योग एवं खनिज	39.19	50.21	89.40	
			1,481.53	यातायात	1,453.81	52.17	1,505.98	
			35.09	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.03	13.15	15.18	
			305.71	सामान्य आर्थिक सेवाएं	44.77	156.28	201.05	
			69.91	सहायता अनुदान तथा अंशदान	81.24	-	81.24	
4,264.73	II. भाग ख को अयनीत राजस्व घाटा	2746.52		भाग (ख) को अयनीत राजस्व सरप्लस				
25,257.39	योग भाग क	28310.19	25,257.39		22,058.68	6,251.51	28,310.19	
3,404.94	भाग ख - अन्य							
	III. स्थायी अगिर्मों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	493.42	-	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट				
9.39	IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.00	5,218.48	IV. पूंजीगत परिव्यय	186.09	3,845.0	14,031.10	
			187.37	सामान्य सेवाएं	-	198.94	198.94	
			1,070.00	सामाजिक सेवाएं	0.02	1,229.69	1,229.71	
			113.71	शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	0.02	75.66	75.68	
			74.59	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	18.51	18.51	
			769.29	जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास		1,046.68	1,046.68	

प्राप्तियां			संवितरण					
2009-10			2010-11	2009-10		2010-11		
						नान - प्लान	प्लान	कुल
				2.80	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		2.66	2.66
				17.59	समाज कल्याण एवं पोषण		7.81	7.81
				92.02	अन्य		78.37	78.37
				<b>3,961.11</b>	<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>186.07</b>	<b>2,416.3</b>	<b>92,602.45</b>
				1,031.06	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	185.89	10.93	196.82
				756.36	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	760.61	760.61
				898.82	ऊर्जा	-	653.95	653.95
				1.69	उद्योग एवं खनिज	-	0.67	0.67
				1,247.23	यातायात	0.18	972.02	972.20
				25.95	सामान्य आर्थिक सेवाएं-		18.20	18.20
212.84	V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		233.05	829.69	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	183.37	538.50	721.87
20.58	विजली परियोजनाओं से	6.91		123.54	विजली परियोजनाओं हेतु	-	223.56	223.56
148.53	सरकारी कर्मचारियों से	159.46		189.62	सरकारी कर्मचारियों को	183.37	5.23	188.60
43.73	अन्यों से	66.68		516.53	अन्यों को	-	309.71	309.71
	VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया			4,264.73	VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया	-		2,746.52
8,455.37	VII. लोक ऋण प्राप्तियां बाह्य ऋण		9842.73	2,745.97	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान बाह्य ऋण	3,846.52		3,971.08
8,319.97	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवर ड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	9,534.46		2,576.41	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण			
-	ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल संपादन	-			अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन	-		
135.40	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	308.27		169.56	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	124.56		
-	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन			190.00	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन			190.00
-	IX. आकस्मिक निधि को स्थानान्तरित राशि		2.83		IX. आकस्मिक निधि से व्यय			2.83
15,789.41	X. लोक लेखा प्राप्तियां		16594.62	14,319.66	X. लोक लेखा संवितरण			15,324.41
1,870.32	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,964.13		1,008.40	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	1,216.33		
419.80	आरक्षण निधियां	317.04		99.27	आरक्षण निधियां	370.61	659.70	
	उचन्त एवं विविध	*602.69		616.08	उचन्त एवं विविध	648.45		
5,526.75	प्रेषण	5,360.62		5,809.71	प्रेषण	5,055.54		
7,312.84	निक्षेप एवं अग्रिम	8,350.14		6,786.20	निक्षेप एवं अग्रिम	8,033.48		
-	XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट			493.42	XI. समाप्ति पर नकद शेष			376.84
				0.54	कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54		
				(-),1,132.20	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(-),1,776.40		
				4.11	स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	14.04		
				1,620.97	नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	2,138.66		
27,871.95	योग भाग - स्व		27364.65	27,871.95	योग			27,364.65

\* एम.एच. 8680 - विविध सरकारी लेखाओं के अन्तर्गत क्रेडिट 599.20 + 3.49



भाग ख: 31 मार्च 2011 को हरियाणा  
सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 26)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2010 को	देयताएं		31 मार्च 2011 को
26,798.04	<b>आन्तरिक ऋण</b>		32,485.98
	10,929.19	ब्याज युक्त बाजार ऋण	15,086.84
	2.39	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.37
	12.90	जीवन बीमा निगम से ऋण	9.86
	4,863.21	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	5,462.24
	10,990.35	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियां जारी	11,924.67
1,996.72	<b>केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>		2,180.43
	0.43	1984 - 85 से पूर्व के ऋण	--
	30.59	योजनेत्तर ऋण	27.70
	1,924.01	स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	2,114.90
	13.37	केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	11.47
	28.32	केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	26.36
10.00	<b>आकस्मिक निधि</b>		200.00
7,471.36	<b>लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि</b>		8,219.16
2,748.37	<b>निक्षेप</b>		3,065.03
1,839.94	<b>आरक्षण निधियां</b>		1,786.37
4.00	<b>प्रेषण शेष</b>		15.20
40,868.43			47,952.17
31 मार्च 2010 को	परिसम्पत्तियां		31 मार्च 2011 को
29,386.96	<b>स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय</b>		33,410.05
	5,575.18	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	6,376.98
	23,811.78	अन्य पूंजीगत परिव्यय	27,033.07
2,494.10	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>		2,982.93
	242.33	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	458.98
	1,758.37	अन्य विकास ऋण	2,001.40
	493.40	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	522.55
0.88	<b>अग्रिम</b>		0.88
-	<b>उच्यन्त एवं विविध शेष</b>		45.25
289.88	<b>प्रेषण शेष</b>		
493.42	<b>नकद</b>		376.84
	0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-)1,132.20	रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-)1,776.40
	4.00	विभागीय नकद शेष	13.93
	0.11	स्थायी अग्रिम	0.11
	103.34	नकद शेष निवेश	683.53
	1,517.63	आरक्षण निधि निवेश	1,455.13
8,203.19	<b>सरकारी लेखाओं पर घाटा</b>		11,136.22
	4,264.73	(i) राजस्व आधिक्य/चालू वर्ष का घाटा	2,746.52
	3,938.46	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	8,203.19
		(iii) विविध सरकारी लेखे*	(-)3.49
		(iv) आकस्मिक निधि से विनियोजन	190.00
40,868.43	<b>कुल</b>		47,952.17

\* ₹ (-) 3.49 करोड़, शीर्ष "8680 - विविध सरकारी लेखे" के अन्तर्गत किए गए समायोजनों को दर्शाता है।

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: - आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदे अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदे लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उच्यन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा "भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2011 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 5.37 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2011)।

# परिशिष्ट 1.6

वर्ष 2010 - 11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 1, 9, 13, 14, 16 एवं 27)

(₹ करोड़ में)

विवरण	टीएच.एफ.सी. द्वारा निर्धारण	एफ.सी.पी. में प्रक्षेपण	एम.टी.एफ.पी.एस. में प्रक्षेपण
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,07,230	2,30,900	2,57,793
स्वयं का कर राजस्व	17,613.74	18,743.64	16,469.29
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व	11,990.17	3,972.45	3,548.52
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	29,603.91	22,716.09	20,017.81
योजनेतर राजस्व व्यय	15,789.90	22,944.28	21,698.04
योजनागत राजस्व व्यय			6,784
वेतन	6,456.50	9,500	10,191.28
ब्याज भुगतान	3,474.32	3,509	3,573.49
पेंशन	1,939.32	2,950	3,070
कुल परिदान		3,480	3,586.65
परिदान - विद्युत		3,200	3,200.65
परिदान - अन्य		280	385.99
राजस्व घाटा		2,046.80	
राजकोषीय घाटा		6,927 (जी.एस.डी.पी का 3 प्रतिशत)	
बकाया ऋण		46,157.47 (जी.एस.डी.पी का 22.4 प्रतिशत)	

परिशिष्ट  
1.7

मुख्य घटकों के सम्बन्ध में कर तथा कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा (संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.1; पृष्ठ 8)

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)		की प्रतिशतता	
<b>कर राजस्व</b>					
बिक्रियों, व्यापारों इत्यादि पर कर	2006-07	6,853.24	45.42	0.66	0.82
	2007-08	7,720.98	50.64	0.66	0.83
	2008-09	8,154.73	65.92	0.81	0.88
	2009-10	9,032.37	78.48	0.86	
	2010-11	11,082.01	87.82	0.79	
वाहनों पर कर	2006-07	223.66	6.93	3.10	2.47
	2007-08	233.79	5.47	2.34	2.58
	2008-09	239.30	8.00	3.34	3.66
	2009-10	277.07	11.32	4.09	
	2010-11	457.36	13.38	2.93	
राज्य उत्पाद	2006-07	1,217.10	12.09	0.99	3.30
	2007-08	1,378.81	12.95	0.94	3.27
	2008-09	1,418.53	18.46	1.30	2.77
	2009-10	2,059.02	20.48	0.99	
	2010-11	2,365.81	21.57	0.91	
स्टाम्प तथा पंजीकरण	2006-07	1,764.98	10.59	0.60	2.33
	2007-08	1,763.28	12.04	0.68	2.09
	2008-09	1,326.39	16.31	1.23	2.93
	2009-10	1,293.57	13.72	1.06	
	2010-11	2,319.28	11.72	0.51	
माल एवं यात्रियों पर कर	2006-07	738.41	-	-	
	2007-08	379.39	1.13	0.30	
	2008-09	370.29	1.50	0.41	
	2009-10	391.45	1.94	0.50	
	2010-11	387.14	1.94	0.50	

परिशिष्ट  
1.8

अंततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2011 को)  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 22)

		निवेश (2010-11 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
<b>I. सरकारी कम्पनियां</b>				
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिकतः कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	19.52	7.54	2005-06
2.	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	29.81	2.22	2006-07
3.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	311.72	2009-10
4.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.17	10.57	2009-10
5.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	185.74	93.16	2008-09
6.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.81	24.60	2009-10
7.	हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.65	5.37	2008-09
8.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड, पंचकूला	2,494.66	108.12	2009-10
9.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकूला	1,397.12	22.09	2008-09
10.	उत्तर हरियाणा हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकूला	809.71	3,690.63	2008-09
11.	दक्षिण हरियाणा हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार	823.19	1,894.15	2009-10
<b>कुल</b>		<b>5,776.27</b>	<b>6,170.17</b>	

परिशिष्ट  
1.9

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक / अर्ध - वाणिज्यिक  
उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्थिति  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.4; पृष्ठ 23)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया हास	आवर्त	निवल लाभ / हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (9+10)	पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि विभाग (बीज डीपो स्कीम)	1987-88	-	-	-	-	0.03	(-) 0.10	-	(-) 0.10	-
2.	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1985-86	2.53	2.30	-	-	1.96	0.06	-	0.06	3
3.	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2006-07	25.20	21.58	0.09	0.01	15.95	1.26	1.48	2.74	13
4.	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2009-10	2,792.88	2,307.85	-	-	2,659.50	(-) 153.37	-	(-) 153.37	-
5.	यातायात विभाग हरियाणा परिवहन	2005-06	402.67	383.96	464.93	0.53	518.41	(-) 131.30	24.33	(-) 106.97	-
कुल			3,223.28	2,715.69	465.02	0.54	3,195.85	(-) 283.45	25.81	(-) 257.64	

परिशिष्ट  
1.10

सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना के अन्तर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	पूर्णता की तारीख
1.	फरीदाबाद में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण तथा दिल्ली-आगरा रेलवे लाईन तक इसकी पहुंच	लोक निर्माण विभाग	6.94	बी.ओ.टी.	29 सितम्बर 2000
2.	यमुनानगर-पिपली-पेहोवा मार्ग पर कुरूक्षेत्र में दो लेन वाला रेलवे ओवर ब्रिज	लोक निर्माण विभाग	16.00		मार्च 2007
3.	फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-सोहाना मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग सं. 575-बी के बदले में रेलवे ओवर ब्रिज तक पहुंचने के लिए दो लेन मार्ग का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	24.00		सितम्बर 2000
4.	औद्योगिक पार्क, सैक्टर-33-34, फरीदाबाद का विकास	हुडा	60.00	एम.ओ.आई.	26 जून 2009
5.	सैक्टर 3, पंचकुला में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुडा	4.00	बी.ओ.टी.	21 दिसम्बर 2007
6.	सैक्टर 38, गुडगांव में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुडा	4.00	बी.ओ.टी.	25 मार्च 2008
कुल			114.94		

परिशिष्ट  
1.11

# कार्यान्वयन के अन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना के विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	गुडगांव - फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ - सोहना मार्गों का डिजाईन, अभियान्त्रिकी, वित्त, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण	लोक निर्माण विभाग	180.00	बी.ओ.टी.	31 जनवरी 2009	मई 2011
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेसवे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	2,545.00	बी.ओ.टी.	14 नवम्बर 2005	31 दिसम्बर 2009 तक आंशिक पूर्णता
3.	महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झज्जर की स्थापना	एच.पी.जी.सी.एल.	6,000.00	बी.ओ.टी.	23 जुलाई 2008	यूनिट-I: दिसम्बर 2011, यूनिट II: मई 2012
4.	झज्जर विद्युत प्रसारण प्रयोजना	एच.वी.पी.एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	28 मई 2010	दिसम्बर 2011
5.	गुडगांव में खेलकूद पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	70.50	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	मार्च 2008 तथापि, कार्यान्वयन में विलंब है
6.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुडगांव	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	नौ वर्षों की अवधि के दौरान तीन चरणों में कार्यान्वित की जानी है
7.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, झज्जर	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	नौ वर्षों की अवधि के दौरान तीन चरणों में कार्यान्वित की जानी है
8.	यूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली - सोनीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
9.	पेट्रोकेमिकल हब, पानीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	2016 तक दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
10.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्टूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
11.	यूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्टूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
12.	सैक्टर 29, गुडगांव में आडीटोरियम भवन को पट्टे पर देना	हुडा	40.00	बी.ओ.टी.	15 फरवरी 2008	फरवरी 2010
13.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से एन.एच.-8, गुडगांव तक मेट्रो लिंक का विकास	हुडा	900.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	जुलाई 2012
14.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारट्रोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	16 अप्रैल 2012
15.	बड़खल में होटल प्रबंधन संस्थान	पर्यटन विभाग	40.00	पट्टा आधार पर	29 जुलाई 2009	परिकलित की जा रही है
16.	100 गांवों में 100 आरक्षित औसमोसिस प्लांट्स की स्थापना	जनस्वास्थ्य विभाग	11.25	बी.ओ.टी.	23 जुलाई 2008	31 मार्च 2010
17.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	19 नवम्बर 2009	18 नवम्बर 2014
18.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	25 नवम्बर 2009	24 नवम्बर 2014
19.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	18.30	सेवा करार	28 मई 2007	31 मार्च 2010
20.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	9.53	सेवा करार	30 मई 2007	31 मार्च 2010
21.	213 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	03 मार्च 2010	मार्च/अप्रैल 2015
कुल			64,336.58			

राज्य सरकार के विचाराधीन सार्वजनिक निजी  
साझेदारी परियोजनाओं के विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)
1.	राय मलिकपुर - नारनौल - महेन्द्रगढ़ - दादरी - भिवानी - खरक कारीडोर का विकास	लोक निर्माण विभाग	1,201.70	डी.बी.एफ.ओ.टी.
2.	यमुनानगर - लाडवा मार्ग का विकास	लोक निर्माण विभाग	172.00	बी.ओ.टी.
3.	सैक्टर 29 तथा 52 - ए, गुड़गांव में एम्युजमेंट पार्क	हुडा	100.00	बी.ओ.टी.
4.	सैक्टर 29, गुड़गांव में एकीकृत मल्टी लेवल पार्किंग	हुडा	100.00	बी.ओ.टी.
5.	कालेसर में एकीकृत पर्यटन रिजोर्ट - (लगभग 9.00 एकड़)	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
6.	मल्लाह में एकीकृत पर्यटन रिजोर्ट एवं स्पा - (लगभग 9.00 एकड़)	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
7.	माधोगढ़ में एकीकृत पर्यटन रिजोर्ट एवं स्पा - (लगभग 8.00 एकड़)	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
8.	धारूहेड़ा में शॉपिंग माल/मल्टीप्लेक्स - (6.29 एकड़)	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
9.	कर्ण लेक (9.00 एकड़) तथा कुरूक्षेत्र (पिपली) - (8.00 एकड़) में एम्युजमेंट/थीम पार्को की स्थापना	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
10.	तिलयार लेक, रोहतक - (5.00 एकड़) में एम्युजमेंट पार्क	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
11.	सूरजकुण्ड (2.00 एकड़), दमदमा, होडल (1.50 एकड़) तथा धारूहेड़ा (0.75 एकड़) में एडवेंचर कैंम्पिंग साईट्स	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
12.	हरियाणा में 20 स्थानों पर बस स्टैंडों का विकास	पर्यटन विभाग		बी.ओ.टी.
13.	गुड़गांव में इन्ट्रा सिटी बस सर्विस	परिवहन विभाग		परिकलित की जा रही है
14.	पिंजौर, करनाल, भिवानी तथा नारनौल में अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहाल/फिक्सड बेस ओपरेशन (एफ.बी.ओ.) सुविधाओं की स्थापना	नागरिक उड्डयन विभाग		परिकलित की जा रही है
15.	पिंजौर, करनाल, भिवानी तथा नारनौल में इकोनोमिक्स स्टीम्यूलस के अन्तर्गत विभिन्न रूप से अक्षमों के लिए विशेष स्कूलों/संस्थानों की स्थापना	नागरिक उड्डयन विभाग		परिकलित की जा रही है
16.	पैकेज	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	150.00	परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) करार
17.	अबुब शहर में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	5.70	ओ. एण्ड एम. करार
18.	पानीपत में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	4.91	ओ. एण्ड एम. करार
19.	पंचकुला में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ. एण्ड एम. करार
20.	हिसार में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ. एण्ड एम. करार
21.	नारनौल में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ. एण्ड एम. करार
22.	रोहतक में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	5.16	ओ. एण्ड एम. करार



क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत ( ₹ करोड़ में )	संरचना ( बी.ओ.ओ.टी. / बी ओ टी )
23.	करनाल में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.77	ओ. एण्ड.एम. करार
24.	गुडगांव में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	4.39	ओ. एण्ड एम. करार
25.	कुरुक्षेत्र में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	5.63	ओ. एण्ड एम. करार
26.	झज्जर (बेरी) में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	3.32	ओ. एण्ड एम. करार
27.	सोनीपत में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	4.39	ओ. एण्ड एम. करार
28.	फरीदाबाद में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	3.90	ओ. एण्ड एम. करार
29.	जींद में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ. एण्ड एम. करार
30.	पेहोवा में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ. एण्ड एम. करार
31.	यमुनानगर में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	3.90	ओ. एण्ड एम. करार
32.	सिरसा जिले के अबुव शहर में किन्नु तथा अन्य फलों एवं सब्जियों के लिए जुसिंग / प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना	एच.एस.ए.एम.बी.	66.00	
33.	रोहतक में फलों एवं सब्जियों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना	एच.एस.ए.एम.बी.	70.00	
34.	सोनीपत जिले के गन्नौर में फलों एवं सब्जियों के लिए टर्मिनल मार्किट	एच.एस.ए.एम.बी.	180.00 फेस - I में	

परिशिष्ट  
2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचतें	बचतों की प्रतिशतता
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	2	राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	59.19	15.69	27
2	4	राजस्व	1,218.65	273.17	22
3	7	योजना एवं सांख्यिकी	254.23	84.27	33
4	8	भवन तथा सड़कें	1,033.80	369.31	36
5	9	शिक्षा	6,173.08	610.53	10
6	10	तकनीकी शिक्षा	261.48	66.22	25
7	13	स्वास्थ्य	1,317.88	249.65	19
8	14	शहरी विकास	100.84	69.69	69
9	15	स्थानीय सरकार	945.59	654.40	69
10	16	श्रम	30.38	6.72	22
11	19	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	259.98	60.25	23
12	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,578.96	34.05	2
13	21	महिला और बाल विकास	469.96	106.86	23
14	23	स्वाद्य तथा आपूर्ति	243.41	153.93	63
15	24	सिंचाई	1,177.07	311.48	26
16	27	कृषि	709.27	54.74	8
17	28	पशुपालन और डेयरी विकास	325.30	20.75	6
18	32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	1,079.94	69.48	6
19	34	परिवहन	1,169.94	80.82	7
20	36	गृह	1,638.04	51.76	3
21	38	जनस्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	944.56	73.88	8
22	40	ऊर्जा तथा बिजली	3,225.53	261.28	8
23	41	इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकि	22.69	6.20	27
24	42	न्याय प्रशासन	240.20	25.95	11
<b>राजस्व (भारित)</b>					
25	6	वित्त	4,018.69	594.25	15
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
26	8	भवन तथा सड़कें	1,400.98	260.48	19
27	14	शहरी विकास	353.02	21.28	6
28	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	25.86	6.74	26
29	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2.86	1.92	67
30	23	स्वाद्य तथा आपूर्ति	4,187.78	456.74	11
31	36	गृह	130.50	39.60	30
32	38	जनस्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,001.70	303.54	30
33	40	ऊर्जा तथा बिजली	1,054.77	400.82	38
34	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1,602.40	880.53	55
<b>पूँजीगत (भारित)</b>					
35	8	भवन तथा सड़कें	8.00	2.15	27
36		लोक ऋण	7,867.65	3,226.09	41
<b>योग</b>			<b>46,134.18</b>	<b>9,905.23</b>	

परिशिष्ट  
2.2

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य व्यय	आधिक्य की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)						
1	6	वित्त	3,119.00	3,139.22	20.22	1
पूंजीगत (दत्तमत)						
2	24	सिंचाई	514.4	712.98	198.58	39
योग			3,633.40	3,852.20	218.80	

## परिशिष्ट 2.3

### बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण दर्शाने वाले विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 43)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	आहरित राशि		अभ्युक्तियां	लेखापरीक्षा की अवधि
		दिनांक	राशि (₹ लाख में)		
1	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) कुरुक्षेत्र	31 मार्च 2010	40.98	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा हुआ	अप्रैल 2010
2	मुख्य अध्यापिका, आई.टी.आई. (महिला), करनाल	26 मार्च 2010	1.83	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा हुआ	मई 2010
3	मुख्य अध्यापिका, आई.टी.आई. (महिला), टोहाना (फतेहाबाद)	25 मार्च 2010	4.99	बैंक खातों में जमा कराया गया	जून 2010
4	प्रधानाचार्य आई.टी.आई., पुन्डरी (कैथल)	31 मार्च 2010	2.23	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा हुआ	मई 2010
5	कमांडेंट, पहली बटालियन हरियाणा सशस्त्र पुलिस अकादमी, अंबाला	31 मार्च 2010	40.17	डी.डी.संख्या 4058 दिनांक 8 सितंबर 2010 डी.डी.संख्या 50376 दिनांक 3 सितंबर 2010	नवम्बर 2010
6	निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, करनाल	31 मार्च 2010	89.15	सिंचाई शाखा, करनाल के एस.बी.आई. के डी.डी.ओ. एस/बी. खाता संख्या, 10868331129 में पड़ा हुआ	जुलाई 2007 से जून 2008
7	उप परियोजना निदेशक, एच.ओ. पी.पी., करनाल	31 मार्च 2010	16.99	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा गया और बाद में भुगतान किया	फरवरी 2011
8	पुलिस महानिदेशक हरियाणा, पंचकूला	31 मार्च 2011	123.85	प्रबंध निदेशक, एच.ए.आर.टी.आर.ओ.एन. के पक्ष में तैयार किया हुआ बैंक ड्राफ्ट	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
9	पुलिस महानिदेशक हरियाणा, पंचकूला	31 मार्च 2011	269.15	आपदा प्रबंधन के लिए मदों के क्रय हेतु हरियाणा पुलिस आवास निगम के पक्ष में तैयार किया हुआ बैंक ड्राफ्ट	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
10	महानिदेशक, हरियाणा रोड़वेज, चण्डीगढ़	31 मार्च 2011	10835.00	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी, निगम गुडगांव को बसों की खरीद के लिए स्थानान्तरित किया। राशि को एफ.डी.आर. में रखा गया।	
योग			11,424.34		

स्रोत: विभागों द्वारा प्रस्तुत विवरण।

अर्थात् ₹ 114.24 करोड़

परिशिष्ट  
2.4

प्रकरणों के विवरण जहां पूरक प्रावधान  
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा अधिक)  
अनावश्यक सिद्ध हुए  
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.7; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	7- योजना एवं सांख्यिकी	250.00	169.96	80.04	4.23
2	8-भवन तथा सड़कें	865.13	664.49	200.64	168.67
3	9-शिक्षा	5,788.57	5,562.55	226.02	384.52
4	10-तकनीकी शिक्षा	239.09	195.26	43.83	23.39
5	13-स्वास्थ्य	1,117.13	1,068.22	48.91	200.75
6	14-शहरी विकास	97.52	31.15	66.37	3.32
7	24-सिंचाई	1,105.31	865.59	239.72	71.76
8	25-उद्योग	69.15	62.62	6.53	1.97
9	39-सूचना एवं प्रचार	51.83	49.21	2.62	2.06
10	40-ऊर्जा तथा बिजली	2,988.24	2,964.25	23.99	237.28
11	41-इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी	19.58	16.48	3.10	3.10
<b>सह-योग</b>		<b>12,591.55</b>	<b>11,649.78</b>	<b>941.77</b>	<b>1,101.05</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>					
12	2- राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	6.19	6.19	-	1.00
<b>सह-योग</b>		<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>-</b>	<b>1.00</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
13	8- भवन तथा सड़कें	1,213.08	1,140.50	72.58	187.90
14	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	25.00	19.12	5.88	0.86
15	23-स्वाद्य तथा आपूर्ति	3,816.25	3,731.05	85.20	371.53
<b>सह-योग</b>		<b>5,054.33</b>	<b>4,890.67</b>	<b>163.66</b>	<b>560.29</b>
<b>पूँजीगत (भारित)</b>					
16	लोक ऋण	5,953.99	4,641.56	1,312.43	1,913.65
<b>सह-योग</b>		<b>5,953.99</b>	<b>4,641.56</b>	<b>1,312.43</b>	<b>1,913.65</b>
<b>कुल योग</b>		<b>23,606.06</b>	<b>21,188.20</b>	<b>2,417.86</b>	<b>3,575.99</b>

परिशिष्ट  
2.5

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की तालिका जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुए (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान एवं विनियोग की संख्या	वास्तविक प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत (दत्तमत)							
1.	24	सिंचाई	436.40	78.00	514.40	712.98	198.58
योग			436.40	78.00	514.40	712.98	198.58

परिशिष्ट  
2.6

अधिक / अनावश्यक / अपर्याप्त निधियों का  
पुनर्विनियोजन का विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.8; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
1.	4	राजस्व	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात इत्यादि 101 - नि:शुल्क राहत 97 - बीज, खाद्य तथा कृषि क्रियान्वयन की आपूर्ति	(ओ) 16.00 (एस) 378.47 (आर) (-) 213.15 181.32	178.31	(-) 3.01
2.			106 - क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुर्नस्थापना	(ओ) 5.00 (एस) 71.93 (आर) (-) 42.29 34.64	5.90	(-) 28.74
3.			193 - स्थानीय निकायों / अन्य गैर सरकारी निकायों / संस्थाओं को सहायता	(ओ) 3.50 (एस) 16.50 (आर) (-) 5.00 15.00	5.00	(-) 10.00
4.			05 - राज्य विपदा प्रतिक्रिया फंड 101 - राज्य विपदा प्रतिक्रिया फंड 99 - राज्य अंशदान	(ओ) 151.18	100.30	(-) 50.88
5.			98 - राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड के अंतर्गत निर्माण के लिए सहायता अनुदान	(एस) 5.00 (आर) (-) 1.15 3.85	-	(-) 3.85
6.			01 - सूखा 101 - नि:शुल्क राहत 98 - बीज, खाद्य तथा कृषि क्रियान्वयन की आपूर्ति	(ओ) 6.00 (एस) 41.28 47.28	44.65	(-) 2.63
7.			2053 - जिला प्रशासन 094 - अन्य स्थापना 99 - उप जिला स्थापना	(ओ) 11.76 (एस) 3.57 (आर) (-) 1.01 14.32	12.91	(-) 1.41
8.			3454 - जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 - जनगणना 001 - निर्देश तथा प्रशासन 99 - जनगणना से संबंधित जिला स्टाफ लगाने का प्रावधान	(एस) 14.45 (आर) (-) -3.20 11.25	12.47	(+) 1.22
9.			2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात इत्यादि 104 - चारे की आपूर्ति	(ओ) 0.50 (आर) (-) 0.47 0.03	223.00	(+) 222.97
10.	6	वित्त	2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ 01 - सिविल 101 - सेवानिवृति एवं अधिवाषिता भत्ते	(ओ) 1391.80 (एस) 725.25 (आर) 39.65 2156.70	2176.27	(+) 19.57
11.			2049 - ब्याज अदायगी 01 - बाजार ऋणों पर ब्याज 99 - ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 1186.78 (आर) (-) 322.16 864.62	1,007.30	(+) 142.68
12.			200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 92 - राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र योजना आयोग से ऋण पर ब्याज	(ओ) 220.48 (आर) (-) 69.41 151.07	95.75	(-) 55.32
13.			91 - राज्य सरकार के 8.5 प्रतिशत कर रहित विशेष बांड (पावर बांड)	(ओ) 107.43	-	(-) 107.43

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
14.			96-नाबार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण उधार (एल.टी.ओ.) निधि से कर्जे	(ओ) 94.78 (आर) (-) 13.50 81.28	76.36	(-)4.92
15.			123-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93-लघु बचतों पर ब्याज का संग्रहण	(ओ) 1,145.99 (आर) (-) 32.87 1,113.12	1,078.15	(-)34.97
16.			305-देनदारियों का प्रबंधन 99-नए ऋणों को जारी करने पर व्यय, इत्यादि	(ओ) 3.00	1.97	(-)1.03
17.			04-केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिमों पर ब्याज 101-राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋणों पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 49.88 (आर) (-) 13.46 36.42	32.09	(-)4.33
18.			60-अन्य दायित्वों पर ब्याज 101-जमा पर ब्याज	(ओ) 4.50 (आर) (-) 1.00 3.50	-	(-)3.50
19.	8	भवन एवं सड़कें	3054-सड़कें तथा पुल 04-जिला और अन्य सड़कें 337-सड़क कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ) 127.44 (एस) 127.67 (आर) (-) 101.30 153.81	155.23	(+) 1.42
20.			80-सामान्य 797-रिजर्व फंड और जमा खातों से/में स्थानान्तरण 99-सी.आर.एफ. अन्तर्खाता बदलीकरण से/में स्थानान्तरण	(ओ) 150.00	50.57	(-) 99.43
21.			01-राष्ट्रीय राजमार्ग 337-सड़क कार्य 99-राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और मरम्मत	(एस) 15.01 (आर) (-) 0.64 14.36	-	(-) 14.36
22.			03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य	(ओ) 60.12 (एस) 11.98 (आर) (-) 15.80 56.30	57.35	(+)1.05
23.			2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 053-रख-रखाव और मरम्मत 99-रख-रखाव और मरम्मत	(ओ) 40.00 (एस) 10.00 (आर) (-) 2.80 47.20	42.50	(-)4.70
24.			3054-सड़कें और पुल 80-सामान्य 001-निर्देश और प्रशासन 99-मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण से स्थानान्तरित स्थापन व्यय का-स्थानान्तरण	(ओ) 123.52 (आर) (-) 3.52 120.00	139.95	(+)19.95
25.			2216-आवास 05-सामान्य पूल रिहायश 001-निर्देश और प्रशासन 99-निर्देश और प्रशासन	(ओ) 6.76	8.61	(+)1.85
26.			2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 799-उर्ध्व	(ओ) 2.50 (आर) 10.36 12.86	8.60	(-)4.26



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
27.			2216- आवास 05-सामान्य पूल रिहायश 053- रख-रखाव और मरम्मत 99- अन्य रख-रखाव खर्चे 88- सामान्य रख-रखाव व मरम्मत	(ओ) 11.86 (एस) 4.00 (आर) 1.10 16.96	14.60	(-)2.36
28.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 99- जिला सड़कें	(ओ) 179.11 (आर) (-) 20.37 158.74	149.60	(-)9.14
29.			4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 99-भवन	(एस) 27.00 (आर) (-) 27.00 शून्य	-1.89	(-) 1.89
30.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 51-निर्माण 99- जिला प्रशासन	(ओ) 18.00 (एस) 35.00 (आर) (-)11.45 41.55	39.64	(-) 1.91
31.			60-अन्य भवन 051- निर्माण 96-जेलें	(ओ) 24.18 (एस) 15.00 (आर) (-) 4.07 35.11	36.91	(+) 1.80
32.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य खर्चे 94-औद्योगिक प्रशिक्षण विकास के लिए मूलभूत संरचना का निर्माण	(ओ) 25.49 (एस) 25.00 (आर) (-) 5.38 45.10	39.48	(-)5.62
33.			4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 99- महाविद्यालय भवन	(ओ) 45.00 (आर) (-) 20.65 24.35	34.85	(+)10.50
34.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन 106- सामान्य पूल रिहायश 97- जेलें	(ओ) 2.50 (आर) (-) 0.47 2.03	0.25	(-)1.78
35.			4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 104- बहुतकनीकी 99- बहुतकनीकी भवन	(ओ) 12.68 (आर) (-) 4.75 7.93	18.52	(+)10.59
36.			5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 99-चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	(ओ) 352.48 (आर)10.79 363.27	358.75	(-)4.52
37.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 98- आई.टी.आई. का सर्वोत्तम केन्द्र में उन्नयन (केन्द्रीय योजना)	(ओ) 5.00 (आर) (-) 0.64 4.36	9.10	(+)4.74

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
38.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051- निर्माण 99- लोक निर्माण	(ओ) 1.50 (एस) 3.50 5.00	8.43	(+)3.43
39.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन 106-सामान्य पूल रिहायश 98- जिला प्रशासन	(ओ) 3.50 (एस) 3.00 (आर) (-) 0.75 5.75	7.32	(+)1.57
40.			4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-बहुतकनीकियों में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए होस्टलों का निर्माण	(ओ) 5.00 (आर) 9.26 14.26	4.40	(-) 9.86
41.	9	शिक्षा	2202- सामान्य शिक्षा 01- मौलिक शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालय 88- कक्षा I से V तक प्राथमिक शिक्षा का स्थापना	(ओ) 1270.55 (आर) (-) 79.98 1190.56	1,105.44	(-)85.12
42.			98- कक्षा VI से VIII तक माध्यमिक शिक्षा 98- स्थापन खर्चे	(ओ) 911.06 (आर) (-) 6.28 904.77	862.16	(-)42.61
43.			02- माध्यमिक शिक्षा 99-अन्य स्थापना सहित शिक्षण स्टाफ 98- स्थापना खर्चे	(ओ) 1451.46 (आर) (-) 42.37 1409.09	1,396.66	(-) 12.43
44.			03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103-सरकारी महाविद्यालय और संस्थान 99- संस्थान	(ओ) 237.27 (आर) (-) 37.62 199.65	200.73	(+) 1.08
45.	12	कला एवं संस्कृति	2202- सामान्य शिक्षा 05-भाषा विकास 99- हरियाणा साहित्य अकादमी को सहायता	(ओ) 2.25 (एस) 0.75 3.00	1.87	(-)1.13
46.			97- पंजाबी विश्वविद्यालय का परिस्थापन	(ओ) 0.75 (एस) 0.25 1.00	2.44	(+) 1.44
47.	13	स्वास्थ्य	2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य औषधीय प्रणालियां 101-आयुर्वेद 85-आयुष शाखा / आई.डी.पी. / ओ.पी.डी.पर डी.एच.एस. / एस.डी.एच.एस. / सी.एच.सीज / पी.एच.सीज का परिस्थापन	(ओ) 43.08 (एस) 18.89 (आर) (-) 8.53 53.44	51.96	(-) 1.48
48.			03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथिक 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 91-पी.एच.सीज को जारी रखना	(ओ) 87.98 (एस) 20.46 (आर) 2.68 111.13	99.04	(-) 12.09
49.			2211-परिवार कल्याण 103- प्रसूति और बाल स्वास्थ्य 99-प्रतिरक्षण कार्यक्रम	(ओ) 21.24 (आर) (-) 2.43 18.81	17.78	(-) 1.03

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: प्रक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
50.			2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105- एलोपैथिक 94- चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा का महाराजा अग्रसेन संस्थान, अग्रोहा	(ओ) 7.00 (आर) 3.71 10.71	15.00	(+) 4.29
51.	14	शहरी विकास	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य शहरी विकास स्कीमें 96- पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर) विभाग के लिए प्रेरक पैकेज	(एस) 25.00 25.00	19.20	(-) 5.80
52.			92- सिंचाई विभाग के लिए प्रेरक पैकेज	(एस) 4.00 4.00	2.12	(-) 1.88
53.			97-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रेरक पैकेज	(एस) 110.02 (आर) 60.00 170.02	171.42	(+) 1.40
54.	15	स्थानीय सरकार	2217- शहरी विकास 80-सामान्य 800-अन्य स्वर्चे 80- जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन	(ओ) 174.04 (आर) (-) 89.15 84.89	86.40	(+) 1.51
55.			81- एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम 99- साधारण योजना	(ओ) 51.00 (आर) (-) 51.00 NIL	21.89	(+) 21.89
56.	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	2230-श्रम तथा रोजगार 03-प्रशिक्षण 003- हस्तशिल्पों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 99- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	(ओ) 55.37 (एस) 11.59 (आर) (-) 1.33 65.63	63.92	(-) 1.71
57.			64- आई.टी.आई. का विकास	(ओ) 27.00 (एस) 0.56 (आर) 8.07 35.63	34.35	(-) 1.28
58.			4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800- अन्य व्यय 97- मशीनरी और उपकरण का आधुनिकीकरण	(ओ) 20.00 (आर) (-) 3.18 16.82	15.78	(-) 1.04
59.	19	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 277- शिक्षा 99- अनुसूचित जातियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति	(ओ) 39.78 (एस) 68.27 (आर) (-) 30.33 77.72	86.42	(+) 8.70
60.	20	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 03- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 102- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम 99- पारिवारिक लाभ स्कीम	(ओ) 2.25 (आर) 2.30 4.55	3.40	(-) 1.15
61.			789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99- अनुसूचित जातियों के परिवारों को परिवार लाभ स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता	(ओ) 2.25	3.40	(+) 1.15

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
62.	21	महिला और बाल विकास	2235 -सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02- सामाजिक कल्याण 102-बाल कल्याण 92 - एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	(ओ) 201.67 (आर) -28.16 173.51	176.06	(+)2.55
63.	23	स्वाद्य एवं आपूर्ति	4408 -स्वाद्य, भण्डार और भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय 01- स्वाद्य सामग्री 101- प्रापण एवं आपूर्ति 99- अनाज आपूर्ति स्कीम	(ओ) 3381.99 (एस) 371.53 (आर) (-)291.57 3461.95	3457.72	(-)4.23
64.	24	सिंचाई	2700 -बृहद् सिंचाई 02 - पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001- निर्देश एवं प्रशासन 98 - सिंचाई कार्यान्वयन	(ओ) 234.34 (एस) 16.32 (आर) 12.34 263.00	120.06	(-)142.94
65.			98 - बिजली शुल्क	(ओ) 14.98	22.33	(+)7.35
66.			96 - विशेष राजस्व स्टाफ	(ओ) 44.90 (एस) 2.22 (आर) (-)3.66 43.46	16.25	(-) 27.21
67.			99 - सिंचाई का पर्यवेक्षण	(ओ) 27.98 (एस) 0.28 (आर) (-)4.53 23.72	9.23	(-) 14.49
68.			101- रख - रखाव एवं मरम्मत 98 - अन्य रख - रखाव व्यय	(ओ) 28.75 (आर) 0.88 29.63	24.72	(-) 4.91
69.			15 - चैनलों का लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 92.02	-	(-) 92.02
70.			80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 61.35	-	(-)61.35
71.			001- निर्देश एवं प्रशासन 99 - मुख्य अभियंता सामान्य स्थापना	(ओ) 27.02 (एस) 0.98 (आर) (-)5.79 22.21	3.52	(-) 18.69
72.			01- बहुदेशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001- निर्देश एवं प्रशासन 97- सिंचाई का कार्यान्वयन	(ओ) 47.56 (एस) 4.87 (आर) 1.57 54.00	4.89	(-) 49.11
73.			95 - विशेष राजस्व स्टाफ	(ओ) 22.71 (एस) 1.69 (आर) (-)0.10 24.30	1.08	(-) 23.22
74.			98 - सिंचाई का पर्यवेक्षण	(ओ) 3.67 (आर) (-)0.98 2.69	0.44	(-)2.25

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
75.			101 - रख - रखाव एवं मरम्मत 98 - अन्य रख - रखाव व्यय 98 - पंजाब का हिस्सा	(ओ) 8.24	-	(-)8.24
76.			99 - हरियाणा का हिस्सा	(ओ) 6.53	4.80	(-) 1.73
77.			18 - गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 001 - निर्देश एवं प्रशासन 97 - सिंचाई का कार्यान्वयन	(ओ) 33.46 (एस) 4.18 (आर) (-)0.84 36.80	2.34	(-) 34.46
78.			98 - सिंचाई का पर्यवेक्षण	(ओ) 5.71 (एस) 0.85 (आर) (-)0.36 6.20	0.23	(-)5.97
79.			99 - मुख्य सिंचाई	(आ) 1.80	0.13	(-)1.67
80.			101 - रख - रखाव एवं मरम्मत 98 - अन्य रख - रखाव व्यय	(ओ) 4.50 (एस) 0.70 (आर) 0.28 5.48	4.36	(-)1.12
81.			12 - बाढ़ नियंत्रण परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 16.73	-	(-)16.73
82.			14 - दादूपुर नालवी सिंचाई परियोजना 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 14.63	-	(-)14.63
83.			11 - भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड 800 - अन्य व्यय 98 - शेष पूंजीगत कार्यों सहित भाखड़ा डैम के लिए बी.बी.एम.बी. को अग्रिम	(ओ) 20.67	9.00	(-) 11.67
84.			99 - ब्याज	(ओ) 1.31		(-) 1.31
85.			05 - जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 9.06		(-)9.06
86.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 98 - कार्यकारी	(ओ) 1.51	-	(-) 1.51
87.			07 - सतलुज यमुना लिंक परियोजना (वाणिज्यिक)	(ओ) 1.01	-	(-) 1.01
88.			2701 - मध्यम सिंचाई 07 - नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों में सुधार 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 110.92	-	(-)110.92
89.			14 - जल संसाधन संचित परियोजना (इन्फ्यू.आर.सी.पी.) 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 36.30	-	(-)36.30
90.			08 - जुई नहर परियोजना 800 - अन्य व्यय 98 - बिजली शुल्क	(ओ) 12.33	6.73	(-)5.60

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/बचत (-)
91.			001- निर्देश एवं प्रशासन 98- अधीक्षण अभियंता	(आ) 1.34	0.01	(-)1.33
92.			2700- बृहद् सिंचाई 01- बहुदेशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 799- उचंत 99- उचंत	(ओ) 0.02	1.52	(+)1.50
93.			11- भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड 800- अन्य व्यय 97- शेष पूंजीगत कार्यों सहित ब्यास के लिए बी.बी.एम.बी. को अग्रिम	(ओ) 15.33	18.00	(+) 2.67
94.			2701- मध्यम सिंचाई 10- सेवानी लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) 800- अन्य व्यय 98- बिजली शुल्क	(ओ) 9.67	14.32	(+) 4.65
95.			4700- बृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16- वर्तमान चैनलों/निकास प्रणाली का पुनःउत्थान 800- अन्य व्यय 98- नहरों का निर्माण	(ओ) 15.17 (आर) 26.83 42.00	161.12	(+) 119.12
96.			15- चैनलों की लाईनिंग 800- अन्य व्यय 97- भाखड़ा मुख्य लाईन हांसी-बुटाना शाखा बहुदेशीय लिंक चैनल	(ओ) 1.00 (आर) (-) 0.40 0.60	32.95	(+)32.35
97.			4701- बृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 800- अन्य व्यय 99- नहरों का निर्माण	(ओ) 95.00 (आर) (-) 5.00 90.00	172.55	(+)82.55
98.			06- जल के समान वितरण के लिए नई माईनर 800- अन्य व्यय 98- नहरों का निर्माण	(ओ) 70.00	113.32	(+)43.32
99.			19- कौशल्या डैम 800- अन्य व्यय 98- नहरों का निर्माण	(ओ) 30.00 (आर) (-) 5.00 25.00	38.01	(+)13.01
100.			052- मशीनरी और उपकरण	(ओ) 0.13	2.90	(+) 2.77
101.			4711- बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 201- निकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना 99- बाढ़ संरक्षण एवं आपदा तैयारी	(ओ) 20.85 (एस) 37.55 58.40	65.79	(+) 7.39
102.			4700- बृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण और लाईनिंग 800- अन्य व्यय 98- नहरों का निर्माण	(ओ) 15.00 (S) 25.00 (आर) -27.00 13.00	-	(-)13.00
103.			789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99- राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जल संसाधनों के पुनरोत्थान में सुधार	(ओ) -5.00 (एस) 3.00 (आर) (-) 5.00 3.00	-	(-) 3.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/बचत (-)
104.			16 - वर्तमान चैनलों/निकास प्रणाली का पुनःउत्थान 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जल संसाधनों के पुनरोत्थान में सुधार	(ओ) 25.00 (आर) -1.00 24.00	9.47	(-)14.53
105.			14 - दादूपुर नालवी सिंचाई परियोजना 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 18.00 (आर) -9.00 9.00	10.04	(+)1.04
106.			4701 - बृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07 - नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ.(नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार	(ओ) 30.00 (आर) -2.10 27.90	-	(-)2 7.90
107.			80 - सामान्य 002 - डाटा संग्रह 99 - डाटा संग्रह	(ओ) 14.87 (आर) -5.00 9.87	8.64	(-)1.23
108.			06 - जल के समान वितरण के लिए नई माईनर 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए जल के समान वितरण के लिए नई माईनर में सुधार	(ओ) 30.00 (आर) -0.39 29.61	12.15	(-)17.46
109			21 - राष्ट्रीय पूंजीगत क्षेत्रीय जल आपूर्ति चैनल 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 13.73 (आर) -9.04 4.69	12.05	(+) 7.36
110.			4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय (4) बाढ़ नियंत्रण 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण, पुनर्बहाल और आपदा प्रबंधन	(ओ) 7.55 (एस) 2.45 10.00	1.16	(-)8.84
111.			201 - निकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98 - शहरी आंधी पानी निकास कार्य	(ओ) 7.00 (एस) 10.00 17.00	11.08	(-)5.92
112.			4701 - बृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 98 - भूमि प्रतिपूर्ति का भुगतान	(ओ) 40.00 (एस) 10.80 50.80	47.63	(-)3.17
113.	27	कृषि	2401 - फसल पालन 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 97 - अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए स्कीम	(ओ) 3.60 (आर) -2.60 1.00	-	(-)1.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
114.			111 - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी 92 - राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम 99 - साधारण योजना	(ओ) 4.50 (आर) - 0.02 4.48	1.34	(-) 3.14
115.			2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा 01 - फसल पालन 277 - शिक्षा 99 - हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान सहायता	(ओ) 108.89	93.40	(-) 15.49
116.			99 - साधारण योजना	(ओ) 68.95 (एस) 25.17 94.12	92.30	(-) 1.82
117.			2402 - मृदा और जल संरक्षण 102 - मृदा संरक्षण 86 - वर्ष के दौरान राज्य में जलअच्छादित भूमि के समतल करने के लिए पायलट परियोजना हेतु स्कीम	(ओ) 4.75 (आर) (-) 0.09 4.66	1.31	(-) 3.35
118.			2401 - फसल पालन 111 - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी 90 - परिवर्तित प्राकृतिक कृषि बीमा योजना	(आर) 3.60	-	(-) 3.60
119.	28	पशुपालन	2403 - पशुपालन 101 - पशु चिकित्सा सुविधाएं तथा पशु स्वास्थ्य 93 - पशु चिकित्सा औषधालय / स्टाक मेन केन्द्रों का अस्पताल - सह - प्रजनन केन्द्रों में परिवर्तन	(ओ) 37.69 (एस) 9.21 (आर) (-) 0.96 45.94	44.76	(-) 1.18
120.			800 - अन्य व्यय 97 - हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को अनुदान सहायता	(ओ) 8.00	9.32	(+) 1.32
121.	30	वन एवं वन्य जीवन	2406 - वानिकी एवं वन्य जीवन 01 - वानिकी 102 - सामाजिक तथा फार्म वानिकी 76 - सामाजिक तथा फार्म वानिकी स्कीम	(ओ) 24.25 (आर) (-) 0.07 24.18	10.98	(-) 13.20
122.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 98 - परिमंडल / मंडल स्टाफ	(ओ) 37.17 (एस) 5.67 (आर) 2.28 45.12	57.52	(+) 12.40
123.	32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98 - अनुसूचित जातियों के लिए संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्कीम	(ओ) 10.00 (आर) (-) 0.04 9.96	1.46	(-) 8.50
124.			99 - अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कार्यक्रम के लिए स्कीम	(ओ) 2.00	1.00	(-) 1.00
125.			94 - केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को सहायतानुदान 99 - साधारण योजना	(ओ) 44.64 (एस) 23.57 (आर) (-) 0.01 68.20	58.66	(-) 9.54



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+) बचत(-)
126.			102 - सामुदायिक विकास 89 - सीमेंट कंक्रीट गलियों की पेवमेंट हेतु स्कीम	(ओ) 8.50 (एस) 77.00 85.50	53.88	(-) 31.62
127.			86 - रोजगार उत्पादन हेतु स्कीम	(ओ) 3.23 (आर) 1.38 4.61	0.90	(-) 3.71
128.			93 - संपूर्ण स्वच्छता कैम्पेन के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता 99 - साधारण योजना	(ओ) 2.00	-	(-) 2.00
129.			96 - ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम 99 - साधारण योजना	(ओ) 4.00	2.00	(-) 2.00
130.			3604 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थान के लिए मुआवजा और सुपुर्दगी 200 - अन्य विविध मुआवजा और सुपुर्दगी 92 - पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय क्षेत्र विकास कर (एल.ए.डी.टी.) प्राप्ति की सुपुर्दगी	(ओ) 10.60	-	(-) 10.60
131.			93 - शहरी स्थानीय निकायों को क्षेत्रीय विकास कर की राशि की सुपुर्दगी	(ओ) 10.60	-	(-) 10.60
132.			2505 - ग्रामीण रोजगार 02 - ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 101 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 99 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 99 - साधारण योजना	(ओ) 12.87 (आर) (-) 0.53 12.34	10.63	(-) 1.71
133.			2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 90 - सीमेंट कंक्रीट गलियों की पेवमेंट हेतु स्कीम	(ओ) 11.50 (आर) (-) 3.52 7.98	128.32	(+) 120.34
134.			95 - अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं हेतु स्कीम (टी.एफ.सी.)	(ओ) 32.96	42.50	(+) 9.54
135.			96 - अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार उत्पादन कार्यक्रम हेतु स्कीम	(ओ) 43.00	47.61	(+) 4.61
136.			101 - पंचायती राज 82 - पंचायती राज संस्थाओं के लिए वेट पर सरचार्ज	(एस) 23.02 23.02	62.00	(+) 38.98
137.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 98 - सामुदायिक विकास 96 - जिला और खंड स्टाफ	(ओ) 62.64 (एस) 0.50 (आर) (-) 1.23 61.91	70.97	(+) 9.06
138.			94 - पंचायती राज लोक निर्माण	(ओ) 21.35 (एस) 0.72 (आर) (-) 0.06 22.01	26.21	(+) 4.20
139.			3604 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और सुपुर्दगी 200 - अन्य विविध मुआवजा और सुपुर्दगी 94 - पंचायत समितियों को भारत में बनी विदेशी शराब के विक्रय पर कर के बदले उत्पाद शुल्क का सुपुर्दगी	(ओ) 8.15 (आर) 3.51 11.66	10.04	(-) 1.62

(₹ करोड़ में)

क. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	
140.	36	गृह	2055 - पुलिस 104 - विशेष पुलिस 99 - हरियाणा सशस्त्र पुलिस	(ओ) 111.12 (एस) 0.08 (आर) (-) 27.68 83.52	85.09	(+) 1.57	
141.			111 - रेलवे पुलिस 99 - रेलवे और कमांडो फोर्स	(ओ) 60.02 (एस) 0.14 (आर) (-) 10.64 49.52	50.52	(+) 1.00	
142.	38	जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता 01 - जलापूर्ति 101 - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99 - शहरी जलापूर्ति और सीवरेज अनुरक्षण 99 - विद्युत शुल्क	(ओ) 101.65 (एस) 70.55 (आर) (-) 8.58 163.62	121.42	(-) 42.20	
143.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 97 - कार्यकारी अभियंता और उनकी स्थापना	(ओ) 55.92 (एस) 24.31 (आर) (-) 9.79 70.44	60.57	(-) 9.87	
144.			96 - कार्यकारी अभियंता और उनकी स्थापना नियमित/स्थाई मैकेनिकल स्टाफ	(ओ) 252.00 (एस) 94.13 (आर) (-) 16.38 329.75	333.04	(+) 3.29	
145.			99 - मुख्यालय स्टाफ - मुख्य अभियंता और उनकी स्थापना 98 - स्थापन व्यय	(ओ) 8.08 (एस) 1.52 (आर) (-) 0.93 8.67	6.83	(-) 1.84	
146.			98 - अधीक्षण अभियंता और उनकी स्थापना	(ओ) 7.80 (एस) 1.94 (आर) (-) 1.19 8.55	7.16	(-) 1.39	
147.			92 - यमुना कार्य योजना के लिए स्टाफ	(ओ) 7.65 (आर) (-) 0.28 7.37	5.61	(-) 1.76	
148.			4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01 - जलापूर्ति 102 - ग्रामीण जलापूर्ति 93 - ग्रामीण जलापूर्ति	(ओ) 130.00 (एस) 25.00 (आर) (-) 57.28 97.72	128.24	(+) 30.52	
149.	40		ऊर्जा और विद्युत	2801 - विद्युत 05 - प्रसारण और वितरण 800 - अन्य व्यय 99 - ग्रामीण विद्युतीकरण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के लिए सहायता	(ओ) 2964.20 (एस) 236.45 (आर) (-) 247.77 2952.88	2,939.84	(-) 13.04
150.				4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - प्रसारण और वितरण 190 - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश 98 - साम्य पूंजी हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	(ओ) 439.59 (आर) (-) 336.20 103.39	183.16	(+) 79.77

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
151.			789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98 - दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत बिजली की गुणवत्ता में सुधार और अनुसूचित जातियों को बिजली की अबाधित आपूर्ति	(ओ) 86.00 (आर) (-) 8.36 77.64	37.75	(-) 39.89
152.			97 - हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत राज्य में बिजली की गुणवत्ता में सुधार और अनुसूचित जाति जनसंख्या को अबाधित बिजली की आपूर्ति	(ओ) 100.00	59.48	(-) 40.52
153.			99 - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत राज्य में बिजली की गुणवत्ता में सुधार और अनुसूचित जाति जनसंख्या को अबाधित बिजली की आपूर्ति	(ओ) 86.00	46.71	(-) 39.29
154.			190 - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश 99 - साम्य पूंजी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	(ओ) 318.46 (आर) (-) 43.59 274.87	315.39	(+) 40.52
155.	42	न्याय प्रशासन	2014 - न्याय प्रशासन 102 - उच्च न्यायालय 98 - स्थापना 98 - स्थापना खर्चे	(ओ) 25.20 (एस) 4.45 (आर) 0.33 29.98	33.65	(+) 3.67
156.		लोक ऋण	6003 - राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 110 - भारत के रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	(ओ) 2000.00 (आर) (-) 1693.95 306.05	670.48	(+) 364.43
157.			6004 - केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम 02 - राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीमों के लिए ऋण 101 - खंड ऋण	(ओ) 10.83 (एस) 9.32 (आर) 0.12 20.28	19.12	(-) 1.16
158.			6003 - राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 109 - अन्य संस्थाओं से ऋण 96 - एन.सी.आर.पी.बी. (पी.एच.) से ऋण	(ओ) 135.94 (एस) 4.33 (आर) 6.16 146.43	150.65	(+) 4.22
159.	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	6217 - शहरी विकास के लिए ऋण 60 - अन्य शहरी विकास स्कीमों 800 - अन्य ऋण 97 - सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचना को मजबूत करने के लिए मूलभूत संरचना विकास फंड को ऋण	(ओ) 638.79 (आर) (-) 433.81 204.98	246.81	(+) 41.83
160.			6515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण 800 - अन्य ऋण 99 - गांव के तालाब और पानी के स्रोत सुधार तथा रिमाडलिंग के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास फंड (एच.आर.डी.एफ.) को ऋण	(ओ) 45.00	-	(-) 45.00
161.			789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - गांव के तालाब और पानी के स्रोत सुधार तथा रिमाडलिंग के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास फंड (एच.आर.डी.एफ.) को ऋण	(ओ) 30.00	-	(-) 30.00
<b>योग</b>					<b>21,423.58</b>	<b>(-) 1,830.96</b> <b>(+) 1,583.70</b>

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन से अधिक व्यय	54	1,583.70
विनियोजन में से बचत	107	1,830.96
<b>योग</b>	<b>161</b>	<b>3,457.86</b>

₹ 10 करोड़ से अधिक के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 10, 24, 33, 35, 55, 105 और 130	7	107.91
₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत के मामले		
क्र.सं. 21, 43, 48, 66, 70, 72, 80, 81, 82, 110, 112, 116, 123, 129, 138, 139 और 157	17	246.23
<b>योग</b>	<b>24</b>	<b>354.13</b>

₹ 25 करोड़ से अधिक के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 9,11, 99, 100, 103, 104, 108, 141, 144, 156, 158, 162, 164 और 167	13	1,359.58
₹ 25 करोड़ से अधिक की बचत के मामले		
क्र.सं. 2, 4, 12, 13, 15, 20, 41, 42, 64, 65, 68, 69, 71, 76, 87, 88, 114, 134, 150,159, 160, 161, 168 और 169	24	1355.23
<b>योग</b>	<b>37</b>	<b>2,714.81</b>

परिशिष्ट  
2.7

वास्तविक बचतों (₹ 50 लाख अथवा अधिक) के आधिक्य में  
अभ्यर्पित निधियों को दर्शाने वाले विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	बचत(-)/आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	04 - राजस्व	1,218.65	(-)273.17	394.50	121.33
2	15 - स्थानीय सरकार	945.59	(-)654.40	677.38	22.98
3	19 - अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	259.98	(-)60.25	67.86	7.61
4	21 - महिला एवं बाल कल्याण	469.96	(-)106.86	109.41	2.55
5	28 - पशुपालन और डेयरी विकास	325.30	(-)20.75	21.64	0.89
6	32 - ग्रामीण और सामुदायिक विकास	1,079.94	(-)69.49	169.82	100.33
7	33 - सहकारिता	172.56	(-)5.87	7.34	1.47
8	36 - गृह	1,638.04	(-)51.76	54.36	2.60
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
9	38 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1,001.70	(-)303.54	334.06	30.52
<b>पूंजीगत (भारित)</b>					
10	लोक ऋण	7,867.65	(-)3,226.09	3,593.95	367.86
<b>योग</b>		<b>14,979.37</b>	<b>(-)4,772.18</b>	<b>5,430.32</b>	<b>658.14</b>

अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	बचत(-)/आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
2	06 - वित्त	3,119.00	(+)20.22	0.03	20.25
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
10	24 - सिंचाई	514.40	(+)198.58	72.05	270.63
<b>योग</b>		<b>3,633.40</b>	<b>218.80</b>	<b>72.08</b>	<b>290.88</b>

परिशिष्ट  
2.8

अनभ्यर्पित ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचतों का विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों / विनियोजनों की संख्या एवं नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	बचतें जो अभ्यर्पित की जानी शेष रही
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
1	7-योजना और सांख्यिकी	84.27	82.73	1.54
2	8-भवन एवं सड़कें	369.31	249.50	119.81
3	9-शिक्षा	610.53	469.71	140.82
4	11-खेल एवं युवा कल्याण	8.63	7.23	1.40
5	13-स्वास्थ्य	249.66	237.51	12.15
6	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	6.93	3.76	3.17
7	24-सिंचाई	311.48	5.33	306.15
8	27-कृषि	54.74	17.69	37.05
9	38-जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	73.88	25.84	48.04
10	40-ऊर्जा और विद्युत	261.28	248.29	12.99
11	42-प्रशासन	25.95	23.56	2.39
12	43-जेल	2.17	1.53	0.64
<b>राजस्व (भारित)</b>				
13	6-वित्त	594.25	505.71	88.54
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>				
14	8-भवन एवं सड़कें	260.48	245.15	15.33
15	14-शहरी विकास	21.28	15.00	6.28
16	23-खाद्य एवं आपूर्ति	456.74	452.23	4.51
17	24-सिंचाई	198.58	72.05	126.53
18	34-परिवहन	1.58	0.49	1.09
19	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	880.53	847.36	33.17
<b>पूंजीगत (भारित)</b>				
20	24-सिंचाई	3.17	0.00	3.17
<b>योग</b>		<b>4,475.44</b>	<b>3,510.67</b>	<b>964.77</b>

30 एवं 31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ के  
आधिक्य में निधियों के अभ्यर्पण का विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रावधान सहित अभ्यर्पित की प्रतिशतता
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
1	2 - राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद	59.19	15.58	26
2	4 - राजस्व	1,218.65	394.50	32
3	7 - योजना एवं साख्यंकी	254.23	82.72	33
4	8 - भवन एवं सड़कें	1,033.80	249.50	24
5	9 - शिक्षा	6,173.08	469.71	8
6	10 - तकनीकी शिक्षा	261.48	66.07	25
7	13 - स्वास्थ्य	1,317.88	237.51	18
8	14 - शहरी विकास	100.84	69.95	69
9	15 - स्थानीय सरकार	945.59	677.38	72
10	19 - अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	259.98	67.86	26
11	20 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,578.96	34.33	2
12	21 - महिला और बाल विकास	469.96	109.41	23
13	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	243.41	153.58	63
14	27 - कृषि	709.27	17.69	2
15	28 - पशुपालन एवं डेयरी विकास	325.30	21.64	7
16	32 - ग्रामीण और सामुदायिक विकास	1,079.94	169.82	16
17	34 - परिवहन	1,169.94	80.57	7
18	36 - गृह	1,638.04	54.36	3
19	38 - जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	944.56	25.84	3
20	40 - ऊर्जा और विद्युत	3,225.53	248.29	8
21	42 - न्याय प्रशासन	240.20	23.56	10
<b>राजस्व (भारित)</b>				
22	6 - वित्त	4,018.69	505.71	13
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>				
23	8 - भवन एवं सड़कें	1,400.98	245.15	17
24	14 - शहरी विकास	353.02	15.00	4
25	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	4,187.78	452.23	11
26	24 - सिंचाई	514.40	72.05	14
27	36 - गृह	130.50	39.60	30
28	38 - जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,001.70	334.06	33
29	40 - ऊर्जा और विद्युत	1,054.77	400.81	38
30	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,602.40	847.36	53
<b>पूंजीगत (भारित)</b>				
31	लोक ऋण	7,867.65	3,593.95	46
<b>योग</b>		<b>45,381.72</b>	<b>9,775.79</b>	

परिशिष्ट  
2.10

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की  
अधिकता दर्शाने वाला विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष योजना/स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	04-राजस्व	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (1)	280.05	186.01	66	157.97	56
2		2506 - भूमि सुधार	38.64	33.54	87	10.06	26
3		2705 - कमाण्ड क्षेत्र विकास	27.00	18.45	68	12.15	45
4		3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13.24	11.77	89	11.09	84
5	06-वित्त	2048 - ऋणों को बचाने अथवा कमी के लिए विनियोजन	105.68	105.68	100	105.68	100
6		2049 - ब्याज भुगतान	3,318.56	1,644.81	50	1,068.99	32
7	07-योजना एवं सांख्यिकी	3451 - सचिवालय आर्थिक सेवाएं	159.85	100.43	63	86.37	54
8	08-भवन एवं सड़कें	2216 - आवास	23.37	13.75	59	12.13	52
9	10-तकनीकी शिक्षा	2203 - तकनीकी शिक्षा	195.26	106.45	55	70.98	36
10	11-खेल एवं युवा कल्याण	2204 - खेल एवं युवा सेवाएं	96.37	51.38	53	42.08	44
11	14-शहरी विकास	4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	331.74	331.74	100	291.74	88
12	15-स्थानीय सरकार	2217 - शहरी विकास	291.02	246.46	85	170.77	59
13	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	19.12	15.99	84	13.83	72
14	19- अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225 - अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	199.72	113.64	57	92.43	46
15	24-सिंचाई	2701 - मध्यम सिंचाई	24.79	14.10	57	9.29	37
16		2705 - कमाण्ड क्षेत्र विकास	107.13	60.91	57	37.11	35
17		4700 - बृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	222.20	135.47	61	125.38	56
18		4701 - मध्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	417.10	299.39	72	243.57	58
19		4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	121.32	97.37	80	91.30	75
20	25-उद्योग	2851 - ग्रामीण और लघु उद्योग	39.54	28.85	73	22.40	57
21	27-कृषि	2401 - फसल पालन	426.41	260.56	61	207.62	49
22	29-मत्स्य पालन	2405 - मत्स्य पालन	24.62	12.52	51	8.61	35
23	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	24.86	12.90	52	3.40	14
24		2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	836.76	588.45	70	499.08	60
25		3604 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज को मुआवजा और सुपुर्दगी	81.24	53.40	66	52.57	65
26	33 - सहकारिता	2425 - सहकारिता	166.69	113.16	68	103.83	62
27	34 -परिवहन	5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	103.48	87.13	84	84.63	82
28	35 -पर्यटन	5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	18.21	11.88	65	11.88	65
29	45- ऋण और अग्रिम	6801 - बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	223.56	223.56	100	65.19	29
30		6217 - शहरी विकास हेतु ऋण	246.82	134.26	54	45.04	18
31		6851 - ग्रामीण और लघु उद्योग हेतु ऋण	12.31	12.31	100	12.31	100
योग			8,196.66	5,126.32	63	3,769.48	46



# परिशिष्ट 2.11

## पूर्वानुमानित व्यय को वहन करने के लिए आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिमों को दर्शाने वाले मामलों के विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 46)

क्र. सं.	संस्वीकृत क्रम	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	जिस उद्देश्य के लिए निकाले गए	संस्वीकृत राशि (₹)	किया गया व्यय (₹)
1.	5/145/10-5ए दिनांक 11.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,66,238	2,66,238
2.	5/158/10-5ए दिनांक 15.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,99,790	2,99,790
3.	5/160/10-5ए दिनांक 15.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,74,590	1,74,590
4.	5/176/10-5ए दिनांक 17.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,62,167	1,62,167
5.	5/162/10-5ए दिनांक 17.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	91,360	91,360
6.	5/143/10-5ए दिनांक 11.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,47,592	1,47,592
7.	5/151/10-5ए दिनांक 10.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,52,525	1,52,525
8.	5/116/10-5ए	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,27,157	2,27,157
9.	5/98/10-5ए दिनांक 27.1.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,33,606	2,33,606
10.	5/98/10-5ए दिनांक 27.1.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,19,603	2,19,603
11.	5/142/10-5ए दिनांक 2.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	31,273	31,273
12.	5/143/10-5ए दिनांक 15.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,11,954	1,11,954
13.	5/87/10-5ए दिनांक 10.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	61,217	61,217
14.	पी.आर.सी./2011/59 दिनांक 7.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,67,843	2,67,843
15.	पी.आर.सी./2011/ स्पैशल	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,67,843	2,67,843
16.	5/156/10-5ए दिनांक 14.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	91,883	91,883
17.	5/1/11-5ए	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	96,580	96,580
18.	5/151/10-5ए	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,52,525	1,52,525
19.	652053 दिनांक 30.11.10	2014	न्याय प्रशासन	विविध शुल्क	1,35,996	1,35,996
20.	2/11/2009-2 एफ.जी.-1 दिनांक 9.12.2010	2014	न्याय प्रशासन	स्टाफ का वेतन	3,00,00,000	2,88,26,993
21.	2/31/2007-1एफ.जी.-1 दिनांक 25.6.10	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्टाफ का वेतन	10,00,000	7,46,552
22.	6/12/2003-5 एफ.जी.-1/202/(11) दिनांक 25.1.11	2013	मंत्रीपरिषद्	कार की खरीद के लिए	1,00,00,000	87,54,088
23.	1/121/96/3 एफ.जी.एफ.-II/2877 दिनांक 31.12.10	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं		40,00,000	40,00,000
24.	1/30/2010-2 एफ.जी.- II दिनांक 17.6.10	3454	जनगणना सर्वे		3,44,63,184	1,28,87,726
<b>योग</b>					<b>8,26,54,926</b>	<b>5,84,07,101</b>

(अर्थात् ₹ 5.84 करोड़)

परिशिष्ट  
2.12

दोषपूर्ण बजटिंग दर्शाने वाले मामलों का विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	पूरक	पुनर्विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
1	2216 - आवास 05 - सामान्य पूल रिहायश 053 - अनुरक्षण एवं मरम्मत 99 - अन्य अनुरक्षण व्यय 88 - सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत	11.86	4.00	1.10	16.96	14.60	(-)2.36
2	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 - तकनीकी शिक्षा 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - बहुतकनीकी में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए होस्टलों का निर्माण	5.00	-	9.26	14.26	4.40	(-)9.86
3	2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 81 - संपूर्ण आवास और स्लम विकास कार्यक्रम 99 - साधारण योजना	51.00	शून्य	(-) 51.00	शून्य	21.90	21.90
4	4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - प्रसारण और वितरण 190 - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश 99 - साम्य पूंजी एच.वी.पी.एन.एल.	318.46	-	(-) 43.59	274.87	315.39	(+) 40.52
	<b>योग</b>	<b>386.32</b>	<b>4.00</b>	<b>(-) 84.23</b>	<b>306.09</b>	<b>356.29</b>	<b>50.20</b>

परिशिष्ट  
2.13

2010-11 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय तथा उनके विरुद्ध वास्तविक आंकड़े दर्शाने वाले विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 48)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			व्यय		
	बजट अनुमान	वास्तविक		बजट अनुमान	वास्तविक
क. राजस्व लेखा			क. राजस्व लेखा		
<b>I कर राजस्व</b>	<b>18,663.00</b>	<b>19,092.12</b>	<b>I वित्तीय सेवायें</b>	<b>242.72</b>	<b>249.82</b>
(1) बिक्री कर*	11,500.00	11,082.01	(1) कर संग्रहण प्रभार	241.28	248.71
(2) राज्य उत्पाद शुल्क	2,100.00	2,365.81	(2) अन्य वित्तीय सेवायें	1.44	1.11
(3) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	1,900.00	2,319.28	<b>II सामान्य सेवायें</b>	<b>8,672.95</b>	<b>9,078.32</b>
(4) यात्री और माल कर	425.00	387.14	(1) प्रशासनिक सेवाएं	2,075.13	2,191.18
(5) अन्य कर राजस्व	544.29	636.13	(2) ऋण सेवाएं	4,018.49	3,424.24
(6) केन्द्रीय करों में से हिस्सा	2,193.71	2,301.75	(3) अन्य सामान्य सेवायें	2,579.33	3,462.92
<b>II कर - भिन्न राजस्व</b>	<b>5,877.83</b>	<b>6,471.55</b>	<b>III सामाजिक सेवायें</b>	<b>11,349.20</b>	<b>10,904.08</b>
(1) ऋण सेवाएं	864.70	691.81	(1) शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति	6,132.88	5896.80
(2) सामान्य सेवाएं	268.24	216.34	(2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,117.29	1068.39
(3) सामाजिक सेवाएं	1,017.14	1,363.56	(3) श्रम एवं रोजगार	214.16	214.52
(4) आर्थिक सेवाएं	1,394.68	1,149.22	(4) सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,149.29	2,257.00
(5) भारत सरकार से अनुदान सहायता	2,329.31	3,050.62	(5) अन्य सामाजिक सेवायें	1,735.64	1,467.39
(6) अन्य कर - भिन्न प्राप्तियां	3.76	--	<b>IV आर्थिक सेवायें</b>	<b>8,141.50</b>	<b>7,996.73</b>
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	15.96	8.00	(1) ग्रामीण विकास	877.18	967.86
<b>ग लोक ऋण</b>	<b>11,254.77</b>	<b>9,842.73</b>	(2) कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,098.13	1,360.74
(1) बाजार उधार	4,218.73	4,450.00	(3) उद्योग एवं खनिज	102.00	89.40
(2) लघु बचत ऋण	700.00	1,312.42	(4) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,140.10	900.74
(3) राज्य योजना ऋण	617.20	3,224.50	(5) परिवहन	1,050.98	1,505.98
(4) अन्य ऋण	5,718.84	855.81	(6) अन्य आर्थिक सेवाएं	3,873.11	3,172.01
<b>घ ऋण (वसूलियां)</b>	<b>228.41</b>	<b>233.05</b>	<b>V सहायतानुदान तथा अंशदान</b>	<b>76.27</b>	<b>81.24</b>
			ख. पूंजीगत व्यय	3,515.81	4,031.10
			ग. ऋण का पुनर्भुगतान	5,953.99	3,971.08
			घ. ऋण (अग्रिम)	1,602.39	721.87
<b>कुल योग (क+ख+ग+घ)</b>	<b>36,039.97</b>	<b>35,647.45</b>	<b>कुल योग (क+ख+ग+घ)</b>	<b>39,554.83</b>	<b>37,034.24</b>

\* बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर।

परिशिष्ट  
2.14

उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए व्यय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित किए गए थे किन्तु मार्च 2011 तक कोई बजट प्रदान नहीं किया गया था (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (i); पृष्ठ 50)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य विकास शीर्ष	अनुमोदित लागत
<b>कृषि</b>		
1	हरियाणा में कृषीय मानव संसाधन विकास हेतु प्लान स्कीम	90.00
2	अनुसूचित जातियों में संकर कपास बीज उत्पादन तथा उपज का प्रचार	300.00
3	अनुसूचित जातियों को ट्रैक्टर और ट्रालियां प्रदान करना	110.00
4	जापानी बैंक का भूमि सुधार और जल प्रबंध	11,500.00
5	हरियाणा में भूमि समतल करने और भूमि को आकार देने पर अनुसूचित जाति के किसानों के लिए परिदान	100.00
<b>पशुपालन तथा डेरी-उद्योग</b>		
6	अनुसूचित जाति उप-प्लान (एस.सी.एस.पी.) के लिए अंबाला तथा हिसार में सुअर फार्म का सुदृढीकरण	50.00
7	राज्य डेरी प्रयोगशाला, रोहतक द्वारा पशुचारा सांद्र खनिज मिश्रण और उपकरण परीक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्कीम	5.00
8	अनुवर्षिक सुधार हेतु गौशालाओं का सुदृढीकरण	50.00
9	गुणक उत्पाद को सुनिश्चित करने के लिए जैविक सुरक्षा संस्थान का सुदृढीकरण	250.00
<b>मत्स्य पालन</b>		
10	एक्वाकल्चर का विकास तथा पोस्ट-हार्वेस्ट मूलभूत संरचना-बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.)	7,319.00
11	मत्स्य पालन के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्कीम-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.एस.एस.)	10.00
<b>सहकारिता</b>		
12	ग्रामीण गोदामों पर अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के व्यक्तियों के लिए हित परिदान	200.00
13	कृषि वित्त संस्थानों में निवेश हरियाणा राज्य पशुधन विकास बोर्ड (एच.एस.एल.डी.बी.)	500.00
<b>एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)</b>		
14	सूक्ष्म ऊर्जा प्लान के संस्थापन की ओर वित्तीय प्रोत्साहन	380.00
15	ग्रामीण ऊर्जा प्रशिक्षणों पर प्रदर्शन	100.00
<b>सामुदायिक विकास</b>		
16	सीवरेज निपटान इकाईयां प्रदान करना	10.00
17	व्यक्तिगत निवास शौचालय सहित गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.)/एस.सी.परिवारों की कुल आवृत्ति	10.00
<b>शिवालिक विकास बोर्ड</b>		
18	ढाणियों का विद्युतीकरण	1,770.00
<b>सिंचाई</b>		
19	ओट्टू लेक का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	6,266.00
20	लघु सिंचाई स्कीमें, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई)	17,089.00
21	पंपों तथा नये पंपों की क्षमता सुधार	4,557.00
22	घग्गर नदी 12 के.एम. अपस्ट्रीम पंचकूला पर देवां वाला डैम का निर्माण	7,975.00
23	घग्गर नदी 25 के.एम. अपस्ट्रीम पंचकूला पर डंगराणा डैम का निर्माण	7,975.00
24	बीबीपुर लेक का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	874.00
25	कोटला लेक का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	2,278.00
26	मसानी रिजर्वायर का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	1,139.00
27	घरौंडा सिंचाई स्कीम	2,278.00
28	लाडवा सिंचाई स्कीम	2,278.00
<b>बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज</b>		
29	यमुनानगर, करनाल, सोनीपत तथा फरीदाबाद में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य	17,500.00

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य विकास शीर्ष	अनुमोदित लागत
<b>कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण</b>		
30	मानीटरिंग कक्ष (75:25)	750.00
31	प्रणाली का सुधार	200.00
<b>विद्युत</b>		
32	पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई (हाइडल) 6x8 एम.डब्ल्यू	530.00
33	पानीपत थर्मल पावर, पानीपत - यूनिट 4	3,000.00
34	पानीपत थर्मल पावर स्टेज IV	1,000.00
35	फरीदाबाद थर्मल	2,500.00
36	पानीपत थर्मल पावर, पानीपत - यूनिट 5	4,000.00
37	विविध (एफ.टी.पी.एस. का आई.टी./आर. एण्ड एम.)	1,825.00
38	सूचना प्रौद्योगिकी	600.00
39	स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एस.एल.डी.सी.)	3,704.00
<b>बड़े और मध्यम उद्योग</b>		
40	बाइलर्ज आर्गेनाइजेशन का सुदृढीकरण	10.00
<b>ग्रामीण तथा स्माल स्केल उद्योग</b>		
41	रत्न एवं आभूषण विकास पार्क, गुड़गांव को वित्तीय सहायता	400.00
42	औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन	5.00
43	कुंडली पलवल एक्सप्रेसवे	1.00
44	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (सी.एस.एस. 50:50)	5.00
45	आई.एफ.सी. कक्ष का सृजन	35.00
<b>लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)</b>		
46	एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा डिजाइन सैल की स्थापना	100.00
47	हरियाणा राज्य सड़क सुधार परियोजना - बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.)	1,00,000.00
<b>सड़क परिवहन</b>		
48	सड़क सुरक्षा कार्यक्रम	500.00
<b>पर्यटन</b>		
49	राज्य से बाहर पर्यटन स्कीम	10.00
<b>प्राथमिक शिक्षा</b>		
50	स्कूलों का उन्नयन तथा मिडिल स्कूलों के स्टाफ की निरंतरता तथा अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति	25.00
<b>माध्यमिक शिक्षा</b>		
51	पाठन वातावरण का सुधार	1,972.12
<b>उच्चतर शिक्षा</b>		
52	छात्रों/शिक्षकों को साफ्ट स्किलज की प्रदानगी	50.00
53	एन.जी.ओज/रिसर्च स्कालरों को प्रयोजनाओं की प्रदानगी के माध्यम से संचालित किये जाने वाले अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	25.00
54	सरकारी कालेजों में 250 सामान्य छात्रों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण	250.00
<b>कला एवं संस्कृति</b>		
55	22 नई उप मंडल लाइब्रेरियां खोलना	25.00
56	सी.डी. ब्लॉकों में 72 लाइब्रेरियां खोलना	25.00
<b>तकनीकी शिक्षा</b>		
57	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्टार्डफंड	700.00
58	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का सुदृढीकरण	600.00
59	अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता तथा प्लेसमेंट हेतु विशेष कोचिंग	380.00
60	आंतरिक राजस्व उत्पादन	264.00

क्र. सं.	मुख्य विकास शीर्ष	अनुमोदित लागत
<b>स्वास्थ्य</b>		
61	जिला अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र तथा भिवानी में कोबाल्ट यूनिट स्थापित करना	100.00
62	नगरपालिका में कंप्यूटरों के पदों का सृजन	5.00
63	प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को लगाना	2.00
64	निदेशालय में खाद्य मिलावट कक्ष का सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सरकारी खाद्य निरीक्षकों के नये पदों का सृजन	500.00
65	डूंग नियंत्रण प्रशासन का सुदृढीकरण तथा राज्य डूंग प्रयोगशाला का उन्नयन	750.00
66	नागरिक पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण	190.00
67	चार जिलों में दंत मोबाइल क्लीनिकों के स्थापन के माध्यम से मौखिक स्वास्थ्य सुरक्षा का सुदृढीकरण	2,000.00
68	क्षमता निर्माण हेतु सहायक नर्स मिड वार्डफ/सामान्य नर्स मिड वार्डफ, नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल खोलना/का सुदृढीकरण	700.00
69	शिशु लिंगानुपात में अच्छा कार्य करने वाले पहले तीन जिलों को पुरस्कार	50.00
70	शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला की स्थापना	50.00
<b>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी</b>		
71	यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) - III	50.00
72	जलापूर्ति सीवरेज सुविधाओं का विस्तार - बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.) नगर एवं ग्राम आयोजना (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	50,000.00
73	रेवाड़ी के नजदीक प्रस्तावित रेलवे फ्रेट कोरीडोर पर लोजिस्टिक पार्क का सृजन	100.00
<b>औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा</b>		
74	आई.टी.आईज तथा महिला स्कंध की गैस्ट क्लासिज का पूर्ण आई.टी.आईज में उन्नयन	100.00
75	जिला व्यावसायिक स्कंध	30.00
76	शिवालिक विकास बोर्ड के अंतर्गत आई.टी.आईज का विस्तार	450.00
77	बेसिक ट्रेनिंग सेंटर (प्रशिक्षुता प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में पुनःनामित) की स्थापना	7.00
78	उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रणाली	8.00
<b>हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान</b>		
79	होस्टल का निर्माण तथा लिफ्ट का संस्थापन	10.00
80	अनुसंधान परियोजनाएं प्रशिक्षक का विकास लेखा	2.00
81	प्रशिक्षक का विकास लेखा	2.00
<b>अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>		
82	अनुसूचित जातियों के लिए कृषीय भूमि की खरीद	0.10
83	पूर्व - परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	165.00
84	एस.सी./बी.सी. चौपाल/अबेडकर भवन की मरम्मत के लिए परिदान	0.10
<b>मुद्रण एवं लेखन सामग्री</b>		
85	पाठ्य पुस्तक बिक्री डिपो, करनाल के भवन की मरम्मत	4.65
<b>अन्य सामान्य सेवार्यें</b>		
86	जेल प्रशासन	6.00
<b>योग</b>		<b>2,71,735.97</b>

अर्थात् ₹ 2,717.36 करोड़

परिशिष्ट  
2.15

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.), जिनके लिए कोई बजट प्रदान नहीं किये गये थे, के विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (i); पृष्ठ 50)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	ग्यारहवीं योजना में अनुमोदित लागत		
				राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय सहायता	कुल
1	कृषि	जापानी बैंक अंतरराष्ट्रीय सहयोग (मृदा एवं जल) का भूमि सुधार और जल प्रबंध	93,500	2,300	9,200	11,500
2	मत्स्य पालन	एक्वाकल्चर का विकास तथा पोस्ट-हार्वेस्ट मूलभूत संरचना	-	-	7319	7319
3	लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.)	हरियाणा राज्य सड़क सुधार परियोजना	300 मिलियन यू.एस.डी.	-	1,00,000	1,00,000 *
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	जलापूर्ति सीवरेज सुविधाओं का विस्तार	-	-	50,000	50,000
<b>योग</b>				<b>2,300</b>	<b>1,66,519</b>	<b>1,68,819</b>

\* टिप्पणी: वर्ष 2008-09 के दौरान केवल ₹ 0.54 करोड़ (₹ 13.45 लाख राज्य का हिस्सा तथा ₹ 40.33 लाख केन्द्रीय सहायता) का व्यय किया गया था।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किन्तु छोड़ी गई स्कीमों/परियोजनाओं के विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (ii); पृष्ठ 50)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	विकास का मुख्य शीर्ष	शीर्ष/कोड	ग्यारहवीं योजना	वार्षिक योजना	वार्षिक योजना
				2007-12	2007-08	2008-09
				अनुमोदित लागत	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
1	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी पर सार्वजनिक/निजी साझेदारी टेलीफोन लिए पायलट परियोजना	2210-003-103-89	300.00	9.81	-
2		सी.एच.सी./पी.एच.सी. में टेलीफोन सुविधाएं	2210-003-103-96	2.00	-	0.10
3		हस्पतालों तथा सी.एच.सी.ज में विस्तृत विशेषज्ञ देखभाल प्रदान करने के लिए सार्वजनिक/निजी साझेदारी	2210-001-110-56	250.00	11.00	-
4		राज्य मुख्यालय में जन्मपूर्व निदान तकनीक मानीटरिंग कक्ष की स्थापना	2210-004-94	500.00	-	-
<b>योग</b>				<b>1,052.00</b>	<b>20.81</b>	<b>0.10</b>



अनुमोदित योजना 2010 - 11 में शामिल स्कीमों के विवरण किन्तु संशोधित अनुमानों के दौरान वापस ले लिए गए और कोई व्यय नहीं किया गया था (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (iii); पृष्ठ 50)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	(₹ लाख में)		
			अनुमोदित योजना 2010-11	अनुमोदित योजना 2009-10	
1	पशुपालन तथा डेरी - उद्योग	सुअर फार्म तथा अंबाला एवं हिसार एस.सी.एस.पी. का सुदृढीकरण	20.00		
2	मत्स्य पालन	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (सी.एस.एस.)	10.00	10.00	
3		मत्स्य पालन शिक्षा प्रशिक्षण तथा विस्तार (सी.एस.एस. - 80:20)	1.00	5.00	
4	वन एवं वन्य जीव संरक्षण	राज्य संसाधन प्रबंध तथा जीवनयापन परियोजना	2.00	5.00	
5	भू - अभिलेख	राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू - अभिलेखों को अद्यतन करना (हिस्सेदारी आधार 50:50)	1.50	75.00	
6	सामुदायिक विकास	चौपाल का निर्माण परिधान स्कीम - पिछड़े वर्ग	3.00	30.00	
7		चौपाल का निर्माण परिधान स्कीम - सामान्य वर्ग	7.00	70.00	
8	सिंचाई	अंबाला सिंचाई स्कीम	100.00	800.00	
9		सतलुज यमुना लिंक परियोजना (हरियाणा का हिस्सा)	10.00		
10	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	एडोप्टिव ट्रेलज और कार्य अनुसंधान	3.50	2.50	
11		त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	11,000.00		
12	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	फील्ड इंटरमीडिएट एण्ड लिंक ड्रेनज का निर्माण	20.00	30.00	
13	शहरी विकास	राजीव गांधी शहरी विकास मिशन	14,500.00		
14		अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) सहित छोटे और मध्यम नगरों (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम	14358.00		
15		एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता स्कीम (ए.सी.ए.)	200.00		
16		सेटेलाइट एण्ड काउंटर मैगनेट टाउन (सी.एस.एस.) के विकास की स्कीम	1,000.00		
17		राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी.वाई.)	1,000.00		
18		विद्युत	दीनबन्धु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट (डी.सी.आर.टी.पी.पी.) यमुनानगर का विस्तार	30,275.00	
19		1050 एम.डब्ल्यू (3x500) गैस आधारित परियोजना, फरीदाबाद	500.00	10371.00	
20		हाइड्रल पावर हाउसिंग तथा अन्य विविध कार्यों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	500.00		
21		पानीपत थर्मल पावर, पानीपत - यूनिट - 3	1,345.00	2137.00	
22		पानीपत थर्मल पावर, पानीपत - यूनिट - 5	1,000.00		
23		क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (ए.एल.डी.सी.)	800.00		
24		कवर्ड कंडक्टर के साथ बेर कंडक्टर का प्रतिस्थापन	200.00		
25		उद्योग	स्वाद्य संसाधन उद्योग उन्नयन	1.00	
26		बायलर्ज आर्गेनाइजेशन का सुदृढीकरण	0.80		
27		एस.सी./एस.टी. के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम	10.00		
28		स्वास्थ्य बीमा स्कीम (सी.एस.एस.)	22.00		

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	(₹ लाख में)	
			अनुमोदित योजना 2010-11	अनुमोदित योजना 2009-10
29		हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईडीसी) का पूंजीगत हिस्सा	0.20	
30		जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) भवन का निर्माण एवं विस्तार	140.00	
31	नागरिक उड्डयन	राज्य में रनवे प्रकाश, मैदानी सहायता, एन.डी.बी.ज. तथा हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) सुविधाएं प्रदान करना	2.00	5.00
32		ट्रेनर/एडवांस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रापण	0.25	
33		ग्लाइडर्स/पावर ग्लाइडर्स/हेलीकाप्टर्स का प्रापण	0.25	
34	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	एस.सी.एस.पी. (चौडीकरण एवं सुदृढीकरण सहित नाबार्ड एवं एन.सी.आर.)	21,200.00	4,000.00
35		आवास स्कीम राजस्व विभाग के आवासीय भवन	308.00	
36		आवास स्कीम न्याय प्रशासन के आवासीय भवन	221.00	
37		आवास स्कीम जेल विभाग के आवासीय भवन	220.00	
38		आवास स्कीम चंडीगढ़ तथा पंचकूला के सरकारी मकान	88.00	
39	जनगणना सर्वेक्षण	बारहवां वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) अनुदान	420.00	
40	तथा सांख्यिकी	गैर-लाभ संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा राष्ट्रीय भवन संगठन का सर्वेक्षण	0.05	
41		आवास एवं वातावरण सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना	0.05	
42		जिला सांख्यिकी एजेसियों का सुदृढीकरण	0.05	
43		परिवार आय एवं व्यय सर्वेक्षण	0.05	
44		आर्थिक सर्वेक्षण	0.05	
45	विकेन्द्रित/जिला योजना	विशेष घटक उप-योजना (एस.सी.एस.पी.)	8,000.00	
46		विकेन्द्रीकृत योजना	0.90	
47	माध्यमिक शिक्षा	अनुसूचित जाति को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें	615.30	650.00
48		एस.सी. लड़कियों तथा लड़कों को निःशुल्क साईकिलें	50.00	564.00
49		राज्य में साईंस म्यूजियम की स्थापना	10.00	
50		कक्षा -IX-X (डयूल डैस्क) सुविधाओं का विस्तार	800.00	
51		सूचना संचार तथा तकनीकी स्कीम (कंप्यूटर शिक्षा)	850.00	
52		छात्रा का नजदीकी स्थलों पर भ्रमण	500.00	
53	उच्चतर शिक्षा	गैर-सरकारी कालेजों में मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	100.00	100.00
54		राज्य में शैक्षिक सिटी की स्थापना	100.00	
55	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	1,100.00	
56		एस.सी. के लिये विभिन्न प्रतियोगिता एवं प्लेसमेंट के लिए विशेष कोचिंग	10.00	10.00
57		वाई.एम.सी.ए. अभियांत्रिकी संस्थान, फरीदाबाद का आधुनिकीकरण (आई.टी. के लिए 2 प्रतिशत)	7.00	10.00
58		सेटेलाइट (एजूसेट) तथा ई.टी.चिंग/लर्निंग के माध्यम से शिक्षा	5.00	10.00
59		छात्राओं को मेरिट बेस नकद पुरस्कार/स्कालरशिप एवं स्टाईफंड की स्कीम	20.00	70.00
60		आन्तरिक राजस्व उत्पादन	1.00	1.00
61		राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी. बी.) में नये सरकारी पोलिटेक्नीक की स्थापना	6,000.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	(₹ लाख में)	
			अनुमोदित योजना 2010-11	अनुमोदित योजना 2009-10
62	स्वास्थ्य	रसायन प्रयोगशाला, करनाल का उन्नयन	10.00	
63		एस.सी. जनसंख्या की बहुलता वाले गांवों में उप-केन्द्रों को खोलना/निर्माण (एस.सी.एस.पी.)	30.00	
64		सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण	1.00	
65		अतिरिक्त निर्माण सहित पी.एच.सी.ज के भवनों का निर्माण	1.00	
66		उप-केन्द्रों को खोलना	1.00	
67		उप-केन्द्रों के भवनों का निर्माण	1.00	
68		निदेशालय में खाद्य मिलावट कक्ष का सुदृढीकरण तथा फील्ड कार्यालयों के लिए जी.एफ.आई. के नए पदों का सृजन	1.00	
69		नागरिक पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण	1.00	1.00
70		एस.सी. रोगियों के लिए आरोग्य कोष	1.00	21.00
71	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,	पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में आयुष के विशिष्ट थेरापी केंद्र की स्थापना	5.00	
72	यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष)	आवश्यक दवाओं की आपूर्ति (85:15)	2.00	
73		पी.एच.सी.ज में आयुष बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) क्लीनिकों की स्थापना (85:15)	2.00	
74		सी.एच.सी. में आयुष अंतः रोगी विभाग (आई.पी.डी.) क्लीनिकों की स्थापना (85:15)	2.00	
75		सी.एच.सी.ज में आयुष आई.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना आवर्ती अनुदान (85:15)	2.00	
76		जिला अस्पतालों में आयुष स्कंध की स्थापना (85:15)	2.00	
77		जिला/उप-जिला स्तर पर आयुष अस्पताल का उन्नयन (85:15)	2.00	
78		कार्यक्रम प्रबंध इकाइयों की स्थापना (पी.एम.यू./डी.एम.यू.ज-4) (50:50)	2.00	
79	पुलिस आवास एवं आधुनिकीकरण	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.)	9,000.00	
80	महिला एवं बाल विकास	स्वैच्छिक संगठन को सहायतानुदान	35.00	
81		आशियाना	1.00	
82		स्वावलम्बन (एन.ओ.आर.ए.डी.)	8.00	10.00
83	इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	0.10	
84		गुड़गांव में भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना	0.10	
85	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	बायोटेक्नोलोजी एप्लीकेशन के विकास एवं हस्तांतरण हेतु केंद्र	1.00	20.00
86	कर्मचारी राज्य बीमा	कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) डिस्पेंसरी खनक, भिवानी को खोलना	1.50	
87	अन्य सामान्य सेवायें	बारहवां वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) (न्याय प्रशासन)	2,484.00	
88	कृषि	राज्य विस्तार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	100.00	
89	पंचायत	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	139.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	(₹ लाख में)	
			अनुमोदित योजना 2010-11	अनुमोदित योजना 2009-10
90	नवीकरण योग्य ऊर्जा	विकेन्द्रित सौर ऊर्जा पैक/प्लांट का डेमोंस्ट्रेशन एप्लीकेशन	5.00	
91		आम जनता के लिए सौर जल तापन प्रणाली के प्रतिष्ठापन को प्रोत्साहन	20.00	
92		ऊर्जा दक्षता अभिक्रम का उन्नयन	10.00	
93		प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम	10.00	
94		हरित ऊर्जा निधि	395.00	
95		सौर टार्च	3.00	
96		ऊर्जा के अपव्यय तथा औद्योगिक अवशेष पर आधारित प्रदर्शन परियोजना की स्थापना	0.10	
97		सड़क परिवहन	चालकों का प्रशिक्षण	15.00
98	कला एवं संस्कृति	राज्य पुरातत्त्व संग्रहालयों की स्थापना	0.05	
99		पदों का सृजन	7.83	
100	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	फरीदाबाद तक मेट्रो का विस्तार	4,372.73	
101		कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)	20.00	
102	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण (50:50)	70.00	
103		उन बच्चों के लिए मैट्रिक से पहले छात्रवृत्तियों की प्रदानगी जिनके माता-पिता मलीन व्यवसाय में सलिप्त हैं (50:50)	0.10	
104	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	स्थानीय स्तर की समितियों का निधिकरण	4.00	
105		अक्षमों के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष स्कूल तथा मनोरंजन की स्थापना	25.00	
106		वरिष्ठ नागरिकों को ऐनके प्रदान करने की स्कीम	45.00	
107		हरियाणा में नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना	100.00	
108	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	आतिथ्य भवन	5.00	
109		आबकारी एवं कराधान भवनों, चैक बैरियर्स इत्यादि	50.00	
110	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	
111		मनोरंजन सुविधाएं	1.00	
112		उद्यम विकास के लिये केंद्र	1.00	
<b>कुल</b>			<b>1,34,655.46</b>	<b>19,007.50</b>

टिप्पणी: 112 स्कीमों में से क्रम सं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 21, 31, 34, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 82 और 85 पर 25 स्कीमों वार्षिक योजना 2009-10 में ₹ 190.08 करोड़ की लागत पर अनुमोदित की गई थी किन्तु वर्ष 2009-10 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

उन स्कीमों के विवरण जहां संशोधित अनुमानों में किये गये प्रावधानों को घटाया गया था किन्तु कोई व्यय नहीं किया गया था (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (iv); पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान 2010 - 11	संशोधित अनुमान 2010 - 11
1	बागवानी	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	80.00	1.00
2	वन तथा वन्यजीव संरक्षण	वन आवरण का पुनरुद्धार एवं पुनःउत्पादन का त्वरित कार्यक्रम (ए.सी.ए.)	151.00	77.91
3	चिकित्सा शिक्षा	भगत फूल सिंह महिला चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत की स्थापना	350.00	300.00
4	स्वास्थ्य	सामान्य अस्पतालों में स्वच्छता/सुरक्षा/हाउसकीपिंग/केटरिंग/लैंडस्केपिंग इत्यादि के अनुरक्षण हेतु सहायक सेवायें	250.00	10.00
5	आयुष	डिस्पेंसरियों का माडल डिस्पेंसरियों में उन्नयन	10.00	5.10
6		योगा केन्द्रों की स्थापना	4.00	0.05
7	कर्मचारी राज्य बीमा	ई.एस.आई. अस्पताल, एन.एच., फरीदाबाद का 200 से 300 बिस्तारों तक उन्नयन	4.00	0.76
8	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	निजी संस्थाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में एस.सी. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	50.00	0.10
9		बी.सी. तथा अल्पसंख्यकों के लिए आवास वित्त स्कीम	500.00	0.10
10		विभागीय स्कीम के प्रशासनिक व्यय के लिए बजट प्रावधान	10.00	0.10
11	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विकलांगों के लिए एच.बी.सी. तथा ई.डब्ल्यू.एस.के.एन. को शेयर कैपिटल	141.60	141.50
12	महिला एवं बाल विकास	लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम	40.00	1.00
13		निदेशालय के लिए भवन का निर्माण (नया भवन)	1.50	1.00
14		महिला शक्ति सदन	0.50	0.35
15	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	कोषालय और लेखा भवन	20.00	7.00
16	मत्स्य पालन	ताजा पानी झींगा पालन का विकास	5.00	1.00
17	विद्युत	विश्वसनीयता सुधार	900.00	875.00
18	उद्योग	औद्योगिक मूलभूत संरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस)	200.00	31.00
योग			2,717.60	1,452.97

टिप्पणी: 18 स्कीमों में से क्रम संख्या 3, 5 तथा 16 पर तीन स्कीमों वार्षिक योजना 2009 - 10 में ₹ 4.62 करोड़ की लागत के साथ अनुमोदित की गई थी किंतु वर्ष 2009 - 10 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

परिशिष्ट  
2.19

उन स्कीमों के विवरण जहां बजट अनुमान बढ़ाये  
गये थे किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (v); पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान 2010 - 11	संशोधित अनुमान 2010 - 11
1	माध्यमिक शिक्षा	अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (सी.एस.एस. - 50:50)	62.81	69.91
2	उच्चतर शिक्षा	हरियाणा साहित्य अकादमी को सहायता	225.00	300.00
3		हरियाणा उर्दू अकादमी को सहायता	125.00	150.00
4		पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना	75.00	100.00
5		संस्कृत अकादमी की स्थापना	75.00	100.00
6	तकनीकी शिक्षा	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	10.00	50.00
7	स्वास्थ्य	अस्पतालों का सुधार एवं विस्तार (मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद)	1.00	1,251.00
8		चिकित्सा और अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ के लिए प्रवेश और प्रोत्साहन प्रशिक्षण संकाय - प्रजनक बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच. - II)	3.00	203.00
9	महिला एवं बाल विकास	किशोरियों के सुधार के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.आई.ए.जी.) - सबला (नई स्कीम)	1.00	100.00
10	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	वृद्धों और दुर्बलों के लिए घर	4.00	100.00
<b>योग</b>			<b>581.81</b>	<b>2,423.91</b>

उन स्कीमों के विवरण, जहां बजट अनुमान बढ़ाये गये थे किंतु व्यय मूल प्रावधानों से कम था (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (vi); पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान 2010 - 11	संशोधित अनुमान 2010 - 11	व्यय 2010 - 11
1	कृषि	कृषीय विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	150.00	175.00	69.97
2	पशुपालन तथा डेरी - उद्योग	दूध, अंडा, ऊन तथा मांस के उत्पादन के नमूना सर्वेक्षण अनुमान के लिए स्कीम (50:50 हिस्सेदारी आधार)	60.00	68.00	55.86
3	वन तथा वन्य जीव संरक्षण	सामाजिक एवं फार्म वानिकी	2,425.00	2,428.71	2,418.44
4		सिविल वनों सहित डीग्रेडिड वनों का पुनर्वास	293.14	295.14	283.82
5		कार्ययोजना	87.08	88.48	76.18
6		आयोजना एवं मूल्यांकन कक्ष	31.57	35.07	29.84
7		औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए वन्य प्रजातियों का पौधारोपण	148.28	152.28	144.27
8		शीघ्र उगने वाले मसालों का पौधारोपण	95.30	98.85	94.64
9		वानिकी विस्तार (रेल, सड़क तथा नहर)	1,157.67	1,173.67	1,066.16
10	ग्रामीण विकास	इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) (75:25)	2,000.00	2,080.00	1,952.06
11	भू- अभिलेख	राष्ट्रीय भू- अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	1,452.00	1,458.05	1,447.02
12	मेवात विकास बोर्ड	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	100.00	127.38	75.60
13		पशुपालन	30.00	30.50	20.00
14		सामुदायिक कार्य	150.00	216.22	116.32
15	सिंचाई	नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग (ए.आई.बी.पी.)	2,000.00	6,000.00	1,600.00
16	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण - राज्य राजमार्ग तथा प्रमुख जिला मार्ग	13,900.00	18,647.00	11,242.95
17	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	कल्पना चावला प्लेनेटेरियम, कुरुक्षेत्र	30.00	35.00	27.00

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान 2010 - 11	संशोधित अनुमान 2010 - 11	व्यय 2010 - 11
18	प्राथमिक शिक्षा	शाखा प्राथमिक और प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय और जूनियर बेसिक टीचरों के अतिरिक्त पदों का उन्नयन	23,500.00	23,945.30	12,565.00
19	उच्चतर शिक्षा	सरकारी महाविद्यालयों को खोलना तथा वर्तमान कालेजों में अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान/उन्हें उत्कृष्ट एवं सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों में बदलना	3,385.50	3,862.50	3,141.81
20	कर्मचारी राज्य बीमा	स्टाफ की आउटसोर्सिंग के लिए वेतन का प्रावधान इंदिरा गांधी पेयजल योजना	5.00	6.26	3.87
21	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	इंदिरा गांधी पेयजल योजना (एस.सी.एस.पी.) - ग्रामीण	3,000.00	3,700.00	2,805.50
22		जलापूर्ति का संवर्धन - ग्रामीण स्कीम	5,800.00	7,800.00	5,519.78
23		इंदिरा गांधी पेयजल योजना (एस.सी.एस.पी.) - शहरी	1,200.00	1,500.00	832.13
24	सूचना एवं प्रचार	प्रेस सूचना सेवाएँ	904.00	914.00	810.43
25	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	वरिष्ठ नागरिक स्वैच्छिक सेवाएं संघ/नेटवर्क के स्थापन की स्कीम	18.00	53.00	3.60
26	आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी	आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण	18.40	39.09	17.30
27	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	किसानों का प्रशिक्षण (75:25)	4.50	6.75	2.97
28	नागर विमानन	सी. और ए. इंजनों, एयर फ्रेम तथा इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण ओवरहालिंग वर्कशाप के लिए मशीनरी तथा उपकरणों का प्रापण	10.00	12.00	0.87
योग			61,955.44	74,948.25	46,423.39



## संशोधित अनुमानों में सम्मिलित स्कीमों का विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (vii); पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित अनुमान में प्रावधान 2010-11	व्यय 2010-11
1.	कृषि	मिट्टी स्वास्थ्य तथा ऊर्वरक स्कीमों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	140.00	70.00
2.	कृषि	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	360.00	शून्य
3.	पंचायत	पंचायती राज संस्थाओं हेतु वेट पर अधिभार	6,200.00	6,200.00
4.	कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण	डब्ल्यू.यू.एज (बैकलॉग) को संरचनात्मक समर्थन	1,297.27	402.37
5.	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	भारतीय विशेष पहचान विकास प्राधिकरण (एस.यू.आई.डी.ए.आई.) अंतर्गत राज्य नागरिक को विशेष आई.डी.	642.00	321.00
6.	प्राथमिक शिक्षा	बारहवां वित्त आयोग (टी.एफ.सी.)	4,000.00	4,000.00
7.	माध्यमिक शिक्षा	राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों के नाती विद्यार्थियों (लड़कों एवं लड़कियों) को प्रोत्साहन प्रदान करना	16.17	16.16
8.	उच्चतर शिक्षा	एजुसेट	35.00	34.52
9.	उच्चतर शिक्षा	इतिहास एवं संस्कृति अकादमी का संस्थापन	90.00	शून्य
10.	कला एवं संस्कृति	जिला पुस्तकालय का निर्माण/पूर्णता	80.00	56.31
11.	तकनीकी शिक्षा	चौधरी देवीलाल मेमोरियल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नीवाला मोटा (सिरसा)	600.00	600.00
12.	स्वास्थ्य	आपेथैलमिक सैल का संस्थापन	15.00	3.80
13.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्तीय निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) को राज्य चैनलाईजिंग एजेंसियों के सुदृढीकरण हेतु सहायता अनुदान (जी.आई.ए.)	0.14	0.14
14.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	हरियाणा पिछड़ा वर्गों तथा आर्थिकतः कमजोर वर्ग कल्याण निगम को एन.एम.डी.एफ.सी. के ऋण के भुगतान हेतु विशेष जी.आई.ए.	416.00	शून्य
15.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	राज्य सूचना आयोग भवन सूचना हेतु अधिकार (आर.टी.आई.)	25.09	25.09
16.	शहरी विकास	स्थानीय निकायों हेतु वेट पर अधिभार का हिस्सा	24,846.00	शून्य
17.	श्रम	श्रम न्यायालय की अदालत	300.00	शून्य
18.	महिला एवं बाल विकास	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	1,600.00	शून्य
19.	महिला एवं बाल विकास	एसिड पीड़ितों को राहत एवं पुनरुद्धार	2.00	शून्य
20.	महिला एवं बाल विकास	राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन	1.00	शून्य
21.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	राज्य एवं जिला स्तर पर राज्य सांख्यिकीय नीति (केन्द्रीय एवं राज्य शेयरिंग आधार)	1.00	शून्य
<b>योग</b>			<b>40,666.67</b>	<b>11,729.39</b>

नोट: 21 स्कीमों में से क्रम संख्या 2, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 पर नौ स्कीमों ₹ 276.16 करोड़ के परिव्यय के साथ आर.ई. 2010-11 में अनुमोदित की गई परन्तु ये स्कीमों कार्यान्वित नहीं की गई थी।

परिशिष्ट  
2.22

उन स्कीमों के विवरण, जहां बजट अनुमानों में प्रावधानों के बिना व्यय किया गया था  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (viii); पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	व्यय 2010-11
1	रिन्यूएबल ऊर्जा	अन्य स्कीमें	474.15
2	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	रोहतक में मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र भवन हेतु भूमि का क्रय	20.01
योग			494.16

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार  
द्वारा 2010 - 11 के दौरान योजनेतर से योजनागत शीर्षों  
में परिवर्तित उप - स्कीमों की सूची  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (ix); पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित योजना
1.	डी.टी.ई. आर - 4, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सी.सी.एस.एच.ए.यू.), हिसार में आयोजना, समन्वय, मानीटरिंग मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन अनुसंधान	347.18
2.	एग्रिमेंट - 1, हरियाणा में एग्रो - मेटियोलोजिकल अध्ययन	29.52
3.	एग्रोन - 3, एग्रो इकोसिस्टम, एग्रोनोमिक अनुसंधान (ए), बीड प्रबंधन, शाकनाशी प्रतिरोध तथा शाकनाशी अवशेष तथा संसाधन संरक्षण, (बी) कायमयोग्य कृषि, विपथन तथा विभिन्न क्षेत्र फसलों की एग्रोनोमिक प्रथाएं	248.83
4.	इकोन - 1, हरियाणा फार्मिंग से संबंधित प्रकट विपणन एवं उत्पादन समस्या में आर्थिक अध्ययन	57.73
5.	एन्टो - 1, हरियाणा में कायम योग्य कृषि हेतु हानिकारक एवं लाभदायक कीटों का प्रबंधन	95.66
6.	ई.ई. - 2, कृषि में विपथन के अपनाने में बाधाएं	31.00
7.	एफ.एफ. - 1, फार्म फोरेस्ट्री, नर्सरी विकास एवं प्रबंधन तथा रेतीले टीलों के प्रबंधन पर अनुसंधान	59.67
8.	होर्ट - 2, फल फसलों में सुधार उत्पादन एवं भण्डारण प्रौद्योगिकी	175.99
9.	होर्ट - 3, एन.ए.आर.पी. क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, बुड़िया का सुदृढीकरण	31.61
10.	नेम - 2, फसल हानियों का मूल्यांकन चिन्हीकरण तथा विभिन्न फसलों का प्रबंधन निगरानी सर्वेक्षण	46.85
11.	पी.बी. - 1, सिरलज, दालों, तिलहनों, कपास, फोरेज, चारा, औषधीय एवं अवप्रयुक्त पौधों का जनैटिक सुधार	360.8
12.	पी.पी. - 2, आर्थिकतः महत्वपूर्ण पौधा बीमारियों तथा मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकी पर अध्ययन	122.76
13.	एस.एस.आई. - 1, विभिन्न फसलों / कृषि हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (पूर्ववर्ती पी.बी. - 3)	92.24
14.	मिट्टी - 1, कायम योग्य कृषि हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	219.83
15.	वेज - 2, सब्जियों एवं मसाला फसलों के सुधार एवं उत्पादन पर अनुसंधान	163.88
16.	सी.आर.एस. - 1, कपास एवं कपास आधारित क्रोपिंग प्रणाली पर अनुसंधान	106.74
17.	आर.एस.बी. - 1, दक्षिण पश्चिम हरियाणा हेतु विभिन्न फार्मिंग प्रणालियों का उत्पादन एवं परिष्करण प्रौद्योगिकी	313.00
18.	आर.एस. कौल - 1 चावल एवं चावल आधारित क्रोपिंग प्रणालियों का सुधार	201.33
19.	आर.एस. के - 1, गन्ना एवं गन्ना आधारित, चावल / गेहूं / मक्की क्रोपिंग प्रणालियों पर अनुसंधान	263.23

(₹ लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित योजना
20.	आर.एस.आर. - 2, हरियाणा के पूर्वी सेमी - एरिड उप - जोन (रोहतक, झज्जर, सोनीपत तथा फरीदाबाद) में मिट्टी, जल एवं फसल प्रबंधन	23.35
21.	ए.बी.टी. - 2, ब्ल्यू टंग वायरस तथा पेस्टडिस्पाइटिडस समीनेंटस वायरस हेतु मोलक्यूलर डायग्नोस्टिक्स का विकास	29.57
22.	ए.बी.टी. - 3, फार्म पशु जननक्षमता के सुधार हेतु पुनरूत्पादन जीव - तकनीक का विकास	10.66
23.	वी.सी.एल. - 2, हरियाणा में पशुओं में स्तनशोथ एवं संक्रामक गर्भपात का निदान तथा निदानशास्त्र	26.58
24.	वी.ई.पी.एम. - 2, हरियाणा में लाइवस्टॉक तथा पोल्ट्री की बीमारियों की जांच एवं रोग विज्ञान	75.07
25.	वी.पी.टी. - 2, निदानशास्त्र एवं संक्रामक गर्भपात का नियंत्रण तथा मेटाबोलिक मूल की बीमारियों सहित पोषणिक अनियमितताओं में अध्ययन	8.12
26.	टी.वी.सी.एस.सी. - 2, आपात निदानशास्त्र निरूपण तथा पशुओं में त्वचा रोंगों के उपचार पर अध्ययन	10.24
27.	वी.ए.एच. - 1, रूमीनेंटस तथा पिंगज (आर.टी.) में विभिन्न शरीर सिस्टमज पर सकल लाइट एवं इलेक्ट्रान - सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन	7.03
28.	वी.बी.सी. - 1, कुपोषण एवं परजीवी बिमारियों में जीव रासायनिक परिवर्तन	4.58
29.	वी.सी.एम. - 1, निदानशास्त्र प्रचार, रोगनिदान उपचार तथा पशुओं में स्तनशोथ तथा मेटाबोलिक/पोषणिक कमी अनियमितताओं की जांच	9.34
30.	वी.एम.आई. - 1, हेमरहेजिक सेप्टीसीमिया तथा ब्लूटंग बीमारियों के संबंध में संक्रमण एवं प्रतिरक्षण पर अध्ययन	52.56
31.	वी.पी.एच. - 1, स्वाद्य - उत्पन्न संक्रमणों, यर्सीनियोसिस के विशेष सदर्थ सहित, पर अध्ययन	12.18
32.	वी.पी.एस. - 1, एपीडेमियोलॉजी पैथो - बायलॉजी तथा पशुओं तथा पोल्ट्री पैरासाइटस के एकीकृत प्रबंधन पर अध्ययन	13.78
33.	वी.पी.टी.एक्स. - 1, भैंसों में औषधियों पर फार्माकोकीनेटिक तथा फार्माकोडिनेमिक अध्ययन	16.47
34.	वी.पी.वाई. - 1, भैंसों की, इसकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु पाचन एवं सेल फिज्योलोजी पर अध्ययन	13.04
35.	वी.आर.एस. - 1, घरेलू पशुओं में सर्जिकल अनियमितताओं के प्रबंधन पर अध्ययन	14.58
36.	वी.यू.के. - 1, करनाल में वेटरनरी यूनिट की स्थापना	45.66
37.	ए.बी. - 4, लाइवस्टॉक के पोल्ट्री एवं विभिन्न किस्मों में प्रजनन सुधार	131.82
38.	ए.एफ.टी. - 1, रूमीनेंटस तथा पोल्ट्री हेतु मितव्ययी गुणवत्ता फीड विनिर्माण	16.61
39.	ए.पी.पी. - 2, फार्म लाइव स्टॉक तथा पोल्ट्री में प्रजनन एवं जनन संवर्धन हेतु शारीरिक जांच	12.73
40.	ए.एन - 2, लाइव स्टॉक तथा पोल्ट्री में पोषणिक अध्ययन	71.76
41.	एल.पी.एम - 3, लाइव स्टॉक तथा पोल्ट्री हेतु प्रबंधन प्रथाओं की प्रमात्रा	107.48
42.	ए.पी.टी. - 3, मीट एवं पोल्ट्री उत्पादनों हेतु प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का मानकीकरण	22.72

(₹ लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित योजना
43.	बी.सी. - 2, फील्ड, वेजीटेबलस एवं फ्रुट फसलों के सुधार के संबंध में जीवरसायन अध्ययन	97.2
44.	बी.एम.बी - 4, प्लांट बहुगणन तथा सुधार हेतु बायोटेक्नोलाजी एवं मोलक्यूलर बायोलॉजी का अनुप्रयोग	55.94
45.	बी.ओ.टी - 2, विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों अधीन उत्पादनता सुधारने हेतु हरियाणा की महत्वपूर्ण फसलों में मोफो - फिज्योलॉजिकल अध्ययन	37.67
46.	एफ.एस.टी. - 2, खाद्य प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन प्लांट एवं पशु उत्पाद	0.57
47.	जेनेट - 2, क्रोप प्लांटस एवं कृषीय रूप से महत्वपूर्ण माइक्रो ओरगेनिज्म पर जेनेटिक अध्ययन	84.87
48.	गणित एवं स्टे - 1, हरियाणा में फील्ड प्लांट तकनीक अनुमानन का निश्चयन तथा मुख्य फसलों की प्राप्तियों की भविष्यवाणी	16.15
49.	माइक्रो - 2, कृषि उद्योग एवं पर्यावरण में प्रयोग हेतु माइक्रो - ओरगेनिज्म का विकास एवं सुधार	73.99
50.	एस.ओ.सी - 1, हरियाणा में ग्रामीण समाज में सामाजिक - आर्थिक स्थिति पर कृषि प्रौद्योगिकी का प्रभाव	15.92
51.	जूल - 2, ताजा एवं खारा जल मत्स्यों का प्रजनन एवं संस्कृति	31.81
52.	सी.टी - 2, गारमेंट्स ब्लॉक का मानकीकरण	5.36
53.	एफ.आर.एम - 2, धूआं रहित चूल्हे का संशोधन एवं मानकीकरण	4.12
54.	एच.डी.एफ.एस - 2, बच्चों एवं किशोरों (आर.टी.) का सामाजिक विकास	11.67
55.	एच.एस.ई - 2, संशोधित गृह व्यवहारिक हेतु ग्रामीण महिलाओं तथा किशोर लड़कियों के प्रशिक्षण से संबंधित अनुसंधान गतिविधि	17.39
56.	एफ.एन. - 3, पौष्टिक रेसिपीज के निर्धारण एवं विकास	0.12
57.	ए.ई - 1, कृषीय, मशीनों एवं उपकरणों का विकास, परीक्षण एवं प्रचार	8.56
58.	एस.डब्ल्यू.ई - 1, तल एवं उप-तल जल पट्ट का मानीटरिंग एवं विकास तथा मिट्टी लवणता का नियंत्रण	11.24
<b>योग</b>		<b>4,176.36</b>

अर्थात् ₹ 41.76 करोड़

परिशिष्ट  
2.24

अनुदान संख्या 8 के अधीन बजट प्रावधानों,  
बचतों इत्यादि के ब्यौरे  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (भारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (भारित)	योग
मूल प्रावधान	865.13	0.05	1,213.08	8.00	2,086.26
पूरक प्रावधान	168.67	0.00	187.90	0.00	356.57
<b>योग</b>	<b>1,033.80</b>	<b>0.05</b>	<b>1,400.98</b>	<b>8.00</b>	<b>2,442.83</b>
व्यय	664.49	0.00	1,140.50	5.85	1,810.84
बचतें	369.31	0.05	260.48	2.15	631.99
अभ्यर्पित बचतें	249.50	0.05	245.15	2.21	496.91

परिशिष्ट  
2.25

उन स्कीमों के विवरण, जहां कोई व्यय नहीं  
किया गया था  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 (v); पृष्ठ 53)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचते
<b>योजनेतर स्कीमें</b>								
1	2059-लोक निर्माण, 80-सामान्य, 51-निर्माण, 96-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	17-लघु कार्य	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
2	2059-लोक निर्माण, 80-सामान्य, 51-निर्माण, 98-सचिवालय	17-लघु कार्य	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
3	2059-लोक निर्माण, 80-सामान्य, 52-मशीनरी एवं उपकरण, 96-मशीनरी,	99-क्रय	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
4	2059-लोक निर्माण, 80-सामान्य, 105-लोक निर्माण कार्यशालाएं, 99-पी.डब्ल्यू.डी. कार्यशालाएं	01-वेतन	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
<b>योजनागत स्कीमें</b>								
5	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 51-निर्माण, 72-राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु स्कीम, 99-राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के कार्यालय भवन हेतु भूमि का क्रय	16-बृहद् कार्य	40.00	0.00	40.00	10.00	0.00	40.00
6	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 51-निर्माण, 99-जिला प्रशासन	01-वेतन	160.00	350.00	510.00	515.00	0.00	510.00
7		17-लघु कार्य	32.00	0.00	32.00	103.00	0.00	32.00
8		19-मशीनरी एवं उपकरण (एम. एवं. ई.)	200.00	70.00	270.00	200.00	0.00	270.00
9	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 051-निर्माण, 72-योजना भवन, पंचकुला का निर्माण हरियाणा (एन.-वी.)	01-वेतन	5.00	21.00	26.00	26.00	0.00	26.00
10		19-मशीनरी एवं उपकरण (एम एवं ई)	1.00	4.20	5.20	5.20	0.00	5.20
11	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 051-निर्माण, 72-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	01-वेतन	2.00	0.00	2.00	0.70	0.00	2.00
12		16-बृहद् कार्य	17.60	0.00	17.60	6.16	0.00	17.60
13		19-मशीनरी एवं उपकरण	0.40	0.00	0.40	0.14	0.00	0.40
14	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 051-निर्माण, 96-जेल	01-वेतन	139.40	150.00	289.40	289.40	0.00	289.40
15		19-मशीनरी एवं उपकरण	27.88	30.00	57.88	57.88	0.00	57.88
16	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 051-निर्माण, 97-आबकारी एवं कराधान	01-वेतन	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
17		16-बृहद् कार्य	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00
18		19-मशीनरी एवं उपकरण	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
19	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 051-निर्माण, 98-न्याय प्रशासन	01-वेतन	146.00	100.00	246.00	246.00	0.00	246.00
20		19-मशीनरी एवं उपकरण (एम एवं ई)	29.20	20.00	49.20	49.20	0.00	49.20
21	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 51-निर्माण, 99-लोक निर्माण (एन-वी)	01-वेतन	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
22		19-मशीनरी एवं उपकरण	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचतें
23	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत	01 - वेतन	0.50	0.00	0.50	0.30	0.00	0.50
24	परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण,	16 - बृहद् कार्य	4.40	0.00	4.40	2.64	0.00	4.40
25	94 - मंत्रालय कार सैक्शन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.10	0.00	0.10	0.06	0.00	0.10
26	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत	01 - वेतन	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
27	परिव्यय - 80 - सामान्य - 051 - निर्माण,	16 - बृहद् कार्य	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40
28	96 - आतिथ्य (हरियाणा निवास)	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.10	0.00	0.10	0.06	0.00	0.10
29	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत	01 - वेतन	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.50
30	परिव्यय - 80 - सामान्य - 051 - निर्माण - 97 - हरियाणा लोक सेवा आयोग	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.30	0.00	0.30	0.20	0.00	0.30
31	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण, 98 - न्याय प्रशासन	16 - बृहद् कार्य	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00
32	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	50.00	10.00	60.00	149.00	0.00	60.00
33	पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - सामान्य शिक्षा, 202 - माध्यमिक शिक्षा, 99 - माध्यमिक स्कूल भवन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	10.00	2.00	12.00	29.86	0.00	12.00
34	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
35	पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - सामान्य शिक्षा, 203 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा - 98 - पंचकूला में शिक्षा सदन के भवन का निर्माण	19 - मशीनरी एवं उपकरण	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
36	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
37	पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - सामान्य शिक्षा, 203 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा - 99 - महाविद्यालय भवन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00
38	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	126.80	0.00	126.80	131.48	0.00	126.80
39	पर पूंजीगत परिव्यय, 02 - तकनीकी शिक्षा - 104 - बहुतकनीकी, 99 - बहुतकनीकी भवन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	25.36	0.00	25.36	26.30	0.00	25.36
40	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	50.00	0.00	50.00	167.0	0.00	50.00
41	पर पूंजीगत परिव्यय, 02 - तकनीकी शिक्षा - 789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (एस.सी.) - 99 - एस.सी. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण	19 - मशीनरी एवं उपकरण	10.00	0.00	10.00	33.40	0.00	10.00
42	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	10.00	15.00	25.00	28.20	0.00	25.00
43	पर पूंजीगत परिव्यय - 03 - खेल एवं युवा सेवाएं - 101 - युवा छात्रावास - 99 - भवन (युवा छात्रावास)	19 - मशीनरी एवं उपकरण	2.00	3.00	5.00	5.64	0.00	5.00
44	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00
45	पर पूंजीगत परिव्यय - 04 - कला एवं संस्कृति 105 - पब्लिक लाइब्रेरी - 99 - भवन (पब्लिक लाइब्रेरी)	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	1.60
46	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर	01 - वेतन	80.00	250.00	330.00	0.00	0.00	330.00
47	पूंजीगत परिव्यय - 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल एवं डिस्पेंसरी 99 - भवन - 51 अस्पताल एवं डिस्पेंसरीज	19 - मशीनरी एवं उपकरण	16.00	50.00	66.00	0.00	0.00	66.00



(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचतें
48	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर	01 - वेतन	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
49	पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा,	16 - बृहद् कार्य	7.04	0.00	7.04	8.00	0.00	7.04
50	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 101 - आयुर्वेद - 91 - श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय / अस्पताल, कुरुक्षेत्र के भवन का निर्माण	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
51	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर	01 - वेतन	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
52	पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा,	16 - बृहद् कार्य	4.40	0.00	4.40	5.00	0.00	4.40
53	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 101 - आयुर्वेद - 92 - सरकारी आयुर्वेदिक / यूनानी / होपियोपैथिक डिस्पेंसरियों का निर्माण तथा मरम्मत	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
54	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर	01 - वेतन	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
55	पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा,	16 - बृहद् कार्य	2.64	0.00	2.64	3.00	0.00	2.64
56	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 101 - आयुर्वेद - 98 - आई.एस.एम. एवं आर, पंचकूला के सरकारी संस्थान के भवन तथा संस्थान (एन.वी.) के परिसर में आयुर्वेद के निदेशालय का निर्माण	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
57	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर	01 - वेतन	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
58	पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 101 - आयुर्वेद - 99 - भवन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00
59	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर	01 - वेतन	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00
60	पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा,	16 - बृहद् कार्य	0.00	2376.00	2376.00	0.00	0.00	2376.00
61	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 105 - एलौपैथी - 99 - भवन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00
62	4216. - आवास पर पूँजीगत	01 - वेतन	10.00	40.00	50.00	116.00	0.00	50.00
63	परिव्यय - 01 - सरकारी आवास - 106 - जनरल पूल रिहायश - 96 - लोक निर्माण	19 - मशीनरी एवं उपकरण	2.00	8.00	10.00	23.20	0.00	10.00
64	4216. - आवास पर पूँजीगत	01 - वेतन	25.00	0.00	25.00	52.00	0.00	25.00
65	परिव्यय - 01 - सरकारी आवास - 106 - जनरल पूल रिहायश, 97 - जेल	19 - मशीनरी एवं उपकरण	5.00	0.00	5.00	10.40	0.00	5.00
66	4216. - आवास पर पूँजीगत	01 - वेतन	35.00	30.00	65.00	60.00	0.00	65.00
67	परिव्यय - 01 - सरकारी आवास - 106 - जनरल पूल रिहायश, 98 - जिला प्रशासन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	7.00	6.00	13.00	12.00	0.00	13.00
68	4216. - आवास पर पूँजीगत	01 - वेतन	13.70	40.00	53.70	52.60	0.00	53.70
69	परिव्यय - 01 - सरकारी आवास - 106 - जनरल पूल रिहायश, 99 - न्याय प्रशासन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	2.74	8.00	10.74	10.52	0.00	10.74
70	4235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय - 02 - समाज कल्याण - 102 - बालक कल्याण - 99 - आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण	01 - वेतन	45.50	0.00	45.50	53.50	0.00	45.50
71	4235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय - 02 - समाज कल्याण - 103 - महिला कल्याण 98 - निदेशालय हेतु भवन का निर्माण	16 - बृहद् कार्य	1.20	0.00	1.20	0.88	0.00	1.20

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचतें
72	4235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - 02 - समाज कल्याण - 103 - महिला कल्याण, 99 - किशोर लड़कियों/महिलाओं के लिए गृह - सह वोकेशनल प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र	16 - बृहद् कार्य	7.40	0.00	7.04	24.29	0.00	7.04
73	4235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - 02 - समाज कल्याण - 104 - बुर्जुग, दुर्बल तथा निस्सहाय कल्याण 99 - अनाथ एवं बुजुर्ग के कल्याण हेतु गृह	16 - बृहद् कार्य	3.52	0.00	3.52	88.00	0.00	3.52
74	4235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - 02 - समाज कल्याण, 800 - अन्य व्यय - 81 - जे.जे एक्ट का कार्यान्वयन 98 - रिमांड/प्रेक्षण गृह	01 - वेतन	45.00	0.00	45.00	20.00	0.00	45.00
75	पर पूंजीगत परिव्यय - 02 - समाज कल्याण, 800 - अन्य व्यय - 81 - जे.जे एक्ट का कार्यान्वयन 98 - रिमांड/प्रेक्षण गृह	19 - मशीनरी एवं उपकरण	9.00	0.00	9.00	4.00	0.00	9.00
76	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 51 - निर्माण - 201 - श्रम, 96 - श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण	16 - बृहद् कार्य	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00
77	4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय - 51 - निर्माण - 101 - अन्तर्देशीय मत्स्य पालन - 99 - कार्यालय भवन का निर्माण	16 - बृहद् कार्य	30.00	0.00	30.00	43.00	0.00	30.00
योग			2,492.44	4,294.80	6,786.88	4,070.27	0.00	6,786.88

अर्थात् ₹ 67.88 करोड़

परिशिष्ट  
2.26

उप-शीर्षो, जहां व्यय वर्ष 2010-11 हेतु प्रावधान से अधिक (₹ 10 लाख से अधिक) था, को दर्शाने वाली विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 (vi); पृष्ठ 53)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष विस्तृत शीर्ष/स्कीमवार	योग	पुनर्विनियोजन बचतें (-) आधिक्य(+)	अंतिम अनुदान अथवा विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
1	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य, 799 - उच्चत, 96 - निष्पादन (स्टेट नॉन-प्लान)	18,581.76	(-)1,323.99	17,257.77	17,457.33	199.56
2	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य - 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 99 - निदेशन (स्टेट नॉन प्लान)	1,548.61	(-)378.07	1170.54	1,185.70	15.16
3	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य - 51 - सड़क कार्य, 93 - लोक निर्माण (स्टेट नॉन प्लान)	16.00	(-)2.00	14.00	79.44	65.44
4	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य - 97 - जिला प्रशासन (स्टेट नॉन - प्लान)	18.00	2.61	20.61	47.15	26.54
5	2216 - आवास - 05 - सामान्यपूल आवास - 99 - निदेशन एवं प्रशासन (स्टेट नॉन प्लान)	676.00	0.00	676.00	860.83	184.83
6	3054 - सड़कें एवं पुल, 03 - राज्य राजमार्ग, 337 - सड़क कार्य, 51 - सड़क कार्य (स्टेट नॉन प्लान)	7,210.29	(-)1,580.28	5,630.01	5,734.63	104.62
7	3054 - सड़कें एवं पुल, 04 - जिला एवं अन्य सड़कें, 337 - सड़क कार्य, 98 - ग्रामीण सड़कें (स्टेट नॉन प्लान)	25,511.50	(-) 10,130.25	15,381.25	15,523.48	142.2
8	3054 - सड़कें एवं पुल, 04 - जिला एवं अन्य सड़कें, 337 - सड़क कार्य - 99 - जिला सड़कें (स्टेट नॉन प्लान)	3,009.50	(-) 618.74	2,390.76	2,486.57	95.81
9	3054 - सड़कें एवं पुल, 80 - सामान्य - 99 - मुख्य शीर्ष 2059 - लोक निर्माण से अंतरित स्थापना प्रभारों का आनुपातिकतः अंतरण (स्टेट नॉन प्लान)	12,352.00	(-) 352.00	12,000.00	13,994.55	1,994.55
10	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय, 01 - कार्यालय भवन, 51 - निर्माण, 96 - जेलज (स्टेट प्लान)	3,150.00	(-) 407.13	2,742.87	3,691.44	948.57
11	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण, 98 - प्रशासन एवं न्याय (राज्य प्लान)	2,660.00	(-) 817.92	1,842.08	2,083.62	241.54
12	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण, - 99 - लोक निर्माण (स्टेट प्लान)	500.00	0.00	500.00	843.30	343.30
13	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 - सामान्य शिक्षा, 203 - यूनिवर्सिटी एवं उच्चतर शिक्षा, 99 - कालेज भवन (स्टेट प्लान)	4,500.00	(-) 2,065.37	2,434.63	3,485.04	1,050.41
14	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 02 - तकनीकी शिक्षा, 104 - बहुतकनीकी, 99 - बहुतकनीकी भवन (राज्य प्लान)	1,268.00	(-)475.22	792.78	1,851.59	1,058.81
15	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 99 - भवन (स्टेट प्लान)	1.00	0.00	1.00	28.68	27.68

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष विस्तृत शीर्ष/स्कीमवार	योग	पुनर्विनियोजन बचतें (-) आधिक्य(+)	अंतिम अनुदान अथवा विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
16	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 104 - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 99 - भवन (स्टेट प्लान)	1.00	0.00	1.00	11.31	10.31
17	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03 - चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 101 - आयुर्वेद, 98 - आई.एस.एम. एवं आर, पंचकुला के सरकारी संस्थान के भवन तथा संस्थान के परिसर में आयुर्वेद के निदेशालय का निर्माण (राज्य प्लान)	3.00	(-) 3.00	0.00	11.10	11.10
18	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, 98 - एस.सी. विंग के लिए प्रशिक्षण भवन (राज्य प्लान)	1,000.00	(-) 603.01	396.99	479.25	82.26
19	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800 - अन्य व्यय, 98 - आई.टी.आई. का उत्कृष्ट केन्द्र में उन्नयन (राज्य प्लान)	125.00	(-) 64.05	60.95	910.15	849.20
20	5054 - सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय - 03 राज्य राजमार्ग - 101 - पुल, 99 - अंबाला - नारायणगढ़ सड़क पर टांगरी नदी पर एच.एल. पुल का निर्माण (राज्य प्लान)	2,700.00	(-) 523.16	2,176.84	2,226.23	49.39
21	4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - अन्तर्देशीय मत्स्य पालन, 99 - कार्यालय भवन का निर्माण (राज्य प्लान)	30.00	(-) 30.00	0.00	38.65	38.65
योग		84,861.66	(-) 19,371.58	65,490.08	73,030.04	7,539.96

अर्थात् ₹ 75.40 करोड़

परिशिष्ट  
2.27

वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय वाली स्कीमों  
का विवरण (अनुदान संख्या 8)  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 (vii); पृष्ठ 53)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीमवार विस्तृत शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
<b>नान - प्लान</b>							
1	2059 - लोक निर्माण, 60 - अन्य भवन, 053 - अनुरक्षण एवं मरम्मत	17 - लघु कार्य	3,925.58	3,900.63	99	3,900.00	99
2	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य - 799 - उच्चत	32 - उच्चत	1,286.26	999.31	78	999.31	78
<b>प्लान</b>							
3	2059 - लोक निर्माण 80 - सामान्य मशीनरी	19 - मशीनरी	23.61	23.61	100	23.61	100
4	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - सामान्य शिक्षा, 203 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	16 - बृहद् कार्य	220.10	124.88	57	103.8	47
5	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 02 - तकनीकी शिक्षा, 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, 99 - बहुतकनीकियों में एस.सी. विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण	16 - बृहद् कार्य	1,426.00	1086	76	1,086	76
6	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 04 - कला एवं संस्कृति, 105 - पब्लिक लाइब्रेरी	16 - बृहद् कार्य	56.31	22.26	40	17.41	31
7	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	16 - बृहद् कार्य	61.62	32.07	52	23.61	38
8	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 101 - आयुर्वेद	16 - बृहद् कार्य	339.45	144.59	43	136.57	40
9	4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - सरकारी रिहायशी भवन, 106 - सामान्य पूल आवास, 98 - जिला प्रशासन	16 - बृहद् कार्य	574.62	266.06	46	266.06	46
<b>योग</b>			<b>7,913.55</b>	<b>6,599.41</b>	<b>83</b>	<b>6,556.37</b>	<b>83</b>

परिशिष्ट  
2.28

उन स्कीमों का विवरण, जहां स्कीमों के अकार्यान्वयन / नीति के अनन्तिमकरण / प्रस्ताव के कारण कोई व्यय नहीं किया गया था  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.2 (iii); पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / स्कीमवार	बजट अनुमान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचतें
1	2202-सामान्य शिक्षा 02 - माध्यमिक शिक्षा (प्लान)	107 - छात्रवृत्तियां, 86 - 9वीं से 12वीं कक्षाओं के सामान्य वर्ग के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना	100.00	100.00	0.00	0.00	(-)100.00
2		109 - राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 98 - राजकीय उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में डबल डेस्क का प्रावधान	800.00	800.00	800.00	0.00	(-)800.00
3		109 - राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 98 - राज्य में साईस म्यूजियम का संस्थापन	10.00	10.00	0.00	0.00	(-)10.00
4		109 - राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 93 - निकटवर्ती स्थानों पर छात्रों का मनोरंजन	500.00	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
5		789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 99 - 9वीं तथा 11वीं कक्षाओं में एस.सी. लड़की एवं लड़के छात्रों को 2000 प्रति छात्र की दर पर मुफ्त साईकिल प्रदान करना	50.00	50.00	0.00	0.00	(-)50.00
6		789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 98 - 9वीं से 12वीं कक्षाओं के एस.सी. छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना	615.30	615.30	0.00	0.00	(-)615.30
7	2202-सामान्य शिक्षा - 03 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा (प्लान)	96 - गैर - सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मूलभूत संरचना का मजबूतीकरण	100.00	100.00	0.00	0.00	(-)100.00
8		94 - उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले बी.पी.एल. एवं बी.सी. (ए.) छात्रों हेतु स्टाईपेंड स्कीम	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	(-)2,200.00
योग			4,375.30	4,375.30			(-) 4,375.30

परिशिष्ट  
2.29

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग वाली  
स्कीमों के विवरण (अनुदान संख्या-9)  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.2 (v); पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता	मार्च 2011 के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2202 - सामान्य शिक्षा (नॉन-प्लान)	101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 99 - सूचना प्रौद्योगिकी (कंप्यूटरीकरण)	324.21	267.41	82	89.24	28
2	01- प्राथमिक शिक्षा	102 - गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय, 92 - गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायतानुदान (वेतन अनुदान)	800.00	297.96	37	297.96	37
3	2202 - सामान्य शिक्षा (प्लान) 01- प्राथमिक शिक्षा	001- निदेशन एवं प्रशासन, 97 - कंप्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधीन प्राथमिक शिक्षा विभाग का नेटवर्किंग	19.91	19.91	100	9.95	50
4		101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 95 - ₹ 2950 प्रति डबल डैस्क की दर पर मिडिल स्कूलों में डबल डैस्क का प्रावधान	1,000.00	1,000.00	100	1,000.00	100
5		109 - छात्रवृत्तियां- 84 - पिछड़े वर्गों कक्षा I- VII में ए विद्यार्थियों हेतु मासिक स्टाईपेंड स्कीमें	7,405.36	3,702.68	50	3,702.68	50
6		109 - छात्रवृत्तियां- 85 - कक्षा I- VIII में गरीबी रेखा से नीचे विद्यार्थियों हेतु मासिक स्टाईपेंड स्कीमें	2,567.42	1,283.71	50	1,283.71	50
7		109 - छात्रवृत्तियां- 88 - कक्षा VI - VIII में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों एवं कार्य पुस्तकों की आपूर्ति	900.00	900.00	100	900.00	100
8		112 - मध्याह्न- भोजन, 99 - प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न- भोजन (राज्य हिस्सा)	6,473.82	3,134.45	48	1,962.02	30
9		789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 98 - कक्षा I- VIII में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए नकद पुरस्कार स्कीमें (वर्ष में एक बार नकद)	8,472.55	8,472.55	100	8,472.55	100

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता	मार्च 2011 के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
10		789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 99 - एस सी. लड़के छात्रों को मुफ्त साईकिल प्रदान करना	188.76	188.76	100	188.76	100
11		800 - अन्य व्यय 94 - तेरहवां वित्त अनुदान	4,000.00	4,000.00	100	0.00	
12		800 - अन्य व्यय 95 - एजुसेट उपकरण की मरम्मत	100.00	100.00	10	100.00	100
13	2202 - सामान्य शिक्षा	86 - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.ए.एम.एस.ए.)	2,500.00	2,500.00	100	2,500.00	100
14	(नॉन - प्लान) 02 - माध्यमिक शिक्षा	85 - शैक्षिकतः पिछड़े ब्लाक्स में माडल स्कूलों का खोलना	205.00	205.00	100	205.00	100
15		800 - अन्य व्यय 98 - शिक्षक कल्याण की राष्ट्रीय फाऊंडेशन को सहायतानुदान	0.25	0.25	100	0.25	100
16	2202 - सामान्य शिक्षा (प्लान) 03 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 92 - भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत को सहायता	2,086.00	1,036.70	50	1,036.70	50
17		001 - निदेशन एवं प्रशासन, 103 - राजकीय महाविद्यालय एवं संस्थान - राजकीय महाविद्यालयों को खोलना, राजकीय महाविद्यालयों को जारी करना तथा विद्यमान महाविद्यालयों में अतिरिक्त स्टाफ	2,500.32	987.00	39	707.60	28
18		राजकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरी सेवाओं का मजबूतीकरण (103)	145.00	125.03	86	68.14	47
19		97 - सूचना प्रौद्योगिकी (001)	86.74	74.98	86	72.00	83
20		105 - 99 - छात्राओं का सशक्तीकरण	41.10	25.24	61	16.86	41
21		105 - 99 - छात्राओं के लिए शैक्षणिक एवं मनोरंजन यात्रा	61.32	34.49	56	18.83	31
22		93 - राजकीय महाविद्यालयों में नियोक्ता कक्ष	29.87	22.18	74	16.55	55
23		विद्यार्थियों का मानव संसाधन विकास (आप जब सीखें अर्जित करें) (92)	113.96	84.33	74	55.80	49



(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता	मार्च 2011 के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
24		प्रयोगशालाओं का संवर्धन (92)	144.22	97.41	68	58.14	40
25		90 - राजकीय महाविद्यालयों में खेल गतिविधियां	96.58	83.28	86	70.97	73
26		89 - हरियाणा राज्य में एजूसेट	34.52	34.52	100	32.83	95
27		87 - छात्रों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजन यात्रा	56.30	35.20	63	21.00	37
28		107 - छात्रवृत्तियां, 98 - छात्रवृत्ति (महाविद्यालय) - स्वतंत्रता सेनानियों के नातियों के कल्याण हेतु स्कीम	19.54	11.94	61	11.94	61
29		789 - 94 - राजकीय महाविद्यालयों में सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्टाइपेंड	3,195.13	2,083.15	65	1,563.16	49
योग			43,567.88	30,808.13	71	24,462.64	56

परिशिष्ट  
2.30

वर्ष 2010-11 हेतु वित्त विभाग को बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्बों को दर्शाने वाले विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 55)

क्र. सं.	मांग संख्या एवं नामावली	मुख्य लेखा शीर्ष	विभाग का नाम	बजट अनुमानों की प्राप्ति की तिथि	वित्त विभाग को प्रस्तुतिकरण की देय तिथि	दिनों में विलम्ब
1	8-भवन एवं सड़कें	2059 - लोक निर्माण प्रमुख अभियंता	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	22 जनवरी 2010	06 नवंबर 2009	76
2		2216 - आवास		25 जनवरी 2010	06 नवंबर 2009	79
3		3054 - सड़कें एवं पुल - प्रमुख अभियंता		20 दिसंबर 2009	06 नवंबर 2009	43
4	9-सामान्य शिक्षा	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्राथमिक शिक्षा	22 जनवरी 2010	06 नवंबर 2009	76
5			02 - माध्यमिक शिक्षा	25 जनवरी 2010	06 नवंबर 2009	79
6			03 - उच्चतर शिक्षा	22 दिसंबर 2009	06 नवंबर 2009	45

परिशिष्ट  
3.1

31 मार्च 2011 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोग  
प्रमाण-पत्रों के विवरण  
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 57)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	कुल अनुदान दिया गया		उपयोग प्रमाण-पत्र देय		उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त		उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1.	पीडब्ल्यू.डी. बी.एण्डआर.	2008-09	01	150.00	01	150.00	01	150.00		
2.	शहरी विकास	1998-99	601	38,075.97	04	259.99	-	-	04	259.99
		1999-2000	864	41,141.77	70	499.16	04	86.65	66	412.51
		2000-01	1,388	51,217.52	100	928.45	13	114.41	87	814.04
		2001-02	1,803	66,846.07	405	1,212.57	34	55.20	371	1,157.37
		2002-03	1,852	60,779.91	231	3,300.31	26	448.23	205	2,852.08
		2003-04	1,592	13,665.44	121	2,082.81	20	427.51	101	1,655.30
		2004-05	212	4,837.81	02	907.79	-	-	02	907.79
		2005-06	561	10,127.05	12	3,392.19	03	2.26	09	3,389.93
		2006-07	201	11,914.72	65	8,714.63	03	117.67	62	8,596.96
		2007-08	123	35,407.20	13	31,098.92	01	380.16	12	30,718.76
3.	सिंचाई	2008-09	41	46,445.31	34	41,096.53	06	3,408.95	28	37,687.58
		2009-10	38	30,623.78	38	30,623.78	08	185.97	30	30,437.81
		2003-04	5	4,285.23	2	2,139.62	-	-	2	2,139.62
		2004-05	9	2,732.12	6	2,418.86	-	-	6	2,418.86
		2005-06	10	7,070.77	1	1,022.89	-	-	1	1,022.89
4.	कृषि	2006-07	11	10,865.67	06	10,155.67	-	-	06	10,155.67
		2008-09	08	14,025.65	08	14,025.65	-	-	08	14,025.65
		2009-10	09	16,045.77	09	16,045.77	09	16,045.77	-	-
5.	ग्रामीण विकास	2001-02	-	-	1	13.53	-	-	1	13.53
		2002-03	27	4,444.69	1	1.69	-	-	1	1.69
		2004-05	41	4,518.96	7	1,120.65	-	-	7	1,120.65
		2005-06	248	3,617.80	127	2,919.17	-	-	127	2,919.17
		2006-07	47	6,812.89	47	6,812.89	14	290.47	33	6,522.42
		2007-08	330	7,796.33	330	7,796.33	16	193.53	314	7,602.8
		2008-09	416	4,002.20	416	4,002.20	19	113.52	397	3,888.68
6.	विकास एवं पंचायत	2009-10	376	5,112.75	376	5,112.75	-	-	376	5,112.75
		2002-03	-	-	03	502.06	-	-	03	502.06
		2003-04	19	10,597.24	15	10,050.67	-	-	15	10,050.67
		2004-05	14	6,891.70	12	6,843.11	-	-	12	6,843.11
		2005-06	44	15,811.82	40	3,433.14	अंशतः	544.77	40	2,888.37
		2006-07	09	12,853.83	09	7,190.61	अंशतः	11.09	09	7,179.52
		2007-08	04	35,842.00	04	33,823.60	अंशतः	1,679.76	04	32,143.84
		2008-09	72	57,865.20	72	57,764.32	01	2,766.76	71	54,997.56
7.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2009-10	69	38,605.63	69	38,605.63	अंशतः	46.20	69	38,559.43
		2004-05	36	15.00	02	0.51	02	0.51	-	-
		2005-06	60	20.83	10	0.10	10	0.10	-	-
		2006-07	20	2,000.00	09	61.52	09	61.52	-	-
		2007-08	20	3,500.00	20	3,500.00	20	3,500.00	-	-
		2008-09	40	10,062.00	40	10,062.00	40	10,062.00	-	-
8.	चिकित्सा	2009-10	82	26,831.04	82	26,831.04	44	14,585.56	38	12,245.48
		2003-04	68	1,228.52	1	3.30	-	-	1	3.30
		2008-09	31	2,442.21	26	82.91	22	42.46	4	40.45
		2009-10	43	9,502.92	43	9,502.92	10	3,414.07	33	6,088.85

<sup>1</sup> 31 मार्च 2009 को वस्तुतः बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर 2006-07 एवं पूर्ववर्ती वर्ष के सम्बन्ध में देय, दर्शाए गए हैं।

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	कुल अनुदान दिया गया		उपयोग प्रमाण-पत्र देय		उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त		उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
9.	शिक्षा	2005-06	305	20,992.22	1	37.20	1	37.20	-	-
		2006-07	296	21,476.00	33	1,619.55	15	664.26	18	955.29
		2007-08	259	43,415.20	25	24.10	25	24.10	-	-
		2008-09	325	52,707.64	254	43,897.59	24	1,369.86	230	42,527.73
		2009-10	353	43,150.64	353	43,150.64	12	609.50	341	42,541.14
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2008-09	01	1.34	01	1.34	-	-	01	1.34
		2009-10	08	415.00	08	415.00	-	-	08	415.00
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2000-01	-	-	07	514.00	-	-	07	514.00
		2001-02	-	-	05	537.64	-	-	05	537.64
		2003-04	260	7,132.37	07	154.97	-	-	07	154.97
		2004-05	28	1,706.66	12	1,393.64	-	-	12	1,393.64
		2005-06	74	1,480.26	25	772.16	-	-	25	772.16
		2006-07	53	1,536.08	08	1,233.18	-	-	08	1,233.18
		2007-08	48	2,128.20	46	2,099.32	-	-	46	2,099.32
		2008-09	76	2,238.20	74	2,205.72	10	201.02	64	2,004.70
		2009-10	49	3,076.18	49	3,076.18	-	-	49	3,076.18
12.	खेल	2005-06	4	15.27	3	15.00	0	0	3	15.00
		2006-07	11	341.54	11	341.54	4	23.32	7	318.22
		2007-08	11	270.00	11	270.00	0	0	11	270.00
		2008-09	70	1,141.66	70	1,141.66	2	11.00	68	1,130.66
		2009-10	89	1,452.84	89	1,452.84	1	11.00	88	1,441.84
13.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2007-08	30	515.53	04	97.75	04	97.75	-	-
		2008-09	32	568.50	20	392.60	19	368.03	01	24.57
14.	पर्यावरण	2009-10	33	2,745.93	33	2,745.93	32	2,720.93	01	25.00
		2007-08	06	79.15	02	6.50	02	6.50	-	-
		2008-09	07	50.00	06	49.50	03	18.08	03	31.42
15.	पशु-पालन	2009-10	10	117.00	10	117.00	07	49.00	03	68.00
		2009-10	07	796.27	07	796.27	07	796.27	-	-
16.	मत्स्य-पालन	2005-06	54	352.59	02	4.15	02	4.15	-	-
		2007-08	42	220.62	07	33.77	01	3.38	06	30.39
		2008-09	36	236.25	18	72.73	18	72.73	-	-
		2009-10	85	323.35	85	323.35	38	149.75	47	173.60
17.	नवीकरण योग्य ऊर्जा	1993-94			01	1.99	-	-	01	1.99
		2004-05	12	108.79	01	11.70	अंशतः	6.26	01	5.44
		2005-06	25	397.56	01	0.74	-	-	01	0.74
		2006-07	22	391.99	05	112.79	04	104.89	01	7.90
		2007-08	17	817.99	03	73.72	02	21.72	01	52.00
		2008-09	17	782.50	10	272.68	02	112.70	08	159.98
		2009-10	10	490.72	10	490.72	03	64.25	07	426.47
18.	उद्योग	2000-01	-	-	01	0.14	-	-	01	0.14
		2005-06	10	1,613.24	5	1,041.71	-	-	5	1,041.71
		2006-07	26	12,409.40	11	1,077.91	-	-	11	1,077.91
		2007-08	27	1,777.50	15	1,254.20	05	646.54	10	607.66
		2008-09	23	2,652.26	14	2,023.07	02	157.95	12	1,865.12
		2009-10	29	1,784.76	29	1,784.76	10	758.40	19	1,026.36
19.	नागरिक उद्ब्यन	2009-10	03	22.00	03	22.00	-	-	03	22.00
20.	मंत्री परिषद्	2009-10	02	9.00	02	9.00	-	-	02	9.00
21.	श्रम एवं रोजगार	2009-10	03	861.00	03	861.00	-	-	03	861.00
22.	सहकारिता	2009-10	05	180.00	05	180.00	-	-	05	180.00
योग			14,394	9,98,449.60	4,333	5,38,377.72	590	67,845.64	3,743	4,70,532.08

निकाय एवं प्राधिकरण, जिनके लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, के नाम दर्शानेवाली विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 58)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए है	प्राप्त अनुदान
1.	नगर पालिका, अम्बाला	2002-03	26.43
		2005-06	239.80
		2007-08	56.85
		2008-09	901.03
		2009-10	1042.66
		2010-11	1915.94
2.	नगर पालिका, नरायणगढ़	2009-10	174.96
		2010-11	38.65
3.	नगर पालिका, कैथल	2007-08	72.78
		2009-10	392.60
		2010-11	268.16
4.	नगर पालिका, पुण्डरी	2009-10	118.25
		2010-11	92.38
5.	नगर पालिका, चीका	2003-04	158.28
		2004-05	81.00
		2009-10	153.32
		2010-11	75.39
6.	नगर पालिका, कलायत	2006-07	47.05
		2009-10	173.26
		2010-11	35.91
7.	नगर निगम, यमुनानगर	2007-08	1,841.67
		2008-09	37.00
		2009-10	392.09
		2010-11	770.61
8.	नगर पालिका, जगाधरी	2004-05	33.46
		2005-06	54.92
		2007-08	37.10
		2009-10	424.22
9.	नगर पालिका, थानेसर	2003-04	31.01
		2004-05	163.32
		2005-06	89.72
		2006-07	51.00
		2007-08	29.33
		2009-10	220.09
10.	नगर पालिका, शाहबाद	2009-10	234.78
		2010-11	219.21
11.	नगर पालिका, लाड़वा	2000-01	45.16
		2009-10	114.84
		2010-11	131.25

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए है	प्राप्त अनुदान
12.	नगर पालिका, पेहोवा	2009 -10	125.04
		2010 -11	72.22
13.	नगर पालिका, कुरूक्षेत्र	1998 -99	33.75
		2005 -06	133.48
		2006 -07	180.00
		2007 -08	375.00
		2008 -09	200.00
14.	नगर निगम, करनाल	1982 -83	7.00
		1988 -89	32.61
		2009 -10	606.46
		2010 -11	583.87
15.	नगर पालिका, तरावड़ी	2009 -10	198.18
		2010 -11	47.73
16.	नगर पालिका, नीलोखेड़ी	2009 -10	188.93
		2010 -11	35.26
17.	नगर पालिका, घरौंडा	2009 -10	244.85
		2010 -11	62.15
18.	नगर पालिका, असंध	1999 -2000	120.00
		2003 -04	74.54
		2004 -05	44.06
		2009 -10	372.46
		2010 -11	49.19
19.	नगर पालिका, इन्द्री	2003 -04	74.01
		2005 -06	54.21
		2006 -07	46.51
		2009 -10	139.58
		2010 -11	35.22
20.	नगर पालिका, निसिंग	2009 -10	30.87
		2010 -11	36.15
21.	नगर निगम, पानीपत	2003 -04	78.09
		2004 -05	57.06
		2005 -06	238.95
		2006 -07	50.23
		2007 -08	145.86
		2008 -09	51.00
		2009 -10	574.20
		2010 -11	562.20
22.	नगर पालिका, समालखा	2009 -10	172.68
		2010 -11	64.53
23.	नगर निगम, रोहतक	2004 -05	140.58
		2007 -08	1,215.88
		2008 -09	1,166.54
		2009 -10	3,444.86
		2010 -11	1,588.30

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
24.	नगर पालिका, मेहम	2009-10	129.23
		2010-11	42.54
25.	नगर पालिका, कलानौर	1999-2000	40.00
		2009-10	276.86
		2010-11	38.09
26.	नगर पालिका, सांपला	2009-10	100.71
		2010-11	144.20
27.	नगर परिषद्, पंचकूला	2001-02	116.06
		2005-06	160.54
		2006-07	27.04
		2007-08	51.61
		2008-09	27.00
		2009-10	359.08
		2010-11	459.50
28.	नगर पालिका, कालका	2006-07	25.06
		2009-10	154.04
		2010-11	30.33
29.	नगर पालिका, पिंजौर	2003-04	34.60
		2006-07	73.93
		2009-10	148.09
		2010-11	29.23
30.	नगर पालिका, सोनीपत	2007-08	178.73
		2008-09	41.00
		2009-10	382.04
		2010-11	514.22
31.	नगर पालिका, गन्नीर	2002-03	41.16
		2006-07	40.00
		2009-10	161.77
		2010-11	118.96
32.	नगर पालिका, गोहाना	2005-06	69.99
		2006-07	116.98
		2009-10	311.03
		2010-11	250.46
33.	नगर पालिका, खरखोदा	1998-99	50.00
		2005-06	46.41
		2009-10	178.25
		2010-11	44.27
34.	नगर पालिका, झज्जर	2008-09	121.40
		2009-10	266.91
		2010-11	93.72
35.	नगर पालिका, बहादुरगढ़	1986-87	35.93
		1993-94	34.08
		1996-97	50.00
		1997-98	25.95
		1999-2000	49.50
		2000-01	48.93
2003-04	304.10		

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
		2004-05	33.12
		2005-06	221.34
		2006-07	51.00
		2007-08	223.47
		2008-09	1,171.40
		2009-10	517.13
		2010-11	579.11
36.	नगर पालिका, बेरी	2009-10	286.20
		2010-11	34.78
37.	नगर पालिका, फरीदाबाद	1995-96	39.38
		1996-97	50.00
		1997-98	30.00
		1998-99	669.00
		1999-2000	394.00
		2000-01	111.61
		2002-03	93.29
		2003-04	175.14
		2004-05	121.80
		2005-06	404.28
		2006-07	202.45
		2007-08	4,443.62
		2008-09	16,395.00
		2009-10	2,170.75
		2010-11	10,708.06
38.	नगर पालिका, पलवल	2007-08	60.19
		2009-10	617.50
		2010-11	199.66
39.	नगर पालिका, होडल	2006-07	40.00
		2009-10	240.45
		2010-11	86.10
40.	नगर पालिका, हथीन	2009-10	120.75
		2010-11	28.75
41.	नगर पालिका, गुडगांव	2006-07	38.72
		2007-08	173.69
		2008-09	39.00
		2009-10	413.45
		2010-11	522.62
42.	नगर पालिका, सोहना	2009-10	233.77
		2010-11	63.71
43.	नगर पालिका, हेलीमण्डी	2009-10	164.93
		2010-11	38.06
44.	नगर पालिका, पाटौदी	2009-10	133.23
		2010-11	39.39
45.	नगर पालिका, फारूख नगर	2009-10	147.90
		2010-11	22.41



(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
46.	नगर पालिका, रेवाड़ी	1996 -97	50.00
		1997 -98	38.82
		1999 -2000	229.73
		2000 -01	84.17
		2003 -04	48.40
		2004 -05	35.70
		2005 -06	133.45
		2007 -08	191.91
		2009 -10	458.43
		2010 -11	182.91
47.	नगर पालिका, बावल	2006 -07	40.00
		2009 -10	152.13
		2010 -11	27.04
48.	नगर पालिका, धरूहेड़ा	2008 -09	47.40
		2009 -10	59.67
		2010 -11	51.00
49.	नगर पालिका, फिरोजपुर झिरका	2009 -10	246.56
		2010 -11	39.19
50.	नगर पालिका, नूंह	2006 -07	40.00
		2009 -10	195.03
		2010 -11	25.21
51.	नगर पालिका, तावडू	1999 -2000	40.00
		2005 -06	59.95
		2009 -10	201.62
		2010 -11	36.81
52.	नगर पालिका, पुन्हाना	2009 -10	92.57
		2010 -11	49.22
53.	नगर पालिका, नारनौल	1988 -89	25.30
		1989 -90	28.63
		2005 -06	192.58
		2006 -07	201.00
		2007 -08	25.90
		2008 -09	351.81
		2009 -10	314.78
		2010 -11	135.75
54.	नगर पालिका, महेन्द्रगढ़	2005 -06	61.26
		2007 -08	48.77
		2009 -10	214.08
		2010 -11	72.65
55.	नगर पालिका, कनीना	2009 -10	97.32
		2010 -11	23.62
56.	नगर पालिका, अटेली मण्डी	2009 -10	60.28
		2010 -11	15.15
57.	नगर पालिका, भिवानी	1987 -88	36.40
		1988 -89	33.25
		1989 -90	36.00
		1995 -96	50.00

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
		1997 -98	27.56
		1998 -99	72.00
		1999 -2000	1,156.87
		2000 -01	247.58
		2007 -08	48.45
		2009 -10	562.44
		2010 -11	1,299.76
58.	नगर पालिका, चरखी दादरी (भिवानी)	1995 -96	33.33
		1999 -2000	50.00
		2009 -10	292.51
		2010 -11	590.53
59.	नगर पालिका, सीवानी	2009 -10	194.70
		2010 -11	35.17
60.	नगर पालिका, बवानी खेड़ा	1998 -99	32.03
		1999 -2000	40.00
		2009 -10	198.25
		2010 -11	39.19
61.	नगर पालिका, तोशाम	1999 -2000	28.40
62.	नगर पालिका, लोहारू	2009 -10	237.05
		2010 -11	29.71
63.	नगर पालिका, हिसार	2008 -09	200.00
		2009 -10	739.17
		2010 -11	571.24
64.	नगर पालिका, हांसी	2006 -07	51.17
		2009 -10	274.66
		2010 -11	313.87
65.	नगर पालिका, बरवाला	2009 -10	419.12
		2010 -11	79.79
66.	नगर पालिका, नारनौद	2009 -10	209.15
		2010 -11	78.45
67.	नगर पालिका, फतेहाबाद	2000 -01	50.23
		2002 -03	40.16
		2004 -05	89.71
		2006 -07	33.33
		2009 -10	147.05
		2010 -11	138.30
68.	नगर पालिका, टोहाना	2009 -10	448.82
		2010 -11	275.95
69.	नगर पालिका, रतिया	2009 -10	285.98
		2010 -11	60.36
70.	नगर पालिका, सिरसा	2006 -07	30.85
		2007 -08	58.87
		2009 -10	452.09
		2010 -11	744.98

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
71.	नगर पालिका, डबवाली	2002-03	140.23
		2003-04	158.58
		2007-08	69.71
		2009-10	351.52
		2010-11	122.31
72.	नगर पालिका, रानिया	2009-10	261.13
		2010-11	46.16
73.	नगर पालिका, कलावाली	2009-10	292.03
		2010-11	49.35
74.	नगर पालिका, एलनाबाद	2000-01	43.10
		2009-10	301.38
		2010-11	73.42
75.	नगर पालिका, जींद	2002-03	57.39
		2003-04	25.01
		2004-05	41.85
		2005-06	133.74
		2006-07	26.35
		2007-08	102.82
		2009-10	328.22
		2010-11	320.28
76.	नगर पालिका, नरवाना	2000-01	60.58
		2007-08	43.41
		2009-10	224.03
		2010-11	114.70
77.	नगर पालिका, सफीदों	2009-10	138.68
		2010-11	57.51
78.	नगर पालिका, उचाना	1999-2000	30.00
		2006-07	46.22
		2009-10	101.77
		2010-11	30.78
79.	नगर पालिका, जुलाना	2009-10	173.26
		2010-11	35.27
80.	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जीन्द	1994-95	25.29
81.	अरावली विकास संगठन, गुड़गांव	1995-96	100.00
82.	भारतीय प्रौद्योगिक तकनीकी पार्क, नई दिल्ली	2002-03	250.00
83.	हरियाणा झुग्गी झोपड़ी सफाई बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	700.48
84.	जिला बाल कल्याण परिषद्, रेवाड़ी	1999-2000	38.75
85.	मत्स्य पालन विकास परिषद्, गुड़गांव	2000-01	45.85
86.	धर्मार्थ स्थायी निधि, हरियाणा, मनीमाजरा	2001-02	478.00
		2002-03	478.00
87.	आई.टी. के लिए प्राथमिक निधि, ई-गवर्नेंस, चण्डीगढ़	2002-03	165.55
		2003-04	60.00
		2004-05	25.00
		2009-10	56.00

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
88.	हरियाणा ऊर्जा विकास अभिकरण, चण्डीगढ़	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	67.30 41.50 384.37 25.00
89.	बालग्राम (एस.ओ.एस.) न्यासी बोर्ड राई, चण्डीगढ़	2003-04	240.00
90.	साकेत अस्पताल, पंचकूला	2004-05 2008-09	50.00 30.00
91.	निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	2004-05	40.00
92.	मछली पालन विकास अभिकरण, हिसार	2005-06	42.54
93.	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद्	2005-06	170.00
94.	हरियाणा रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद्, पंचकूला	2005-06	150.00
95.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07 2008-09 2009-10	49.89 600.26 490.72
96.	निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07	378.00
97.	आर.आई.टी.ई.एस. इण्डिया लिमिटेड	2009-10	1,750.00
<b>सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय</b>			
98.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10 2010-11	68.40 84.20
99.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	66.58 61.35 105.29 180.78
100.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2009-10 2010-11	116.20 221.16
101.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10 2010-11	338.50 344.58
102.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11	535.53 531.96
103.	गुरू नानक कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11	455.80 508.83
104.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, साढ़ौरा (यमुनानगर)	2009-10 2010-11	100.42 108.71
105.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	49.13 41.68 44.55 53.10 52.89 59.70 70.24 93.58
106.	बी.एल.जे. सूईवाला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी)	2010-11	127.78
107.	डी.ए.वी. सैटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11	307.72
108.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2010-11	188.38
109.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हासी (हिसार)	2010-11	142.33

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
110.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11	67.45 109.53
111.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुण्डरी (कैथल)	2010-11	158.44
112.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2008-09 2009-10 2010-11	86.65 164.28 278.41
113.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11	85.75 132.93
114.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2010-11	142.60
115.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	67.35 77.67 156.34 172.90
116.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	34.41 41.45 60.13 98.71
117.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुण्डरी (कैथल)	2008-09 2009-10 2010-11	89.80 154.41 181.52
118.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	25.06 31.85 51.18 87.72
119.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2009-10 2010-11	49.01 53.98
120.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	28.45 38.32 39.60 67.61 81.16
121.	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत)	2009-10 2010-11	68.80 112.62
122.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11	52.04 69.09
123.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2009-10 2010-11	409.25 498.11
124.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11	236.47 197.27
125.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11	200.00 212.01
126.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10 2010-11	255.30 416.50
127.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2009-10 2010-11	209.55 305.77
128.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहबाद	2009-10 2010-11	161.05 157.90

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
129.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद	2009-10 2010-11	186.65 261.63
130.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2009-10 2010-11	418.57 481.70
131.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान	2009-10 2010-11	139.69 195.64
132.	सी.एम.के. नैशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2010-11	257.26
133.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, डबवाली	2010-11	161.89
134.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11	502.40 552.19
135.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11	281.53 322.53
136.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11	227.94 237.59
137.	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	2010-11	559.84
138.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11	526.03 482.36
139.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखीदादरी	2009-10 2010-11	90.75 144.63
140.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा महाविद्यालय, चरखीदादरी	2009-10 2010-11	76.08 97.86
141.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2009-10 2010-11	78.83 117.67
142.	के.एल. मेहता डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद	2009-10 2010-11	232.16 342.69
143.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11	425.93 359.29
144.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11	131.90 229.20
145.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11	47.97 76.93
146.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11	26.99 35.06
147.	अखिल भारतीय जाट शूरमा ममौरियल महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11	581.55 672.91
148.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11	83.09 104.20
149.	एल.एन. हिन्दू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11	216.74 218.58
150.	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11	373.44
151.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11	541.52
152.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11	405.76
153.	एम.डी.एस.डी. कन्या महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11	202.69
154.	एस.एम.एस. लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़	2009-10 2010-11	134.05 160.65
155.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेन्योला	2010-11	112.58

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
156.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010 -11	210.39
157.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010 -11	289.36
158.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2010 -11	177.92
159.	एस.डी. महाविद्यालय, पानीपत	2010 -11	441.40
160.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा	2010 -11	85.98
161.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2010 -11	112.28
162.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2010 -11	555.77
163.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2010 -11	369.85
164.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी	2010 -11	324.59
165.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर	2010 -11	138.21
166.	आई.जी. नैशनल महाविद्यालय, लाडवा	2010 -11	275.16
167.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2010 -11	252.96
168.	आई.जी. महाविद्यालय, कैथल	2010 -11	110.12
169.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल	2010 -11	178.64
170.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका	2010 -11	172.63
171.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2010 -11	282.64
172.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2010 -11	53.71
173.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2010 -11	510.71
174.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2010 -11	138.94
175.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2010 -11	133.75
176.	गीता विद्या मन्दिर के.एम.वी., सोनीपत	2010 -11	469.00
177.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2010 -11	428.85
178.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2010 -11	374.31
179.	के.एम. शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	2010 -11	88.25
180.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2010 -11	344.82
181.	महिला महाविद्यालय, झोझूकलां	2010 -11	30.45
182.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूह	2010 -11	118.02
183.	एन.बी.जी.एस. मैमोरियल महाविद्यालय, सोहना	2010 -11	186.80
184.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिंधरावली	2010 -11	95.25
185.	जी.जी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010 -11	387.34
186.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़	2010 -11	405.77
187.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली	2010 -11	35.04
188.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010 -11	317.14
189.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2010 -11	334.40
190.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर	2010 -11	219.11

# परिशिष्ट 3.3

## स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा सी.ए.जी. को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 59)

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2007-08 से 2011-12	2004-05	2004-05	2004-05	2005-06 से 2010-11	छः वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला	2008-09 से 2012-13	2008-09	2006-07	2006-07	2010-11	दो वर्ष
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2007-08 से 2011-12	2008-09	2009-10	2006-07	2010-11	एक वर्ष
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2004-05 से 2008-09	2008-09	2007-08	2007-08		आगे सुपुर्दगी प्राप्त नहीं हुई
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2005-06 से 2009-10	2008-09	2007-08	2004-05	2010-11	एक वर्ष
6.	हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकुला	1996-97 से 2005-06	1996-97 से 2005-06	-	प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं थे	-	2006-07 से अनुच्छेद 19(1) अधीन लेखापरीक्षा की जा रही है
7.	हरियाणा चक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2008-09 से 2012-13	2008-09	2008-09	प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं थे	2009-10 2010-11	दो वर्ष
8.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	पांच वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 से 2010-11	तीन वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष



क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे बनाए गए	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विद्यायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 से 2010-11	तीन वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	- सम -	2009-10	2009-10	-	2007-08 से 2010-11	तीन वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 से 2009-10 2010-11	तीन वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	- सम -	2007-08		-	2008-09 से 2010-11	तीन वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	- सम -	2007-08		-	2008-09 से 2010-11	तीन वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2010-11	तीन वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2010-11	तीन वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	- सम -	2008-09	-	-	2009-10 से 2010-11	दो वर्ष
29.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	- सम -	-	-	-	2009-10 से 2010-11	दो वर्ष

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक  
उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं  
सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी  
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 60)

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्तिमकृत गत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम <sup>2</sup>	1987-88	- *	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
2.	कृषि	कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण	1985-86	2.53	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2006-07	25.20	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2009-10	2,792.88	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2005-06	402.67	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
कुल				3, 223.28	

\* विभाग से सूचना प्रतीक्षित है।

<sup>2</sup> ये स्कीमों 1986-87 (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

# परिशिष्ट 3.5

दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्यवाही 30 जून 2011 को लम्बित थी, के प्रकरणों का विभाग-वार/अवधि-वार विश्लेषण (संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 60)

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्षों से अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	3 (7.04)	-	3 (3.22)	-	-	6 (10.26)
2	शिक्षा	2 (0.92)	8 (4.62)	9 (8.54)	2 (1.12)	2 (0.93)	5 (2.13)	28 (18.26)
3	मत्स्य पालन	-	1 (8.06)	-	-	-	-	1 (8.06)
4	लोक सम्पर्क	2 (4.29)	1 (0.08)	-	-	-	-	3 (4.37)
5	वन	3 (0.44)	1 (0.15)	8 (11.55)	1 (0.55)	6 (1.12)	1 (0.15)	20 (13.96)
6	श्रम एवं रोजगार	-	-	-	-	-	-	-
7	चिकित्सा	-	4 (2.04)	-	1 (1.50)	2 (11.92)	-	7 (15.46)
8	तकनीकी शिक्षा	2 (0.85)	12 (35.11)	1 (0.93)	1 (0.19)	-	1 (0.03)	17 (37.12)
9	राजस्व	-	2 (10.52)	-	-	-	-	2 (10.52)
10	पुलिस	-	1 (3.79)	-	-	-	-	1 (3.79)
11	समाज कल्याण	-	-	-	-	1 (0.00)	-	1 (0.00)
12	खेल एवं युवा कल्याण	1 (0.00)	1 (0.87)	-	-	-	-	2 (0.87)
13	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	1 (0.12)	-	-	1 (0.12)
14	परिवहन	2 (0.41)	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	-	4 (4.17)
15	सिंचाई	11 (6.09)	9 (2.16)	5 (0.48)	7 (0.25)	7 (1.13)	8 (0.94)	47 (11.05)
16	लोक निर्माण (बी. एण्ड आर.)	1 (0.00)	1 (0.00)	-	-	-	-	2 (0.00)
17	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	8 (17.03)	5 (3.54)	-	-	1 (0.00)	-	14 (20.57)
	<b>कुल</b>	<b>29 (29.58)</b>	<b>49 (77.99)</b>	<b>24 (24.67)</b>	<b>16 (6.95)</b>	<b>20 (15.7)</b>	<b>15 (3.25)</b>	<b>153 (158.14)</b>

अर्थात् ₹ 1.58 करोड़

परिशिष्ट  
3.6

चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हानियों के प्रकरणों के संबंध में विभाग/श्रेणीवार विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 60)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी प्रकरण		दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	4	9.95	2	0.31	6	10.26
शिक्षा	20	14.24	8	4.02	28	18.26
मत्स्यपालन	-	-	1	8.06	1	8.06
लोक सम्पर्क	2	4.29	1	0.08	3	4.37
वन	3	4.70	14	8.82	17	13.52
चिकित्सा	2	0.01	5	15.45	7	15.46
तकनीकी शिक्षा	15	25.49	2	11.63	17	37.12
राजस्व	-	-	2	10.52	2	10.52
परिवहन	1	0.36	3	3.81	4	4.17
खेल एवं युवा कल्याण	2	0.87	-	-	2	0.87
पुलिस	-	-	1	3.79	1	3.79
महिला एवं बाल विकास	1	0.12	-	-	1	0.12
समाज कल्याण*	-	-	1	-	1	-
सिंचाई	36	10.50	11	0.55	47	11.05
लोक निर्माण (बी. एण्ड आर.)*	2	-	-	-	2	0.00
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	11	8.78	3	11.79	14	20.57
<b>कुल</b>	<b>99</b>	<b>79.31</b>	<b>54</b>	<b>78.83</b>	<b>153</b>	<b>158.14</b>

अर्थात् ₹ 1.58 करोड़

\* हानि की राशि सुनिश्चित नहीं की गई थी (अगस्त 2011)।

# संकेताक्षरों की शब्दावली



## संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
ए. एण्ड ई.	लेखा एवं हकदारी
ए.सी.	आकस्मिक सार
ए.ई.	कुल व्यय
ए.आई.ए.	अखिल भारतीय औसत
ए.पी.	अनुमोदित योजना
ए.पी.डी.आर.पी.	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
ए.आर.बी.पी.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आर.जी.एफ.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
सी.ओ.	पूँजीगत परिव्यय
डी.सी.सी.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
डी.सी.आर.एफ.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
डी.डी.पी.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डी.ई.	विकास व्यय
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
ई.ए.पी.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
ई.डी.यू.एस.ए.टी.	सैटेलाईट के माध्यम से शिक्षा
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
एफ.आर.बी.एम.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एच.ए.आर.टी.आर.ओ.एन.	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.एस.आई.आई.डी.सी.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
एच.यू.डी.ए. (हुडा)	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आई.ए.वाई.	इन्दिरा आवास योजना
आई.पी.	ब्याज भुगतान
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
जे.एन.एन.यू.आर.एम.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
के.जी.बी.वी.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय
एम.आई.एस.	सूक्ष्म सिंचाई स्कीम
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.पी.एल.ए.डी.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमें
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
एन.ए.बी.ए.आर.डी. (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एन.सी.आर.पी.बी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एन.जी.ओ.	गैर - सरकारी संस्था
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन
एन.पी.ई.जी.ई.एल.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
एन.पी.आर.ई.	योजनेतर राजस्व व्यय
एन.पी.आर.आर.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
एन.आर.ई.जी.ए.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एन.आर.एच.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
ओ. एण्ड एम.	परिचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.ए.जी.	प्रधान महालेखाकार
पी.सी.सी.ई.	प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय
पी.सी.डी.ई.	प्रति व्यक्ति विकास व्यय
पी.सी.एस.एस.ई.	प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय
पी.डी.ए.	वैयक्तिक जमा खाता
पी.जी.आई.एम.एस.	स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी साझेदारी
पी.आर.ई.	योजनागत राजस्व व्यय



संकेताक्षर	पूर्ण रूप
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.जी.जी.वी.वाई.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियां
एस. एण्ड डब्ल्यू.	वेतन एवं मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.जी.आर.वाई.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एस.जी.एस.वाई.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस.एल.एम.ए.	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण
एस.एल.एस.	शिक्षा लोक समिति
एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्र व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	बारहवां वित्त आयोग
टीएच.एफ.सी. (ते.वि.आ.)	तेरहवां वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण - पत्र
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यू.टी.के.ए.आर.एस.एच. (उत्कर्ष)	हरियाणा में ज्ञान बढ़ाने तथा अध्ययन के पुनर्नूकूलन हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग
वी.ए.टी. (वैट)	मूल्य वर्धित कर

